लोक-सभा
वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड ४, १९६२/१८८४ (शक)

[२६ मई से ७ जून, १९६२/५ से १७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/75

3rd Lok Sabha

Preservation Unit
14-5-98
Fumigated
On 5-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ४ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ४—अंक ३१ से ४०—२६ मई से ७ जून, १९६२ / ५ से १७ ज्येष्ठ १८८४ (शक)]

अंक ३१—शनिवार, २६, मई १९६२ / ५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३२५१

सभा का कार्य ३२५१–५२

अनुदानों की मांगें . ३२५२—३३३२

स्वास्थ्य मंत्रालय . . ३२५१—७९

शिक्षा मंत्रालय . . ३२८०—३३३२

दैनिक संक्षेपिका ३३३३

अंक ३२—सोमवार, २८ मई, १९६२ / ७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०७०, १०७२, १०७४, १०७५, १०७७ से १०८०, १०८५, १०८१, १०८३, १०८४, १०८६ और १०९० से १०९३ . . . . ३३३५—३३५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०७१, १०७३, १०७६, १०८२, १०८७, १०८८, १०८९, १०९४ से ११११३ . . . . . ३३५८—६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२६ से २०३८, २०४० से २०६० और २०६२ से २११५ . . . . ३३६८—३४०२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ३४०२—०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ३४०५—०७

(१) गोरखपुर और बस्ती जिलों में चीनियों का कथित प्रवेश . ३४०५–०६

(२) डकोटा विमान का गिरना ३४०६–०७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३४०७—०९

तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उतर में शुद्धि . . ३४०९

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ पर अनुपूरक प्रश्न के उतर के बारे में वक्तव्य . ३४०९

अनुदानों की मांगें . . . . . ३४०९—५४

शिक्षा मंत्रालय . . . . ३४०९—१२

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . . ३४१३—५४

दैनिक संक्षेपिका . . . ३४५५—६२

अंक ३३—मंगलवार, २९ मई, १९६२ / ८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से १११९, ११२२ से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ और ११३५ . . . ३४६३—८९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ३४९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२०, ११२१, ११२७, ११३३क, ११३६ से ११६३ . . . . . ३४९०—३५०५

अतारांकित प्रश्न संख्या २११६ से २१६७ . ३५०५—२९

प्रक्रिया के बारे में . . . ३५२९

स्थगन प्रस्ताव—

अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य . . . . . ३५३०—३१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

१. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य ३५३२

२. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा प्रतिरक्षा मंत्री के बारे में कही गई बातें . . . . . . ३५३२—३३

३. सदर बाजार में हुआ अग्नि कांड . ३५३३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५३४

अनुदानों की मांगें . . . . . . ३५३३—८०

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३५३४—४८

विधि मंत्रालय . . . . . . ३५४९—७०

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . ३५७०—८०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५८१—८६

अंक ३४—बुधवार, ३० मई, १९६२ / ९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ से ११६६, ११६८ से ११७०, ११७२, ११७४ से ११७६, ११७८, ११७९, ११८१, ११८३ और ११८४ . ३५८७—३६१०

प्रश्नों के लिखित उतर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६७, ११७१, ११७३, ११७७, ११८०, ११८२, ११८५ से ११६५ . . . . . ३६१०—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या २१६८ से २२७८ और २२८० से २३१५ . ३६७६—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६८४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पहला प्रतिवेदन . . ३६८४

समितियों के लिये निर्वाचन —

(१) भारत को क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति . ३६८५

(२) राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति ३६८५

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३६८४—३७२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३७२७—३४

अंक ३५—गुरुवार, ३१ मई, १९६२/१० ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उतर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९६ से १२०१, १२०४ से १२१३ और १२१५ . . . . ३७३५—६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . ३७६१–६२

प्रश्नों के लिखित उतर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०२, १२०३, १२१४ और १२१६ से १२२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २३१६ से २३७८ . ३७६३—६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३७६६—९२

उतर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नौटवना में कथित विस्फोट ३७९३

पाकिस्तान द्वारा टिड्डो दल के आक्रमण के बारे में सूचना न देना ३७९३—९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३७९५

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) दिल्लो विश्वविद्यालय का कोर्ट ३७९५–९६

(२) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोर्ट . . ३७९६

(३) विश्वभारती को संसद् (कोर्ट) ३७९६

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . ३७९६—३८१३

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ३८१३—४३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३८४४—४६

अंक ३६—शुक्रवार, १ जून, १९६२/११, ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२७, १२२९ से १२३२, १२३४ से १२३८, १२४० से १२४४ और १२२५ . . . ३८५१—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२२४, १२२८, १२३३, १२३९ . ३८७७—८१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३७९ से २४१२ . . ३८८१—९६

निधन संबंधी उल्लेख ३८९६

३१-५-६२ को उठाये गये एक औचित्य प्रश्न के बारे में . ३८९७—९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३८९८—९९

फिलेटिलिक ब्यूरो द्वारा डाक-टिकट संग्रह कर्ताओं को टिकटों के फोल्डर दिये जाने के बारे में याचिका . . . ३८९९

सभा का कार्य ३८९९

राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक, १९६२—पुरःस्थापित . ३९००

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ३९००—२४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ३९२५

पहला प्रतिवेदन ३९२५

मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . ३९२५—३७

अस्पृश्यता निवारण संबंधी संकल्प . ३९३७—४५

दैनिक संक्षेपिका . . ३९४६—४९

अंक ३७—सोमवार, ४ जून, १९६२/१४ ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ से १२४९, १२५१ से १२५४ और १२५६ से १२६१ . . . . ३९५१—७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर— .

तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५ और १२६२ से १२७० . ३९७३—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१३ से २४३१, २४३३ से २४७४ और २४७६ से २५१० . . . . . ३९७९—४०२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

पूर्वी पाकिस्तान में हुए उपद्रवों और उस के परिणामस्वरूप हुए प्रवजन के बारे में वक्तव्य—

श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . . ४०२४—२६

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ४०२६

गृह-कार्य मंत्रालय ४०३६-४०

हुगली के पास हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ४०७०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४०८१—८६

अंक ३८—मंगलवार, ५ जून, १९६२/१५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उतर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७१, १२७३, १२७४, १२७७ से १२८०, १२८२ और १२८४ से १२८९ . . . . . ४०८७—४११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५, १२७६, १२८१, १२८३ और १२९० से १३०८ . . . . ४११०—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या २५११ से २६०७, २६०९ से २६१९, २६२२ से २६३० और २६३२ से २६३४ . . . . . ४१२०—७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

(१) अमरीकी राजदूत द्वारा भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में कथित उद्गार . . . ४१७२

(२) कनाट प्लेस में आग . . . . . ४१७२—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४१७४-७५

सभा पटल पर एक प्रतिवेदन के रखे जाने के बारे में ४१७५

लोक सभा की बैठकों का रद्द किया जाना . . ४१७५

समितियों के लिये निर्वाचन—

भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण के लिये केन्द्रीय जीव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड . . . ४१७५-७६

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . . ४१७६—४२३३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४२३४—४२

अंक ३९—बुधवार, ६ जून १९६२/१६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१०, १३११ से १३१३, १३१७ से १३१९, १३२४ से १३२७, १३१६, १३१५, १३२२, १३२०, १३२३, १३१४ और १३२१ . . . . . ४२४३—६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०९ . . . ४२६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २६३५ से २६४३ और २६४५ से २७०५ . ४२६८—९९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ओर ध्यान दिलाना—

भारत तिब्बत करार की समाप्ति और चीनी व्यापारिक दूतावासों का बन्द किया जाना . . . ४२९९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ४३०१

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४३०१—२७

श्रम और रोजगार मंत्रालय . . . ४३८८—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४३५४—५८

अंक ४०—गुरुवार, ७ जून, १९६२/१७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२८ से १३३१, १३३४, १३३७ से १३४४, १३४६, १३४७, १३४९ और १३४८ . . ४३५९—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३३२, १३३३, १३३५ १३३६, १३४५ और १३५० से १३५२ . . . . . ४३८२—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७८६ . . ४३८५—४४२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ओर ध्यान दिलाना —

दिल्ली के टाउन हाल में आग का लगना . . . ४४२२-२३

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४४२३
समितियों के लिये निर्वाचन —	
(१) प्राक्कलन समिति ; तथा .	४४२३—२४
(२) लोक लेखा समिति	४४२४
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में . . .	४४२४
लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव . . .	४४२५
अनुदानों की मांगें	४४२५—७८
श्रम और रोजगार मंत्रालय	४४२५
मत विभाजन के परिणाम के बारे में घोषणा .	४४७७—७८
दैनिक संक्षेपिका	४४७९—८४

नोट : मौखिक उतर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, ७ जून, १९६२
१७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अजित प्रसाद जैन (तुमकुर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भूमि बन्धक बैंक

+

*१३२८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि बन्धक बैंकों की स्थापना के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है और यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ;

(ख) निकट भविष्य में कितने भूमि बन्धक बैंक किन किन राज्यों में स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) ये बैंक कृषकों को क्या क्या सुविधायें देंगे ?

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय सहकारी भूमि बन्धक बैंक है। जिला अथवा तालुका स्तर पर ४६१ प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक और केन्द्रीय भमि बन्धक बैंकों की कुछेक शाखायें हैं। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा पांडिचेरी संघ क्षेत्रों में भी एक-एक केन्द्रीय भूमि-

†मूल अंग्रेजी में

बन्धक बैंक है। जम्मू और कश्मीर में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों के साथ-साथ एक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक स्थापित करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

(ख) एक विवरण, जिस में १९६२-६३ के लिये अस्थायी कार्यक्रम दिया गया है, सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६८]**

(ग) ये बैंक विकास के लिये जमीन खरीदने, जमीन का सुधार करने, लघु-सिंचाई, काश्त-कारी आदि के लिये सुधरे तरीके अपनाने और पहले के ऋणों को चुकाने के लिये दीर्घकालीन ऋण सुलभ करेंगे।

†श्री स० चं० सामन्त : प्रत्येक राज्य में अधिक से अधिक कितने प्राथमिक बन्धक बैंक स्थापित किये जायेंगे ?

†श्री श्यामधर मिश्र : तृतीय योजना-काल में प्राथमिक बैंकों के लिये लक्ष्य १७३ है और शाखा बैंकों के लिये १६०। अधिकतम संख्या ८० है जो गुजरात में है।

श्री बड़े : मोर्टगेज बैंक्स को कितना पैसा रिजर्व बैंक से दिया गया है और क्या मध्य प्रदेश में धन कम होने से सारे प्रदेश में बैंक्स खुल नहीं सकते ?

श्री श्यामधर मिश्र : मध्य प्रदेश में सन् १९६०-६१ तक २१ बैंक थे। थर्ड प्लान में ३२ बैंक और स्थापित किये जायेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५ करोड़ रुपया देने की व्यवस्था है।

†श्री वारियर : क्या खेती के लिये सभी ऋणों को सहकारी बैंकों से पृथक कर उन के भूमि बन्धक बैंकों को सौंपने की सरकार की कोई योजना है। इस समय किसानों को सहकारी बैंकों से भी ऋण मिल रहा है।

†श्री श्यामधर मिश्र : किसानों को सहकारी बैंकों से तीन प्रकार के ऋण दिये जाते हैं। एक मध्यम कालीन है, दूसरा अल्प-कालीन है और तीसरा दीर्घ-कालीन है। जहां तक अल्प-कालीन और मध्य-कालीन ऋणों का सम्बन्ध है, वे केन्द्रीय सहकारी बैंकों के जरिये दिये जाते हैं। जहां तक दीर्घकालीन ऋणों का सम्बन्ध है, वह भूमि बन्धक बैंकों के जरिये दिये जायेंगे।

†श्री वेंकटासुब्बया : क्या मंत्री महोदय को पता है कि भूमि का मूल्य निर्धारित करने में विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न तरीके अपनाये जा रहे हैं और यदि हां, तो क्या सरकार भूमि के बन्धकी-करण के सम्बन्ध में ऋण देने के लिये एक समान तरीका अपनायेगी ?

†श्री श्यामधर मिश्र : भूमि की किस्म और भूमि का मूल्य प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न होते हैं। अतः भूमि का मूल्य भिन्न होने से, प्रति एकड़ भूमि पर ऋण की रकम भी भिन्न होगी।

†श्रीमती सरोजिनी महिषी : वर्ष १९६१-६२ में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों द्वारा दीर्घकालीन आधार पर कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

†श्री श्यामधर मिश्र : कुल मिला कर, वर्ष १९६०-६१ में, केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों और प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों से ३७ करोड़ रुपये बकाया थे।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय को पता है कि इन बैंकों में कार्यवाही पर बड़ा समय लगता है और इन बैंकों में अतयौपचारिकता बहुत है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श्यामधर मिश्र : स्पष्टतः कुछ कठिनाई है। अतः यह तै हो गया है कि तृतीय योजना में भूमि का शीघ्र मूल्यांकन करने और ऋण देने में शीघ्रता करने के लिये भूमि मूल्यांकन पदाधिकारी होंगे।

†श्री बसुमतारी : क्या वार्षिक पट्टे की भूमि बन्धक रखी जा सकती है या नहीं ? पट्टे की भूमि दो प्रकार की होती है।

†अध्यक्ष महोदय : हमें इन ब्योरों में नहीं पड़ना चाहिये।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई इस के लिये अवधि निश्चित की है जिस के कि अन्दर लैंड मार्टगेज बैंक्स से किसानों को रुपया मिल सके ? रुपया मिलने के लिये कोई सीधा रास्ता हो अभी प्रोसीज्योर में जरा देरी लग जाती है।

श्री श्यामधर मिश्र : इसीलिये मैंने कहा कि इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिये सरकार लैंड मोर्टगेज बैंक्स और प्राइमरी बैंक्स को मजबूत करने के लिये कुछ एडीशनल स्टाफ दे रही है। उस स्टाफ के लिये सबसिडीज और एसिस्टैंस दी जाती है। इस के अलावा लैंड वैलुएसन आफिसर्स होंगे। यह दो योजनायें अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूरी तरह से हो जायेंगी तो जो समय ज्यादा लगता है वह जरूर कम होगा।

†श्री दशरथ देव : इस समय यह धन, जो सहकारी बैंकों के जरिये दिया जाता है, सहकारी समितियों को दिया जाता है और सहकारी समितियां यह किसानों को देती हैं। यदि किसी सहकारी समिति में या किसी व्यक्ति में कोई कमी हो तो सब को भुगतना पड़ता है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई कदम उठाया जायेगा ताकि यह देखा जा सके कि एक व्यक्ति की गल्ती से सभी सहकारी समितियों को और ऋण लेने में कठिनाई न हो।

†श्री श्यामधर मिश्र : सभी संभव कदम उठाये जा रहे हैं और उठाये जायेंगे परन्तु यह कहना कठिन है कि उस का कोई दुरुपयोग नहीं होगा। यदि दुरुपयोग का कोई मामला हमें बताया जाये, तो उस को सुधार दिया जायेगा।

†अध्यक्ष महोदय : उन का प्रश्न यह है कि सहकारी समितियों में, यदि किसी व्यक्ति से कोई गल्ती होती है तो सारे बैंक को नुकसान उठाना पड़ता है और अन्यों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः वह यह जानना चाहते हैं कि यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी या वही जैसाकि सहकारी समितियों के मामले में है ?

†श्री श्यामधर मिश्र : दीर्घकालीन ऋण के बारे में, यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी का मामला होगा।

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति

+

†*१३२९. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं को मान्यता देने के बारे में रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों में कोई मान्यता दी गई है ; और

(ग) इस आधार पर कितने व्यक्तियों को पदोन्नति मिली है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति ने सिफारिश की है कि विशेष और बढ़िया कार्य को, मानदेय प्रशंसा-पत्र और मेडल देकर, सराहना की जाये। मानदेय केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को ही दिया जाये। यह सिफारिश, जो केवल भ्रष्टाचार के मामले से ही सम्बन्धित नहीं थी, परन्तु सामान्यतः सभी कार्यों से सम्बन्धित थीं, स्वीकार कर ली गयी।

(ख) जी, हां।

(ग) भ्रष्टाचार निवारण में प्रशासन की सहायता करने में योग देने के लिये—१५।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सतर्कता विभाग में इन्सपेक्टर तथा सब-इंसपेक्टर सीधे भर्ती किये जाते हैं या उन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर अन्य रेलवे से लिया जाता है और यदि उन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया जाता है, तो उनकी प्रतिनियुक्ति की क्या शर्तें हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उन्हें सेवा में संलग्न रेलवे कर्मचारियों से चुना जाता है। उन्हें कुछ निश्चित अवधि के लिये रखा जाता है और वह अवधि समाप्त होने पर उन्हें उनके पहले विभाग में वापस भेज दिया जाता है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : यदि उन्हें रेलवे कर्मचारियों में से रखा जाता है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले तीन वर्षों में कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये, उन कर्मचारियों ने क्या प्रशंसात्मक कार्य किये और क्या उन्हें प्रशंसा के कार्य के लिये कोई इनाम दिया गया ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ठीक संख्या बताने के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये। परन्तु रेलवे मन्त्रालय की यह नीति है कि मानदेय देकर और कुछ मामलों में पदोन्नति करके प्रशंसात्मक कार्य को मान्यता दी जाये।

†**श्री नम्बियार** : क्या सरकार ने पुनर्गठन समेत, जिसका भ्रष्टाचार आदि के लिये प्रोत्साहन से सीधा सम्बन्ध है, भ्रष्टाचार जांच समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इसका उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री रा० बरुआ** : क्या भ्रष्टाचार के कारण पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में बहुत हानि हो रही है और यदि हां, तो उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह भिन्न बात है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कर्मचारियों द्वारा की गयी सेवायें सामान्य ड्यूटी पर की गयी सेवायें मानी जाती हैं या अतिरिक्त समय की गयी सेवायें ?

†**श्री शाहनवाज खां** : रेलवे में भ्रष्टाचार रोकने के लिये कुछ पदाली बनाई गई हैं जैसे सतर्कता विभाग। उस विभाग में कर्मचारियों को उन मामलों पर कार्यवाही करनी पड़ती है जो उनके ध्यान में आते हैं। किसी भी प्रशंसात्मक कार्य को मान्यता दी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

डीज़ल रेलवे इंजन

+

†*१३३०. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में डीज़ल रेलवे इंजनों के निर्माण के लिये अमरीका के 'आलको' के साथ करार हो गया है ;

(ख) किस प्रकार का प्रविधिक सहयोग देने का आश्वासन दिया गया है ;

(ग) भारतीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(घ) परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां।

(ख) भारत में डीज़ल रेलवे इंजनों के पूर्ण निर्माण के विकास के लिये आलको तकनीकी जानकारी और सहायता देगा।

(ग) चुने हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिये अमरीका भेजा जा रहा है और भारत में भी पूर्ण प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

(घ) परियोजना प्रतिवेदन को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या मैं जान सकता हूं कि आलको कम्पनी अपने प्रविधिक सहयोग के लिये कितना शुल्क लेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** डिजाइन के लिये उन्हें एक मुश्त कुछ रकम दी जायेगी। यहां पर निर्माण के लिये उन्हें रायल्टी के रूप में कुछ प्रतिशतता भी दी जायेगी। ये ब्यौरे बड़े हैं और उनके इस समय बताये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** उपमन्त्री महोदय ने बताया कि भारत में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आलको से भी कुछ विशेषज्ञ उपलब्ध हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** वे भी यहां आयेंगे।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इन इंजनों के निर्माण में यह तकनीकी जानकारी कितने समय तक मिलेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** करार १० वर्षों के लिये है और आवश्यकता पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच नहीं है कि यह परियोजना आलको के साथ संयुक्त उपक्रम है और यदि हां, तो इसमें भारत का कितना योगदान है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें०रामस्वामी** : यह केवल प्रविधिक सहयोग है। यह हमारा उपक्रम सरकारी क्षेत्रीय परियोजना है। इस पर १२.७ करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : भारतीय परिस्थितियों के उपयुक्त इन इंजनों की उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता निर्धारित करने के लिये क्या सरकार भारत में इनका निर्माण करने से पूर्व अमरीका से कुछ इंजनों का आयात करेगी और यदि हां, तो कितने इंजन आयात किये जायेंगे और उनकी क्या लागत होगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्रारम्भ में उनके अलग अलग हिस्से आयेंगे। कार्यक्रम यह है कि वर्ष १९६३–६४ में १० से १५ इंजन बनाये जायेंगे, वर्ष १९६४–६५ में ३५ इंजन और वर्ष १९६५–६६ में ७० इंजन।

श्री रघुनाथसिंह : यह फैक्ट्री कहां पर होगी ? बनारस में ही होगी न ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : बनारस।

†**श्री शंकरैया** : क्या मैं जान सकता हूं कि ये रेलवे इंजन बड़ी लाइन के लिये ही होंगे या मीटरगेज के लिये भी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : पहले पहल ये बड़ी लाइन के लिये होंगे।

†**श्री हेडा** : क्या हम इस समय डीज़ल रेलवे इंजन नहीं बना रहे हैं। और यदि हां, तो ये रेलवे इंजन उनसे, जो हम बना रहे हैं, किस प्रकार भिन्न होंगे ?

†**श्री सें०वें० रामस्वामी** : जी, नहीं। हम रेलवे इंजन बना रहे हैं परन्तु वे उतनी अश्व-शक्ति (हार्स-पावर) के नहीं हैं। ये इंजन २००० से ३००० अश्व-शक्ति (हार्स-पावर) के हैं और इस कारखाने में इस प्रकार के रेलवे इंजन बनाये जायेंगे।

†**श्री हेम बरुआ**: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्थान बनारस में चुना गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह भी सच है कि आलको इस कारखाने के लिये परियोजना प्रतिवेदन आदि बन रहा है ?

†**श्री सें०वें० रामस्वामी** : जी, हां। सभी बातों के बारे में एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

†**श्री हेम बरुआ** : आलको द्वारा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी, हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

रेलवे खंडों का पुनर्गठन

†*१३३१. **श्री वेंकटासुब्बैया** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रशासनिक असुविधा और यात्रियों की कठिनाइयों आदि का ध्यान रख कर आन्ध्र प्रदेश में विद्यमान रेलवे खण्डों का पुनर्गठन करके एक खण्ड बनाने की वांछनीयता पर पुनः विचार करने का इरादा कर रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने अपना पहिला प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया है ; और

(ग) इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये **परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६६**]

†**श्री वेंकटासुब्बैया** : सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है कि कुशलता, संचालन और संगठनात्मक सुविधा के कारण पुनर्वर्गीकरण किया गया है। यात्रियों और व्यापार तथा वाणिज्य का अनुभव अन्यथा है। इस प्रदेश को विभिन्न रेलवे प्रदेशों के अन्तर्गत रखा गया है जिसके परिणामस्वरूप असुविधा बहुत हो गयी है और कठिनाई हो गयी है, क्या मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना कर सकता हूं कि वह देखें कि कम से कम यात्रियों और वाणिज्य तथा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रादेशिक आधार पर एक संयुक्त जोन बनाया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक प्रश्न में सुझाव, तर्क, आलोचनाएं सभी शामिल कर लिये गये हैं ? क्या वह कोई और प्रश्न पूछना चाहतेहैं ?

†**श्री वेंकटासुबैय्या** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सरकार को कई शिकायतें मिली हैं कि जनता की आवश्यकता पर ध्यान देने में अधिक असुविधा हो रही है और कार्यकुशलता की भी कमी है; यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह केवल पहले प्रश्न को दोहरा रहे हैं।

†**श्री शाहनवाज खां** : हमें केवल एक ही रेलवे से नहीं अपितु लगभग सभी रेलवे से शिकायतें मिली हैं और जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है, उस पर ध्यान दिया जाता है।

†**श्री नम्बियार** : क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के कार्य-भार (वर्क लोड) के लिये निर्धारित संचालन कुशलता और इंडैक्स के आंकड़े चरम सीमा को पार कर गये हैं और दक्षिण रेलवे में अन्य रेलवे का एक भाग जोड़ कर इसके दो जोन करने की भी आवश्यक समझा गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम नहीं समझते कि यह चरम-सीमा पर पहुंच गया है। जैसा कि वर्ष १९६१ में अनुमान लगाया गया था, दक्षिण रेलवे पर कार्य-भार (वर्क-लोड) १८० है और हम समझते हैं कि उसकी व्यवस्था हो सकती है।

†**श्री हेडा** : क्या यह सच है कि विजयवाड़ा और वाल्टेयर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां सामान्यतः कुछ घंटे देर से चलती हैं और इसका मुख्य कारण यह है कि यह दक्षिण जोड़ में दूर तक फैला हुआ क्षेत्र है।

†श्री शाहनवाज खां : मुख्य कारण यह है कि रेलवे लाइनों को दोहरा करने का कार्य और अन्य कार्य प्रगति पर है। और जैसे ही वह पूरा हो जायेगा, मुझे विश्वास है कि रेलगाड़ियां अधिक समय पर चलने लगेंगी।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग

†*१३३४ **श्रीहरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में वर्तमान सदस्य कौन कौन हैं, उनकी वरिष्ठता और योग्यतायें क्या क्या हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वे सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं और आयोग उनकी नियुक्ति किस प्रकार करता है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १००]**

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि इस निकाय में, बोर्ड में, असन्तोष है जिसके परिणामस्वरूप एक सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया है और इस बोर्ड में नियुक्ति के लिये चुने गये एक अन्य सदस्य ने नियुक्ति से इन्कार कर दिया है ? वास्तविक स्थित क्या है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य यह कैसे कह रहे हैं कि उनमें असन्तोष है । किसी ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है । मद्रास से एक इंजीनियर संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य चुना गया था । उनकी नियुक्ति के बारे में मद्रास सरकार के साथ पत्र-व्यवहार किया जा रहा है । वे उनको छोड़ने में संकोच कर रहे हैं और हम अब भी उनसे पत्र-व्यवाहर कर रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि पहले केवल बोर्ड के सदस्यों को ही, जब वे विशिष्ट इंजीनियर चुने जायें और उनको प्रशासनिक अनुभव हो, अध्यक्ष बनाया जाता था । क्या मैं यह समझूं कि बोर्ड के वर्तमान सदस्य अध्यक्षता के लिये अपेक्षित अर्हता-प्राप्त नहीं हैं ।

†**श्री अलगेशन** : पहले यह भी बताया गया था कि विस्तृत प्रक्रिया बनाई गयी है । इस सम्बन्ध में नियम बनाये गये हैं । उन सभी व्यक्तियों के नाम, जो अध्यक्ष के पद के लिये पात्र हैं, संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिये जाते हैं । जब केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के अध्यक्ष पद के लिये जब भर्ती की जाती है, तो सदस्यों के नाम भी भेजे जाते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : सदस्यों के लिये क्या अर्हतायें अपेक्षित हैं और इसके ऊपर अध्यक्ष-पद के लिये क्या अतिरिक्त अर्हता चाहियें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह ब्योरे में पड़ रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : कुछ अर्हता तो निर्धारित करनी ही चाहिये ।

†**श्री अलगेशन** : यदि सदन मुझे आज्ञा दे तो मैं इस सम्बन्ध में बनाये गये नियम पढ़ूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

कोचीन पत्तन

†***१३३७. श्री मे० क० कुमारन** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन पत्तन में हाल के महीनों में मीठे पानी का अभाव रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मीठे पानी के अभाव के कारण कोचीन पत्तन जाने वाले जहाजों को कोलम्बो जैसे अन्य पत्तनों को भेजा जाता है ;

(ग) यदि हां, तो १९६२ में अब तक इस प्रकार कितने जहाज अन्य पत्तनों को भेजे गये ;

(घ) कोचीन पत्तन में मीठे पानी के संभरण के लिये फिलहाल की गई व्यवस्था का ब्योरा क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) कोचीन पत्तन में मीठे पानी के संभरण को सुनिश्चित करने के लिये यदि कोई कदम उठाये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०१**]

†**श्री मे० क० कुमारन :** विवरण में यह बताया गया है कि मीठे पानी की कमी के कारण दो या तीन जहाजों को कोलम्बो भेजा गया । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन दो या तीन जहाजों के अतिरिक्त, पानी की कमी के कारण इस पत्तन में आने वाले जहाजों की औसत संख्या में कोई सामान्य कमी हुई है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं नहीं समझता कि इस कारण कोचीन पत्तन में नौवहन यातायात में कोई कमी हुई है ।

†**श्री मे० क० कुमारन :** विवरण में यह भी कहा गया है कि १५४ लाख रुपये की लागत की एक योजना क्रियान्वित करने के लिये केवल सरकार द्वारा कार्य आरम्भ किया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह योजना कब आरम्भ की गयी थी, क्या यह निर्धारित कायक्रम के अनुसार चल रही है और क्या यह अपेक्षित समय में पूरी हो जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** हमें पूरी आशा है कि, जैसा कि विवरण में बताया गया है, यह दो या तीन वर्षों में पूरी हो जायेगी ।

†**श्री वारियर :** क्या इस निर्माण के लिये आवंटित इन १५४ लाख रुपयों में से केन्द्रीय सरकार इस योजना की कार्यान्वित के लिये राज्य सरकार को कुछ धन दे रही है ?

†**श्री राज बहादुर :** जहां तक इस निर्माण का सम्बन्ध है, वह राज्य सरकार के साथ बातचीत का मामला है और हम जल संभरण के लिये दर निर्धारित करते समय उस पर अवश्य ध्यान देंगे ।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर :** ऊपरी और भूमिगत तालाबों को भरने की वर्तमान योजना क्या है क्योंकि नयी योजना के अन्तर्गत पानी का वर्तमान संभरण प्रतिदिन के इस्तेमाल के लिये पर्याप्त नहीं हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** तीन बातें हैं । एक १५४ लाख रुपये की लागत की दीर्घ-कालीन योजना है । दूसरी अल्प-कालीन योजना है । अल्वाये से एक पाइपलाइन, जो १२ इंची पाइप लाइन है. . .

†**श्री० नी० श्रीकान्तन नायर :** मेरा प्रश्न यह है । दो भूमिगत और एक ऊपरी तालाब बनाये जा रहे हैं । वर्तमान संभरण केवल ५ लाख गैलन प्रति दिन है । अतः आकस्मिक-रूप से होने वाली कमी को पूरा करने के लिये इन को किस प्रकार भरा जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** यह उस पाइप लाइन से भरे जायेंगे जो नयी बिछाई जा रही हैं ।

†**श्री मे० क० कुमारन :** केरल में कुछ समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं कि सम्बन्धित अधिकारियों की उपेक्षा के कारण पत्तन को नुक्सान हो रहा है । क्या इसमें कोई सचाई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : मैं विश्वास दिलाता हूं कि, दीर्घकालीन और अल्प-कालीन दोनों, आवश्यक कदम उठाये गये हैं । वास्तव में अल्पकालीन कदम हाल में ही, १३ मई, १९६१ को पूरे हुए और तब से पत्तन को प्रतिदिन ४ १/२ से ५ लाख गैलन पानी मिल रहा है ।

सामुदायिक विकास के लिये प्रा .धिक कर्मचारी

†*१३३८. **श्री जैना** : क्या **सामुदायिक ि.कास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों में प्रविधिक कर्मचारियों की भीषण अभाव होने के फलस्वरूप सामुदायिक विकास के कार्य को बहुत क्षति पहुंच रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) किन किन राज्यों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज्य सहकार मत्रालय म उपमंत्री (श्री ब० सृ० मूर्ति) :** (क) और ( ) कुछ राज्यों में प्रविधिक कर्मचारियों के अभाव ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को किसी हद तक अवश्य प्रभावित किया है । प्रत्येक राज्य के लिये मंजूर कर्मचारियों की कुल संख्या तथा सामुदायिक विकास खण्डों में प्रविधिक कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में अभाव दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०२]।**

(ख) राज्य सरकारें कर्मचारियों के अभाव को दूर कर रही हैं । वे आसपास के राज्यों से विभागीय स्थानान्तरण और अधिकारियों की सेवायें प्राप्त करके कर्मचारियों के अभाव को दूर करने के लिये अस्थायी उपाय भी कर रही हैं ।

†**श्री जैना** : जब यह योजना कार्यान्वित की गई थी तब कर्मचारियों के अभाव को ध्यान में रखा गया था ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : जी, हां ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : इस बात को देखते हुए कि इन एककों को प्रविधिक कार्य सौंपा जा रहा है, सरकार प्रविधिक कर्मचारियों के अभाव को कब तक दूर करने का इरादा रखती है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** प्रविधिक अफसरों के अभाव को दूर करने के लिये सभी कदम उठाये जा रहे हैं जहां तक खण्ड विकास अधिकारियों का सम्बन्ध है, गुजरात उड़ीसा और जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ शेष सभी राज्यों में ये अधिकारी पर्याप्त संख्या में हैं ।

जहां तक ग्राम सेवकों का सम्बन्ध है, आसाम, जम्मू और काश्मीर, मद्रास और मैसूर में स्थिति अच्छी नहीं है और इनकी शीघ्रातिशीघ्र भर्ती और प्रशिक्षण के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

†**श्री महेश्वर नायक :** उड़ीसा में प्रविधिक कर्मचारियों के अभाव के कारण कितनी राशि व्ययगत हुई और इस व्ययगत राशि को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** भर्ती के लिये इकट्ठा अनुदान दिया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री वेंकटा सुब्बया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वेंकटा सुब्बया :** विभिन्न विभागों से जो प्रविधिक कर्मचारी लिये जाते हैं वे अपने विभागों में वापस जाना चाहते हैं। इस बात को देखते हुए क्या सरकार सामुदायिक विकास के सभी कार्यों के लिये प्रविधिक कर्मचारियों की अलग से भर्ती करने का इरादा रखती है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** जैसा कि स्थिति है, विभिन्न विभागों से प्रविधिक कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करना संभव नहीं है। इन्हें खुले बाजार से भर्ती करना तो और भी कठिन होगा।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि बी० डी० ओज़ के मुकाबले में ओवरसीयर्ज की ज्यादा कमी है जिससे उन कम्युनिटी प्राजैक्ट एरियाज़ में काम बन्द हो गया है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** माननीय सदस्य का यह कथन कि काम बिल्कुल बंद हो गया है, सही नहीं है। कर्मचारियों के अभाव के कारण काम जैसा होना चाहिये वैसा नहीं हो पा रहा है। मैं बता चुका हूं कि राज्य सरकारें प्रविधिक कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण ही नहीं वरन् उन्हें शीघ्रातिशीघ्र नियुक्त करने के लिये सभी संभव कदम उठा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री प्र० के० देव।

†**श्री विभूति मिश्र :** अध्यक्ष महोदय, मैंने ओवरसीयर्ज के बारे में खास तौर से पूछा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। श्री प्र० के० देव।

श्री प्र० के० देव : विवरण से पता चलता है कि उड़ीसा और नेफा में क्रमश: २४ और २५ खण्ड विकास अधिकारी कम हैं। उड़ीसा में प्रविधिक कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिये क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण यही ठोस कदम हैं।

†**श्री वारियर :** प्रविधिक कर्मचारियों के अभाव को पूरा करने के लिये कितनी नयी प्रशिक्षण संस्थायें शुरू की गई हैं और क्या कोई राज्य इस प्रयोजन के लिये अपने अतिरिक्त कर्मचारी दे सकता है और यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस संभावना की जांच की है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** ग्राम सेवक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या १०० से बढ़ाकर १२० कर दी गयी है और आज हमारे पास १० स्थितिज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

श्री बड़े : क्योंकि बी० डी० ओज़ की कमी है, इसलिए क्यों तहसीलदारों को बी० डी० ओ० नहीं बना दिया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

†**श्री बड़े :** यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है।

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** जब मैंने प्रश्न को अस्वीकार कर दिया तो मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये इतने उत्सुक हैं। माननीय सदस्य को मेरा निर्णय स्वीकार करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में भूमिगत और ऊपरी रेलवे

+

†*१३३९. { श्री प्र० के० देव :
श्री ई० मधुसूदन राव :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बेरवा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री बिशन चन्द सेठ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन उपक्रम के ट्रैफिक मैनेजर ने दिल्ली मैनेजर दिल्ली और नई दिल्ली में यातायात का निर्बाध रूप से चलाने के लिये भूमिगत (अन्डरग्राउंड) रेलवे 'मोडियन स्ट्रिप सिस्टम' और उपरि (आवरहेड) रेलवे बनाने की एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या यह योजना विचार के लिये सरकार को पेश कर दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि

†*१३४०. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा में खाद्यान्नों, विशेषतः चावल के मूल्य में हाल की वृद्धि और कुछ स्थानों में संभरण की भारी कमी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस असामान्य स्थिति के बारे में तथ्यों का पता लगाया है ; और

(ग) इस मामले में यदि कोई कदम उठाये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) से (ग). उड़ीसा में खाद्यान्नों के मूल्य कुछ बढ़े हैं और राज्य सरकार से पता चला है कि कटक, बालासोर और फूलबनी इन तटवर्ती जिलों के कुछ हिस्सों में खाद्यान्नों का संभरण मांग की अपेक्षा कम रहा है । राज्य सरकार अन्य जिलों का अतिरिक्त चावल इन जिलों को भिजवा रही है और तटवर्ती जिलों के इन हिस्सों में खुदरा दूकानों के जरिये चावल का वितरण और सुलभ किया जा रहा है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में चावल २ रुपये सेर बिकता है और वह इस लिये कि खाद्य महाखण्ड बनने के कारण अधिकांश चावल और धान पश्चिम बंगाल भेजा जाता है जिससे इन क्षेत्रों में अभाव होता है और मूल्य बढ़ जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** चावल के जो मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में थे उनमें लगभग ४ रुपये प्रति मन की वृद्धि हुई है। किन्तु इस वृद्धि का कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ा क्योंकि महाखण्ड बन जाने के बाद और पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी फसल हो जाने के फलस्वरूप मूल्य जरूरत से ज्यादा गिर गये। वास्तव में राज्य सरकार इस क्षेत्र को खाद्यान्न के स्टाक तेजी से भेज रही है। राज्य सरकार के पास लगभग १५,००० टन चावल का पुराना स्टाक है। इन क्षेत्रों में उचित मूल्य पर चावल देने के लिये दूकानें खोल दी गयी हैं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या यह सच है कि लोगों को धान चाहिये किन्तु राज्य सरकार के पास धान का कोई स्टाक नहीं है ? यदि हां, तो क्या भारत सरकार लोगों को धान देगी ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह सही नहीं है। १५,४१३ टन के स्टाक में धान भी शामिल है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** इसमें कितना चावल है और कितना धान है और कितना अभाव है ?

†**श्री अ० म० थामस :** उस में काफी धान है।

"सी-आइलेंड" में कपास की खेती

†*१३४१. { + श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 'सी-आइलैंड' कपास की खेती को प्रोत्साहन देने की सभी योजनाओं को छोड़ने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री वारियर :** क्या यह सच है कि इस किस्म के कपास की खेती के लिये नियुक्त क्षेत्रीय कर्मचारियों को नौकरी से अलग करने को सूचना दे दी गई है और वे लोग बेरोजगार हो गये हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** जी, नहीं। यह सही नहीं है। केरल में इस किस्म के कपास की खेती उतनी सन्तोषजनक नहीं हो रही है। इसलिये इस योजना को अन्य राज्यों में कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है जहां खेती अच्छी हो सकती है।

†**श्री वारियर :** क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि केरल में ही यह खेती क्यों असफल रही है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** इसका कारण यह है कि वहां के लोग धान की खेती के अभ्यस्त हैं और उन्हें कपास की खेती की पूरी जानकारी नहीं है। इसलिये सी-आइलैन्ड कपास की खेती की योजना अन्य राज्यों में कार्यान्वित करने की संभावना की जांच की जा रही है और उसे अन्य राज्यों में कार्यान्वित किया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मे० क० कुमारन : केरल राज्य को तीसरी पंचवर्षीय योजना में सी-आइलैन्ड कपास की खेती को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्या केरल में इस खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई शिक्षाप्रद कार्यक्रम चलाया जाता है ?

†डा० राम सुभग सिंह : आंकड़ों से पता चलता है कि इस खेती को महत्व देने के बावजूद केरल में वह सफल नहीं रही। १९६०-६१ में केरल और मैसूर में ३०,००० एकड़ भूमि में इस कपास की खेती की जाने वाली थी किन्तु वास्तव में ८,१८१ एकड़ भूमि में खेती की गई। अन्य वर्षों में भी यही स्थिति रही है ।

†श्री मे० क० कुमारन : इस खेती का रकबा बढ़ाने के लिये क्या किसानों के बीच शिक्षाप्रद प्रचार करने का इरादा है ?

†डा० राम सुभग सिंह : जी, हां। रकबा बढ़ाने के लिये ही नहीं वरन् इस फसल की किस्म को बढ़िया बनाने के उद्देश्य से भी इस पहल की जांच की गई है। किन्तु फसल की किस्म को बढ़िया बनाने में हमें कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो रही है।

†श्री अ० क० गोपालन : क्या केरल में दो जगहों में कर्मचारियों को नौकरी से अलग करने की सूचना दी गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें कहीं और भेजा जायगा ? मंत्री महोदय ने कहा है कि जहां तक सी-आइलैन्ड कपास के उत्पादन का सम्बन्ध है, योजना छोड़ नहीं दी गयी। इन कर्मचारियों की क्या स्थिति है ?

†डा० राम सुभग सिंह : कर्मचारियों की सेवा के बारे में हम माननीय सदस्य की इच्छा को ध्यान में रखेंगे। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी राय में भी केरल में इस कपास की खेती सफल न होगी। तब भी हम कोशिश करेंगे कि यह खेती बन्द न हो और कर्मचारियों को भी कठिनाई न हो ।

†श्री वेंकटा सुब्बया : क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पहले प्रार्थना की थी कि चूंकि राज्य के कुछ स्थानों की आबोहवा केरल राज्य जैसी है इस लिये यह योजना आन्ध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जाय ? यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में सरकार योजना को प्रयोग के तौर पर कार्यान्वित करने का इरादा रखती है ?

†डा० राम सुभग सिंह : यह योजना आंध्र प्रदेश में ही नहीं वरन् महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश और मद्रास में भी कार्यान्वित की जायेगी।

†श्री परम शिवन : कपास के अभाव को देखते हुये क्या सरकार का कपास के अधिकतम मूल्य बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ताकि इस खेती को बढ़ावा मिल सके ?

†डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में कपास का कोई अभाव नहीं है इस लिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री बड़े : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि चूंकि राज्य सरकारें कपास नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत किसानों को विशिष्ट प्रकार के कपास की खेती करने के लिये मजबूर कर रही हैं। इसलिये कपास का अभाव है ?

†डा० राम सुभग सिंह : मैं यह गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं कि देश में कपास का कोई अभाव नहीं है। हम कपास का निर्यात भी करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुग्रा** : श्रीमन्, ग्रौचित्य के प्रश्न पर मेरा निवेदन है। हाल ही में हमने पाकिस्तान के साथ कपास करार किया है ग्रौर चूंकि हमारे यहां कपास का ग्रभाव है इसलिये पाकिस्तान हमें कपास का संभरण करेगा।

†**डा० राम सुभग सिंह** : वास्तव में कठिनाई यह है कि माननीय सदस्य तथ्यों को जाने बिना प्रश्न पूछते जाते हैं। वे नहीं जानते कि देश में कपास का ग्रभाव नहीं है (**ग्रन्तर्बाधा**)।

†**ग्रध्यक्ष महोदय** : शांति शांति। पहले ग्रौचित्य के प्रश्न को लिया जाय। माननीय सदस्य केवल इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि जो उत्तर दिया गया वह सही नहीं है। क्या ग्रौचित्य का यही प्रश्न है ?

†**श्री हेम बरुग्रा** : इसका निर्णय तो ग्रापको करना चाहिये।

†**ग्रध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय के पास जो जानकारी होती है वह सभा में दे देते हैं। यदि माननीय सदस्य उसे सही नहीं समझते तो वे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं या बाद में मुझे लिख सकते हैं कि दिया गया उत्तर गलत है। मैं मंत्री महोदय से स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहूंगा। हम निर्णय कर सकते हैं कि सही उत्तर क्या है या कि कोई गलती हुइ है? ग्रौचित्य का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री हेम बरुग्रा** : श्रीमान् क्या कोई मंत्री यह कह सकता है कि सदस्य तथ्यों को जाने बिना प्रश्न पूछते जाते हैं। ग्रापको सदस्यों को संरक्षण प्रदान करना चाहिये। मंत्री महोदय को जानकारी सही है। किन्तु वे यह नहीं कह सकते कि सदस्य इस तरह प्रश्न पूछते जाते हैं।

†**एक माननीय सदस्य** : यह बात ग्रसंसदीय है। (**ग्रन्तर्बाधा**)।

†**ग्रध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। माननीय सदस्य मुझे भी मौका दें। वाद-विवाद गर्मी गर्मी में इस तरह की बात कह दना ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री भी इस तरह को बात न कहा करें।

†**श्री हेम बरुग्रा** : श्रीमन्, मेरा निवेदन है......

†**ग्रध्यक्ष महोदय** : मैंने माननीय सदस्य की शंका का समाधान कर दिया है। क्या ग्रब भी कोई ग्रौचित्य का प्रश्न है ?

†**श्री हेम बरुग्रा** : श्रीमन् मेरी कठिनाई यह है कि वे जब कभी मुझे लगता है कि किसी मंत्री के गलत कथन के फलस्वरूप ग्रौचित्य का प्रश्न उत्पन्न हो गया है तो मैं सभा का ग्रौर ग्रापका ध्यान उस बात की ग्रोर दिलाता हूं। ग्रौचित्य का प्रश्न है या नहीं इस बात का निर्णय तो ग्राप ही करेंगे। मेरा इरादा ग्रौचित्य का प्रश्न उठाने का कतई नहीं था....

†**ग्रध्यक्ष महोदय** : मेरा मतलब यह नहीं था। मेरी कठिनाई यह है कि माननीय सदस्य द्वारा तब तक जितने ग्रौचित्य के प्रश्न उठाये गये हैं उनमें शायद ही कोई ग्रौचित्य का प्रश्न रहा हो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि माननीय सदस्य कार्यवाही में बाधा उपस्थित करते हैं ग्रौर ग्रौचित्य के प्रश्न के नाम पर पूरक प्रश्न पूछ लेते हैं। श्री वारियार।

†**श्री हेम बरुग्रा** : श्रीमन्, ग्रापने मुझे गलत समझा है। मेरा निवेदन है ...

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसी बात है तो इसके लिये माननीय सदस्य का व्यवहार ही उत्तरदायी है ।

†श्री बड़े : श्रीमन्, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का पूर्ण उत्तर नहीं दिया ।

†अध्यक्ष महोदय उन्होंने उत्तर दिया है । वे माननीय सदस्य से सहमत नहीं हैं ।

†श्री बड़े : मेरा प्रश्न यह था कि क्या विभिन्न राज्य सरकार किसानों को विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार के कपास का बीज बोने के लिये मजबूर करती हैं ।

†डा० राम सुभग सिंह :ऐसा इस लिये किया जाता है कि विशिष्ट प्रकार का बीज उत्पादन के लिये उपयुक्त पाया गया है और उसे बोने से उत्पादन बढ़ सकता है ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री प्र० चं० बरुआ ।

पटसन की खेती

†*१३४२. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इस वर्ष पटसन की खेती कम एकड़ भूमि में होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस का कारण क्या है ; और

(ग) हालत को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इस वर्ष भारत में पटसन की खेती कम एकड़ भूमि में होने की सभावना है ।

(ख) १९६१–६२ में पटसन के मूल्य असाधारण रूप से ज्यादह होने के फलस्वरूप उसकी खेती का रकबा बहुत बढ़ गया था यहां तक कि कुछ राज्यों में किसानों ने धान की खेती की भूमि में भी पटसन की खेती की थी । १९६२–६३ में पटसन की खेती का रकबा कुछ कम हो सकता है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में बोनी के समय जलवायु अनुकूल नहीं थी और पटसन के मूल्य भी घट गये हैं ।

(ग) पटसन की खेती का रकबा बढ़ाकर नहीं वरन् प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाकर पटसन का अधिक उत्पादन करने की योजना बनाई गई है । इस दिशा में उठाये गये कदम इस प्रकार है :— (१) उन्नत बीजों का प्रयोग (२) उर्वरकों का अधिक प्रयोग (३) खेती के उन्नत तरीके और (४) पौधों के बचाव के उपाय ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या राज्य सरकारों से पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक कदम उठाने के लिये कहा गया है और यदि हां, तो उनकी सामान्य प्रतिक्रिया क्या है ?

†डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में गत मौसम में पटसन का उत्पादन असाधारण रूप से ज्यादह हुआ है । तीसरी योजना का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है बल्कि निर्धारित लक्ष्य से उत्पादन ज्यादह हुआ है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पटसन की खेती के क्षेत्र को सीमित कर दिया है; यदि हां, तो किस हद तक ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह :** सरकार के हस्तक्षेप के बिना ही किसान स्वयं पटसन या किसी अन्य फसल का क्षेत्र कम कर देते हैं और वे घटते मूल्यों के कारण ऐसा करते हैं। इस वर्ष मूल्य घटे हैं तो पटसन की खेती का रकबा भी किसी हद तक कम होगा।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने बताया कि जूट का उत्पादन ज्यादा हो गया है, इसलिए कीमत गिरने से जूट के उत्पादन के गिरने की आशंका है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या उपाय सोच रही है कि जिससे जूट की कीमत न गिरे और उत्पादन आगे बढ़े ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जो तीसरी योजना का लक्ष्य है उससे नीचे जूट का उत्पादन नहीं होने दिया जायेगा और यह भी देखा जायेगा कि जूट के उत्पादकों को कोई कठिनाई न होने पावे जिससे कीमत के चलते वे स्वयं जूट का उत्पादन घटा दें।

श्री महम्मद ताहिर : पटसन के मूल्य क्यों घटे हैं और क्या पटसन की वस्तुओं के मूल्य भी उतने ही अनुपात में कम हुए हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** इसका मुख्य कारण है अत्यधिक उत्पादन।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार ने पटसन के लिये कोई बुनियादी मूल्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो क्या उत्पादन की लागत का ध्यान रखा गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** हम कृषि की सभी वस्तुओं के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का सोच रहे हैं। जहां तक पटसन का सम्बन्ध है हम ने उसे न्यूनतम मूल्य तो नहीं कहा किन्तु अब समय आ गया है कि इस सिद्धान्त को अन्य वस्तुओं पर लागू किया जाये।

†**श्री त्यागी :** क्या मूल्य निर्धारित किया गया ?

†**श्री स० का० पाटिल :** ३० रु० प्रति मन।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** माननीय राज्य-मंत्री ने बताया कि तीसरी योजना के निर्धारित लक्ष्य से उत्पादन ज्यादा हुआ है। इस प्रकार अर्थहीन लक्ष्य किस आधार पर निर्धारित किये जाते हैं जो सरकार के प्रयत्न के बिना ही पूरे कर लिये जाते हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** योजना आयोग ने हमारी आवश्यकताओं के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया है और हमारा उत्पादन लक्ष्य से कुछ ज्यादा रहा है किन्तु कुछ समय बाद हमारी आवश्यकतायें बढ़ सकती हैं इसलिये हमें उत्पादन के बारे में कोई चिन्ता नहीं है।

†**श्री यलमंदा रेड्डी :** क्या पटसन के महत्व को देखते हुए क्या उसका न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया, हम ने संविहित रूप से न्यूनतम मूल्य तो निर्धारित नहीं किया किन्तु उसे न्यूनतम मूल्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

†**श्री यलमंदा रेड्डी :** किन्तु यह मूल्य दिया नहीं जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० राम सुभग सिंह : पटसन के लिये विशाल स्टाक अभिकरण ३० रुपये प्रति मन की दर से पटसन खरीद रहा है और यदि मूल्य घट जाते हैं तो उस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

†श्री प्रभात कार : क्या पटसन का गत वर्ष का उत्पादन पटसन की मिलों की आवश्यकता से कम था, क्या पटसन के बड़े व्यापारियों की कार्यवाही के फलस्वरूप मूल्य घट गया है और क्या पटसन के बड़े स्टाक की व्यवस्था सरकार द्वारा या पटसन मिलों के संगठन द्वारा की जायेगी ?

†डा० राम सुभग सिंह : इस प्रश्न पर बराबर विचार किया जा रहा है और हम प्रयत्न करेंगे कि सभी असंगत बातें दूर कर दी जायें ।

दिल्ली में "विकास क्षेत्र"

†*१३४३. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कौन से क्षेत्र 'विकास क्षेत्र' घोषित किये गये हैं;

(ख) इन क्षेत्रों में से कितनों का आयोजन तथा विकास १९६२–६३ में तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा किया जाना है; और

(ग) इन क्षेत्रों में गांवों अथवा अनधिकृत रूप से बनाये गये इलाकों का विकास करने की क्या प्रस्थापना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०३]**

†**श्री शिव चरण गुप्त** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कहा गया है कि ३०९७ एकड़ भूमि को 'विकास क्षेत्र' घोषित किया गया है । भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है कि तीसरी योजना में लगभग ५००० एकड़ भूमि का विकास किये जाने की आशा है । इन दोनों में क्या फर्क है ?

†**डा० द० स० राजू** : पहले लगभग ५००० एकड़ भूमि का विकास किये जाने की संभावना थी। किन्तु, बाद में कोई ११०० एकड़ भूमि नगर निगम को गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये दी गई और इसलिये इतना क्षेत्र कम हो गया । इसके बाद दिल्ली विकास प्राधिकार कुछ और भूमि का अर्जन और विकास करना चाहता था इसलिये तीसरी योजना में विकास क्षेत्र लगभग ५००० एकड़ होगा ।

†**श्री शिवचरण गुप्त** : तीसरी योजना की प्रस्थापनाओं के अनुसार दिल्ली में लगभग ८००० एकड़ भूमि का विकास किया जाना है और गन्दी बस्तियों को हटाने की योजनायें विकास क्षेत्र में शामिल नहीं हैं । इसलिये, माननीय मंत्री के उत्तर से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है ।

†**डा० द० स० राजू** : तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई ५००० एकड़ भूमि का विकास किया जायेगा ।

†**श्री शिवचरण गुप्त** : क्या सितम्बर, १९५७ में कुछ और क्षेत्रों को विकास क्षेत्र घोषित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है ? इस प्रस्ताव के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**डा० द० स० राजू** : यह तो की गई प्रगति पर निर्भर करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के अस्पतालों में पलंगों की कमी

\+
१३४४. { **श्री महेश्वर नायक :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अस्पतालों में पलंगों की कमी के कारण रोगियों को भरती नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) अस्पतालों में प्रवेश चाहने वाले रोगियों की संख्या उपलब्ध पलंगों की संख्या से कहीं अधिक है। पलंगों की इस कमी के होते हुए भी नाजुक हालत के रोगियों अथवा आपात रोगियों को भरती करने से कभी इन्कार नहीं किया जाता है।

(ख) यह समस्या सरकार के ध्यान में है और दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों में पलंगों की संख्या में यथा-सम्भव तीव्र गति से वृद्धि की जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि इन सब प्रश्नों की मांगों में चर्चा की गई थी और तब सब सूचना दी गई थी। श्री नायक।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या यह सच है कि गम्भीर और आपातकालीन मामलों में भी प्रवेश देने से मना कर दिया जाता है ? उस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि पलंगों के लिये रोगियों की सामान्य आवश्यकता क्या है और क्या आपातकालीन मामलों के लिये कोई अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था की गई है ?

†**डा० सुशीला नायर :** मैं पहले ही कह चुकी हूं कि आपातकालीन मामलों में प्रवेश देने से इन्कार नहीं किया जाता। अनुकूलतम मानक प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न होते हैं। पश्चिमी देशों मे, अमरीका में १५०० मामलों के लिये एक पलंग होता है, अमरीका २५०० के लिये तथा भारत में हमारे समूचे पलंग प्रति हजार ०.४ पलंग हैं और दिल्ली में प्रति हजार २.४ पलंग हैं।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या माननीय मंत्री हस्पतालों में गये हैं और उन्होंने वहां पर प्रवेश के लिये प्रतीक्षा कर रही लम्बी पंक्तियां देखी हैं ?

†**डा० सुशीला नायर :** साधारणतया रोगी ३ श्रेणियों में विभक्त हैं। पहले वे मामले आते हैं जो आपातकालीन होते हैं और जिन में विलम्ब से बहुत हानि हो सकती है। ऐसे मामलों को तुरन्त दाखिल कर लिया जाता है। ऐसे मामले भी हैं जहां आप्रेशन आदि दो या तीन महीनों बाद हो सकता है और कोई गंभीर बात नहीं होती। वे मामले प्रतीक्षा सूची में रखे जाते हैं और इसलिये एक प्रतीक्षा सूची होती है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री के पास इस तरह के आंकड़े हैं कि दिल्ली में इस समय कुल कितने पलंगों की व्यवस्था है, कितने लोगों को पिछले वर्ष दाखिले से इंकार किया गया और अगले दो तीन वर्षों में कितने पलंगों की और व्यवस्था की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : अभी उस दिन इस का जवाब दिया गया था।

श्री भक्त दर्शन : आंकड़े नहीं दिये गये थे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आंकड़े नहीं दिये गये थे ?

डा० सुशीला नायर : जी, आंकड़े करीब करीब दे दिये गये थे। अब वह लम्बे आंकड़े हैं। माननीय सदस्य यदि उनको लेना चाहते हों तो मेरे साथ बैठ जांय मैं उन सब आंकड़ों को उन्हें दे दूंगी।

श्री अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि इरविन अस्पताल में जो इमरजेंसी केसेज केजुएल्टी में जाते हैं उन की देखभाल ठीक ठीक नहीं होती है ?

डा० सुशीला नायर : कैजुएल्टी अपने देश में थोड़ी कमज़ोर है। उस को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है।

आसाम में सार्वजनिक टेलीफोन

†*१३४६. **श्री बसुमतारी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई लाइनों तथा तार आदि की कमी के कारण आसाम में बहुत से स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित नहीं किये जा सके ;

(ख) यदि हां, तो कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) कमी को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री भगवती) :** (क) से (ग). १३ सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय मंजूर किये गये हैं और अभी लगाये नहीं गये हैं। इन कामों के लिये माल संभरण में कुछ विलम्ब हो रहा है क्योंकि मांग तेजी से बढ़ रही है और साधन सीमित हैं। इन कार्यालयों के लिये खम्भों और तारों के लिये आर्डर दे दिये गये हैं।

†**श्री बसुमतारी :** सरकार के पास टेलीफोनों की कितनी अर्जियां निलम्बित पड़ी हैं ?

†**श्री भगवती :** निलम्बित अर्जियों की संख्या लगभग २२०० है।

†**श्री बसुमतारी :** अखबारी कागज की कमी के कारण टेलीफोन संदेशिकाएं अभी छापी नहीं गई हैं और जनता को कुछ कठिनाई हो रही है। वे कब छापी जाएंगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है।

†**श्री नम्बियार :** प्रश्न संख्या १३४७ और १३४९ इकट्ठे लिये जायें और इकट्ठा उत्तर दिया जाए, क्योंकि दोनों का विषय एक ही है।

†**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

†*१३४७. {श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री कोया :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि गत दो महीनों में—विशेषतः मई के उत्तरार्द्ध में—लगातार तथा तेजी से समुद्र द्वारा भूमि के कटाव के फलस्वरूप कालीकट (केरल) के निकट तटीय क्षेत्र को बहुत नुकसान हो रहा है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से नुकसान की मात्रा और खतरे की गंभीरता के बारे में कोई प्रतिवेदन मिला है अथवा उसने कोई प्रतिवेदन मांगा है ; और

(ग) पत्तन कार्यालय, गोदामों और अन्य प्रतिष्ठानों तथा कालीकट के निकट तटीय क्षेत्र को कटाव से बचाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** (क) और (ख). जी हां ।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०४]**

त्रिवेन्द्रम और कोचीन बन्दरगाहों में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

†*१३४९. **श्री प० कुन्हन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरका को ज्ञात है कि त्रिवेन्द्रम और कोचीन के पत्तनों में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव का अयात और निर्यात पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समुद्र द्वारा भूमि के कटाव के कारण केरल के लिये चावल के १० बोरे ले जाने वाला स्टीमर त्रिवेन्द्रम में नहीं उतार पाया था और उसको कोलम्बो जाना पड़ा था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) त्रिवेन्द्रम और कोचीन क पत्तनों में समुद्र द्वारा भूमि का कोई कटाव नहीं हुआ ।

(ख) जी नहीं । तथापि एक जहाज, जो मई, १९६२ में त्रिवेन्द्रम पत्तन पर माल उतार रहा था, कुछ थोड़ा सामान बोर्ड पर लिये हुए बेकरिंग के लिये कोलम्बो चल दिया और माल के साथ त्रिवेन्द्रम लौट आया । समुद्र की अवस्था खराब होने के कारण माल त्रिवेन्द्रम पत्तन पर नहीं उतारा जा सका और जहाज को शेष माल उतारने के लिये कोचीन लौटना पड़ा ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : इन क्षेत्रों में कितनी हानि हुई है ? अर्थात् मेरे प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर क्या है ?

†**श्री अलगेशन** : समुद्र द्वारा भूमि कटाव पिछले अप्रैल में हुआ और लगभग दो फरलांग लम्बी और पचास गज चौड़ी भूमि बहा दी गई थी जिससे कुछ इमारतों को हानि हुई और अंशतः

†मूल अंग्रेजी में

तार संचार प्रणाली बिगड़ गई और जल संभरण व्यवस्था में भी गड़बड़ी हो गई। कुल २६५५० रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा :** केरल में उस क्षेत्र में समुद्र द्वारा भूमि कटाव के कारण केरल की दूसरी योजना में कितनी भूमि नष्ट हो गई है और इसे रोकने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**श्री अलगेशन :** दूसरी योजना में उन्होंने कई योजनाएं कार्यान्वित की हैं और कुछ और चल रही हैं। अधिक सही बात यह है कि केरल की सरकार ने अगस्त, १९६१ में सूचना दी थी कि समुद्र द्वारा भूमि कटाव को रोकने की २० योजनाएं अर्थात् समुद्र की दीवारों आदि के निर्माण की योजनाएं दूसरी योजना के अन्त तक पूरी की गई हैं। ऐसी २४ योजनाएं चल रही हैं।

†**श्री मणिनयंगाडन :** केरल के लोगों और सरकार को जो वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयां हो रही हैं, समुद्र द्वारा प्रतिवर्ष भूमि कटाव के कारण, इनको दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा लोगों की रक्षा करने के लिये ग्रोइनज और समुद्र पर दीवारें बनाने के लिये राज्य सरकार को सहायता करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**श्री अलगेशन :** केरल सरकार कार्रवाई करती रही है। पहली योजना में उन्होंने ९,४९ लाख रुपये खर्च किये। दूसरी योजना में, विविध योजनाओं पर उन्होंने लगभग १८३ लाख रुपये की कुल राशि खर्च की। तीसरी योजना में भी, ३६० लाख रुपये के लिये व्यवस्था की गई है।

†**श्री प० कुन्हन :** मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि ३६० लाख रुपये की व्यवस्था तीसरी योजना में की गई है। क्या केरल सरकार ने अनुदान के तौर पर कुल राशि का ५० प्रतिशत की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कहा है ?

†श्री अलगेशन : केरल सरकार बाढ़ों के नियंत्रण के लिये और समुद्र द्वारा भूमि कटाव को रोकने के लिये उपाय करने के लिये धन खर्च कर रही है। राज्य सरकार को अनुदान देने का कोई सवाल नहीं है। यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। सुगम शर्तों पर ऋण सहायता की एक योजना है।

†**श्री वारियर :** इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि मौनसून ऋतु में समुद्र द्वारा भूमि कटाव की यह प्रति वर्ष की प्रवृत्ति है, और छोटे बड़े तथा मध्यम पत्तनों पर इसका कुप्रभाव पड़ता है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार केन्द्र की ओर से समस्या का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों का एक दल भेजने के प्रश्न पर विचार कर रही है और कब प्रभावी उपाय करेगी ?

†**श्री अलगेशन :** इस पर लगातार विचार किया जाता रहता है।

†**श्री मे० क० कुमारन :** केरल के लोक निर्माण विभाग के मंत्री ने हाल ही में तेल्लीचेरी में बताया है कि केरल सरकार ऋणों के द्वारा समुद्र द्वारा इस भूमि कटाव को रोकने का काम कर नहीं सकती, क्योंकि यह अलाभदायक कार्य है और इसलिये उनको केन्द्रीय सरकार से कुछ काफी अधिक सहायता की जरूरत है। क्या केन्द्रीय सरकार इस स्थिति पर पुर्नविचार करेगी और राज्य सरकार को सहायता देगी ?

†**श्री अलगेशन :** यह केवल केरल सरकार का प्रश्न नहीं है। हम राज्य सरकारों को ऋण सहायता देने को तैयार हैं।

†**श्री वारियर :** यह एक पुराना सुझाव है।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**श्री अलगेशन** : यह पुराना नहीं, नवीन प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कई बार पुरानी स्थिति ठीक हो सकती है ।

†**श्री अलगेशन** : जैसा कि मैंने कहा, हम ऋण देने को तैयार हैं और हमने योजना में इनकी व्यवस्था की है और ऋण तरीके से सुगम शर्तों पर दिया जा रहा है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या भारत सरकार को इस समस्या की गम्भीरता का ज्ञान है और यदि हां, तो क्या वह इस समस्या को आपातकालीन आधार पर निपटाने के लिये तैयार है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि केन्द्रीय और सम्बद्ध राज्य सरकार दोनों इस मामले पर विचार कर रही हैं और कष्ट को मिटाने के लिये प्रत्येक संभव कार्रवाई कर रही है ।

दिल्ली के चिड़ियाघर म जानवरों की मृत्यु

१३४८. श्री भक्त दर्शन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के चिड़ियाघर के अनेक बहुमूल्य जानवर पिछले दिनों किसी न किसी कारण मर गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). दिल्ली के चिड़ियाघर में हाल में हुई कुछ मृत्युओं के बारे में एक विवरण पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०५]**

(ग) जैसा कि उत्तर के भाग (क) और (ख) में बताया गया है, इतने बड़े चिड़ियाघर में और विशेष रूप से विकास के प्रारम्भिक दौर में इस प्रकार की मौतें आवश्यम्भावी हैं । पर्याप्त मात्रा में देख-रेख करने वाले कर्मचारी रखे गये हैं और जानवरों की उचित देखभाल के लिये कदम उठाये गये हैं जिनमें बीमारियों का शीघ्र उपचार और गर्मी के मौसम में आराम देना भी शामिल हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण के लिये धन्यवाद देते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर डाक्टरी इलाज की जो व्यवस्था की गई है, क्या मंत्री जी उस से संतुष्ट हैं, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, वहां पर केवल प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था है और पूरे इलाज की वहां व्यवस्था नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : जो चिकित्सा की बात माननीय सदस्य महोदय ने अभी कही, वह कुछ हद तक सही है । वैसे एक डाक्टर को वहां पर बहाल करने का यत्न किया जा रहा है और यथा-शीघ्र उन की बहाली की जायेगी । वह बहाली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से होने वाली है और उसी से देर हो रही है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी से मैं यह अनुरोध कर सकता हूं कि वह स्वयं इस स्थान पर जा कर इस का निरीक्षण करें और कमियों को दूर करने का प्रयत्न करें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य महोदय की बात बहुत विचारणीय है और ऐसी कार्यवाही की जायेगी, लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि इस चिड़िया-घर के बारे में कुछ समाचार हाल में प्रकाशित हुए थे। एक पत्र में एक टिप्पणि भी लिखी गई थी, लेकिन वह समाचार इतना सही नहीं था। मैं कारेस्पांडेंट्स को भी और माननीय सदस्य को भी दावत दूंगा कि वे जब चाहे, चल कर देखें। वहां पर जो भी त्रुटि होगी, उस को हम पूरा करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सुजानगढ़ के पोस्ट मास्टर की हत्या

*१३३२. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के चुरू जिले के सुजानगढ़ पोस्ट आफिस में कुछ बदमाशों ने पोस्ट मास्टर की हत्या कर दी थी और वे धै धन चुरा कर ले गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम चोरी गई ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सुराग लगा है ?

†**पविहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां।

(ख) ९०५.९३ रुपये नकद और ७८०० रुपये के कुल मूल्य के पांच बीमा पत्र।

(ग) ३१ मार्च, १९६२ को रुमाल में बंधा हुआ ७४६० रुपये के करेंसी नोटों का एक पुलिदा डाकघर के भंडार-कक्ष में पड़ा हुआ पाया गया था। पुलिस ने चार विभागिय कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर यह शक है कि उन्हों ने मृत व्यक्ति से दुश्मनी होने के कारण हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा आगे जांच की जा रही है।

गण्डक परियोजना

†*१३३३. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्डक परियोजना के संबंध में नेपाल स्थित भैंसालोटन में चालू किया गया प्रारंभिक काम मजदूरों में कोई महामारी फैलने के कारण धीमा पड़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय म उप मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

सिंचाई की सुविधायें

†*१३३५. { **श्री काशी नाथ पांडे** : **श्री मूल चन्द दुबे** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने प्रतिशत मौजूदा सिंचाई सुविधाओं का उपयोग किया जा चुका है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सिंचाई सुविधाओं के पूर्ण उपयोग के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) छोटे सिंचाई कार्यों में विद्यमान सुविधाओं का उपयोग लगभग ९० प्रतिशत है और बड़ी तथा मध्यम सिंचाई प्रायोजनाओं में लगभग ७६ प्रतिशत ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०६]**

विदेशों में पर्यटन सम्बन्धी प्रचार

†*१३३६. **श्री समनानी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों के समाचारपत्रों तथा अन्य प्रकाशनों में पर्यटन संबन्धी प्रचार पर १९६०-६१ और १९६१-६२ में कुल कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) ब्रिटेन और अमेरिका में जिन विज्ञापन अभिकरणों (एजेन्सियों) के जरिये प्रचार किया गया उनके नाम क्या हैं ;

(ग) इन विज्ञापन एजेंसियों के प्रचार कार्य के लिये जो ठेके दिये गये उनकी अवधि कब समाप्त होगी ;

(घ) जिस समय इन एजेंसियों को यह काम दिया गया तब क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी इस मामले से संबंध था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :**

(क) १९६०–६१ . . १८ लाख रुपये
१९६१–६२ . . . २१ लाख रुपये

(ख) इंगलैंड में मैसर्स जैमस सदरलैंड पबलिसिटी समिति ।

अमरीका में मैसर्स जेमस सीम्स ऐंड कंपनी ।

(ग) इन फर्मों के साथ करार निश्चित अवधि के लिये नहीं है, किन्तु उन पर पुनर्विचार होता रहेगा और यदि आवश्यकता होगी तो उन को तोड़ भी दिया जायेगा। मैसर्स सदरलड पबलिसिटी सीमित, लन्दन के साथ वाला करार १९६२ के अन्त तक समाप्त होने की संभावना है। मैसर्स जैमस सीम्स ऐंड कम्पनी के साथ वाले करार का, जो हमारे विज्ञापक अभिकर्ता हैं, कई वर्षों से पिछले वर्ष पुनर्विचार किया गया था और संभावना है कि उन के काम का पुनः इस वर्ष अग्रेतर विचार किया जायगा ।

(घ) जी नहीं।

विद्युत् जनन एकक

†*१३४५. { **श्री दी० म० चं० शर्मा :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात कार्यक्रम के रूप में देश में कमी वाले क्षेत्रों में छः मध्यम-आकार के विद्युत् जनन एकक स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो ये एकक कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) प्रस्थापना का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) छः आयल-फायरड गैस टरबाइन पैकेज संयंत्र आयात करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि कुछ राज्यों में बिजली की कमी पूरी की जा सके ।

(ख) और (ग) यदि इन संयंत्रों के लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो गई, तो आंध्र प्रदेश, मेसूर और पश्चिम बंगाल—बिहार क्षेत्र में १०० मैगावाट प्रत्येक वोली दो इकाइयां स्थापित करने का विचार है। प्रत्येक इकाई की लागत ६० लाख रुपये होने का अनुमान है, जिस पर ५० लाख रुपये तक विदेशी मुद्रा खर्च होगी ।

दामोदर घाटी निगम

†*१३५०. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने यह सुझाव दिया है कि दामोदर घाटी निगम को समाप्त कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो बिहार सरकार ने क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . सवाल पैदा नहीं होता ।

"पैकेज प्रोग्राम"

†*१३५१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली पर 'पेकेज प्रोग्राम' लागू करने का विचार है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) संक्षित ब्योरा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०७]**

कालीकट के निकट भारतीय मालवाही जहाज का डूब जाना

*१३५२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० मई, १९६२ को अरब सागर में कालीकट से लगभग ६० मील उत्तर में एक भारतीय मालवाही जहाज "रत्नागर सागर" डूब गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस के डूबने के कारणों, उसको बचाने के प्रयत्न तथा उसमें हुई धन-जन की हानि पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) और (ख). 'रत्नागर सागर' नामक सेलिंग वेसिल जो पोरबन्दर में रजिस्टर किया गया था, १८-५-६२ को एल्लीमिलई के पास तट से लगभग तीन मील दूर समुद्र में तूफ़ानी मौसम की चपेट में आ गया था जिस के परिणामस्वरूप इस जहाज को भारी हिचकोले लगे व इस में बाजू व नीचे के तल से पानी भर गया और यह पूरे माल के साथ समुद्र में डूब गया था। इस के कर्मीदल ने अपनी जाली बोट द्वारा अपनी जानें बचायीं। कोई भी हताहत नहीं हुआ।

उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाना

†२७०६. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल १९५८ से ३१ दिसंबर १९६१ तक उत्तर रेलवे पर विशेषकर भूतपूर्व बीकानेर रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में कितने स्टेशनों पर बिजली लगाई गई है ;

(ख) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में किन किन स्टेशनों पर बिजली लगाई गई है ; और

(ग) १९६२-६३ में किन स्टेशनों पर बिजली लगाये जाने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) २२१ स्टेशनों पर इस अवधि में बिजली लगाई गई है, जिनमें १५ स्टेशन भूतपूर्व बीकानेर रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र के हैं।

(ख) बीकानेर डिवीजन के निम्नलिखित स्टेशनों पर बिजली लगाई गई है जिनमें पहले १५ स्टेशन भूतपूर्व बीकानेर रेलवे के क्षेत्र में से हैं।

१. गजसिंहपुर
२. हनुमानगढ़
३. जेटसार
४. कनीना खास
५. केसरी सिंहपुर
६. महेन्द्रगढ़
७. नेपासार
८. पिली वंगन
९. रामसिंह नगर
१०. सरइस शहर
११. संगरिया
१२. श्री विजय नगर
१३. श्री डूंगर गढ़
१०. श्री करनपुर
१५. तहसील भाद्रा
१६. बरीवाला
१७. गढ़ी हरसरू
१८. जाखोद खेड़ा
१९. कोसली
२०. लेखवाली
२१. मण्डी आदमपुर
२२. पालम
२३. पटौदी रोड
२४. रामाँ
२५. सदर बाजार
२६. सतरोड़

(ग) दलपतसिंह पूत और कालाँवाली (बीकानेर डिवीजन) पर १९६२-६३ में बिजली लगाये जाने का विचार है। दलपतसिंह पूत भूतपूर्व बीकानेर रेलवे के क्षेत्र में आता है।

---

† मूल अंग्रेजी में

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा वापिसी उडान सेवा

†२७०७. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि इण्डियन एयरलाइन्स वाइकाउण्ट उड़ान संख्या ४०५ द्वारा वापिसी टिकट संख्या २१४२१३ के साथ जो २० तारीख को उसकी वापिसी यात्री के लिये बम्बई के आई० ए० सी० के कर्मचारी द्वारा यथोचित पृष्ठांकित था, बम्बई से दिल्ली तक यात्रा करने वाला एक व्यक्ति दिन के प्रारम्भिक घंटों में पालम हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था, क्योंकि वापिसी उड़ान स्थान उपलब्ध नहीं था ; और

(ख) यदि हाँ, तो जनता को होने वाली ऐसी असुविधा को रोकने के लिये सरकार क्या कार्य-वाई करने का विचार करती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). एक यात्री जिसके पास टिकट संख्या २१४२१३ था जो बम्बई के यात्रा अभिकर्ता द्वारा जारी किया गया था, जो आई० ए० सी० का एक अभिकर्ता था और जिस पर स्वयं अभिकर्ता ने २० अप्रैल १९६२ को उड़ान आई० सी० ४०५ द्वारा दिल्ली/बम्बई वापिसी यात्रा के लिये पृष्ठांकन किया था, उस उड़ान में स्थान प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि अभिकर्ता ने आई० ए० सी० से स्थान पूछे बिना टिकट पर पृष्ठांकन कर दिया था। टिकट पर अनधिकृत पृष्ठांकन का प्रश्न निगम ने अभिकर्ता से उठाया, जिसने अपनी गलती पर खेद प्रकट किया और यात्री से क्षमा माँगी।

होटलों के बेटरों को बख्शिश

†२७०८. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सामने होटलों के बेहरों को बख्शिश देने का विनियमन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जबकि होटलों के बेटरों को बख्शिश देने का इस मूल्य में विनियमन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, पर्यटन विभाग, इस बात के लिये कि पर्यटकों से बख्शिश न माँगी जाए, अनुमोदित होटलों द्वारा लिये गये सेवा प्रभार के वितरण के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पर्यटन विभाग के विचाराधीन है।

(ख) इस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा संलग्न विवरण में दी गई है। **(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०८)**

(ग) यह प्रस्ताव होटल तथा रेस्तराँ संथा संघ को भेज दिया गया है। संघ के विचार प्राप्त हो चुके हैं और सरकार उन पर विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बकिंघम नहर

†२७०९. **श्री मे० क० कुमारन ।** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में बकिंघम तथा पश्चिम तट की नहरों के विकास के लिये व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हाँ।

(ख) मद्रास

१. मद्रास में बकिंघम नहर पर मोड़ने की सुविधाएं	५.०० लाख रुपये
२. बकिंघम नहर तथा इसके दो मार्गों की उन्नति	५.०० लाख रुपये
आन्ध्र प्रदेश	
१. वकिंघम नहर तक सड़क का सुधार	५.०० लाख रुपये
२. वकिंघम नहर और इसके दो पथों का सुधार	५.०० लाख रुपये
केरल	
१. बड़ामरा-माही नहर	२७.०० लाख रुपये
२. कोचीन से किलोन तक नहर का सुधार	१०.०० लाख रुपये
३. अन्य नहरें (व्यौरा अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ)	६३.०० लाख रुपये

५० लाख रुपये का नियत भी राज्य की योजना में केरल में जल मार्गों के विकास के लिये किया गया है। योजनाओं का व्यौरा अभी तय होना है।

(ग) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से माँगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में अनन्नास

†२७१०. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में अनन्नास का वार्षिक उत्पादन कितना होता है ;

(ख) राज्य से कितना वार्षिक निर्माण होता है और कितनी लागत का ;

(ग) क्या अनन्नास फल पर किये गये प्रयोगों और अध्ययनों से कोई परिणाम निकला है ;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या केरल में अनन्नास की खेती को सुधारने और विकास करने के लिये कोई कार्रवाई की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) ५०,००० टन।

(ख) ३०,००० टन——६० लाख रुपये की लागत का ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अनन्नास के वनस्पति सुधार सम्बन्धी अध्ययन तथा खेती बाड़ी सम्बन्धी प्रयोग आरम्भ किये जा चुके हैं। अभी निर्णयक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

(ङ) जी हां। १९५८ में त्रिचूर में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को वित्तीय सहायता के साथ एक अनुसन्धान केन्द्र आरम्भ किया गया है। विभिन्न प्रकार के अनन्नासों की तुलनात्मक उपयुक्तता तथा उनकी उपज एवं उन को डिब्बों में बन्द करने की किस्मों, पैदा करने के पहलुओं, खाद सम्बन्धी आवश्यकताओं, नाशक कीड़ों और बीमारियों आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया जा रहा है।

केरल में नर्सों को प्रशिक्षण

†२७११. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल से १००० अभ्यर्थियों को उपचारिकाओं के तौर पर प्रशिक्षण देने की एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उस पर कोई कार्रवाई की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

समुद्रगढ़ स्टेशन का प्लेटफार्म ऊंचा करना

†२७१२. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **रेलवे** मंत्री ८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के समुद्रगढ़ स्टेशन का प्लेटफार्म ऊंचा करने के लिए कितनी रकम मंजूर की गयी है ;

(ख) इस स्वीकृत रकम में से अब तक कितनी रकम खर्च हुई है ;

(ग) काम की कितनी प्रगति हुई है और अभी तक कितना काम पूरा किया जा चुका है ;

(घ) निर्माण-कार्य के लिए कौन सा एजेन्ट नियुक्त किया गया है, क्या वह ठेकेदारों की कोई गैर-सरकारी फर्म है या स्वतः रेलवे ही है ; और

(ङ) यह काम पूरा करने में असाधारण देर होने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ४६,१५९ रुपये।

(ख) ५,००० रुपये।

(ग) (१) प्रगति——१० प्रतिशत।

---

†अंग्रेजी में

(२) अस्थायी रेल लेवल प्लेटफार्म पूरा किया गया है और उसे इस्तेमाल किया जा रहा है ।

(घ) यह काम ठेकेदार के जरिये किया जा रहा है ।

(ङ) कोई असाधारण देर नहीं हुई है। इस काम में गति निर्बन्धन लागू करना होता है। चूंकि रिलेइंग, इंटरलाकिंग वर्क्स और पुलों के निर्माण आदि के कारण अनेक गति-निर्बन्धन लागू किये गये हैं, इसलिये यह काम कई दौरों में पूरा करना होगा और प्रगति अवश्य ही कुछ मंद होगी।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण

†२७१३. **श्री सरजू पांडेय** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई विस्तृत योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या राय है ; और

(ग) १९६१-६२ की बाढ़ के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कितनी रकम मंजूर की ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख): आवश्यक जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०९**]

(ग) सामान्यतया, बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर खर्च करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अनुदान राज्यों को नहीं दिया जाता। ऐसे कार्यों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का रूप १०० प्रतिशत ऋण होता है। १९६१-६२ में उत्तर प्रदेश सरकार को ८०.२ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया था ।

वाराणसी छावनी में रेलवे क्वार्टर

†२७१४. **श्री सरजू पांडेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में मडुआडीह और वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन पर १९६१-६२ में रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रत्येक प्रकार के कुल कितने क्वार्टर बनाये गये ; और

(ख) इन स्थानों पर १९६२-६३ में प्रत्येक प्रकार के कुल कितने क्वार्टर बनाये जाने वाले हैं ।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १९६१-६२ में वाराणसी में टाइप ३ और टाइप ४ के क्वार्टर बनाये गये थे। मडुआडीह के संबंध में, यह मान लिया जाता है कि माननीय सदस्य का आशय मडुआडीह स्टेशन से है। १९६२-६३ में डिजल लोकोमोटिव

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्क्स के कर्मचारियों सहित रेलवे कर्मचारियों के लिए वाराणसी, मडुआडीह और वाराणसी तथा मडुआडीह स्टेशनों के बीच भी निम्नलिखित संख्या में क्वार्टर बनाये जाने का विचार है :—

	वाराणसी	मडुआडीह	वाराणसी और मडुआडीह के बीच
टाइप १ . . .	६७	१०७	८०
टाइप २ . .	३८	३०६	२४
टाइप ३ . .	१३	२७	४
टाइप ४ . .	२	—	१
टाइप ४(क) .	—	९	—
टाइप ५ . .	—	६	—
टाइप ६ .	—	३	—
कुल . .	१२०	४५८	१०९

उत्तर प्रदेश में माल गोदाम

†२७१५. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में १९६१–६२ में कितने माल गोदाम खोले गये और १९६२–६३ में कितने खोले जाने वाले हैं ?

†**खाद्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : सेन्ट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन ने १९६१–६२ में उत्तर प्रदेश में कोई मालगोदाम नहीं खोला है लेकिन १९६२–६३ में दो मालगोदाम खोलने का उसका विचार है ।

उत्तर प्रदेश म सिंचाई और बिजली योजनायें

†२७१६. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी सिंचाई और बिजली योजनाएं मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार के पास फिलहाल पड़ी हुई हैं (उनकी रकमों और प्रत्याशित लाभ के ब्यौरों सहित); और

(ख) पिछले एक साल में ऐसी कितनी योजनाएं अस्वीकार कर दी गयी हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११०**]

(ख) कोई योजना अस्वीकार नहीं की गयी है ।

पूर्वोत्तर रेलवे में यात्री शेड

†२७१७. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के कितने स्टेशनों पर यात्री-शेड नहीं लगाये गये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चालू वर्ष में उस रेलवे में कितने यात्री शेड़ बनाये जाने वाले हैं ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी रकम मंजूर की गयी ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ४९६ स्टेशनों पर प्लेटफार्मों पर छत नहीं लगायी गयी है। लेकिन इनमें से अधिकतर स्टेशनों पर वेटिंग हॉल हैं।

(ख) २७ स्टेशन ।

(ग) लगभग ६,८२,००० रुपये ।

उड़ीसा में तम्बाकू की खेती

†२७१८. श्री उलाका : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में उड़ीसा में, जिलेवार, कुल कितनी जमीन में तम्बाकू की खेती की गयी ;

(ख) क्या १९६०–६१ में तम्बाकू की कुल खेती के मुकाबले में उड़ीसा में तम्बाकू की फसलों की खेती कम होती दिखायी पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार १९६१–६२ में उड़ीसा में लगभग ११००० एकड़ जमीन में तम्बाकू की खेती की गयी। जिलेवार आंकड़े और अंतिम अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार कोई कमी नहीं दिखायी पड़ी है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४

†२७१९. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४ का गजोल रायगंज भाग पूरा करने के लिए ऊंची प्राथमिकता दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार की सिफारिश किन आधारों पर मंजूर नहीं की गयी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय राजपथ के इस भाग में दस पुलों की सिफारिश की है। ये पुल तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जायेंगे और ये उन तीन पुलों के अलावा है जो पहले ही उसमें शामिल किये जा चुके हैं। धन की कमी के कारण, दस पुलों में से केवल दो पुल ही अब तक योजना में शामिल किये जा सके। यथासंभव बाकी पुलों को चालू योजना में शामिल करने के प्रयत्न किये जायेंगे, जब कि राष्ट्रीय राजपथ निर्माण कार्य के लिए अधिक धनउपलब्ध होगा, फिर भी धन संपूर्ण भाग में सड़क निर्माण कार्य चालू योजना अवधि के दौरान नपूरा करने के लिए शामिल किया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ललित पुर रेलवे स्टेशन पर पंखे

२७२०. **श्री माते** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ललित पुर रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) पर यात्रियों के प्रतीक्षालाय व आफिस में बिजली के पंखे नहीं लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) बिजली की सप्लाई के सम्बन्ध में म्युनिसिपैलिटी से बात-चीत तय हो जाने पर पंखे लगाने का विचार है ।

टाटानगर स्टेशन की इमारत में दरारें

†*२७२१. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में टाटानगर के नये स्टेशन की इमारत में दरारें पड़ गयी हैं ;

(ख) रेलवे अधिकारियों का ध्यान इस दरार की ओर कब गया ; और

(ग) जिस ठेकेदार ने यह बनाया था क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग) . जी नहीं । इमारत के मुख्य ढांचे में कोई दरारें नहीं हैं । कुछ बारीक दरारें इस्पात के काम और ईंटों के काम की जोड़ पर प्लैस्टर में दिखलायी पड़ी हैं, जो तापमान के कारण हैं और इस ढंग की इमारतों में अप्रत्याशित नहीं है । उनसे इमारतों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ता । इसलिए ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिहार में डाक

†२७२२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्रों से उत्तरी क्षेत्रों में और उसके विपरीत, हवाई जहाज से डाक ले जाने के प्रश्न पर अभी हाल में विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या नतीजा निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) अभी हाल में इस विषय पर विचार किया गया है लेकिन उसकी और अधिक छानबीन करने का विचार है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुना-मक्सी रेलवे लाइन

२७२३. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुना-मक्सी रेलवे लाइन के निर्माण में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में इस रेलवे लाइन के पूर्ण होने की संभावना है ;

(ग) इस पर कुल मिलाकर कितना अनुमानित व्यय होगा ; और

(घ) क्या यह भी कुछ संभावना है कि भविष्य में इसे शिवपुरी तक मिला दिया जाये ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जमीन प्राप्त करने की कारंवाई की जा चुकी है। आशा है १-१०-१९६२ से निर्माण-कार्य शुरू हो जायेगा।

(ख) आशा है कि लाइन दिसम्बर, १९६५ तक यातायात के लिए खोल दी जायगी।

(ग) ९,६०,४९,३३३ रुपये ।

(घ) जी नहीं।

ग्वालियर से शिवपुरी तक रेलवे लाइन

२७२४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को क्या कुछ ऐसे ज्ञापन प्राप्त हुए हैं कि ग्वालियर से शिवपुरी जाने वाली रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष भर में इस लाइन पर जो कुल मिलाकर व्यय होता है उस से आय का प्रतिशत कुछ अधिक है ;

(घ) क्या इस रेलवे लाइन में कुछ सुधार करने का प्रस्ताव किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हाँ।

(ख) इस मामले पर विचार किया गया है। इस समय इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का सरकार का कोई विचार नहीं ।

(ग) जी नहीं।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में रेल-पथ में कुछ छोटे-मोटे सुधार करने का विचार है।

पश्चिम रेलवे पर बिना टिकट यात्रा

२७२५. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९६० से जून, १९६१ तक कई बारातें व अन्य पार्टियाँ टी० टी० ई० के सहयोग से पश्चिम रेलवे में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ी गई थीं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि बिना टिकट यात्रा कराने वाले ट्रवलिंग टिकिट एग्जामिनरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करके उनके मामलों को दबा दिया गया था ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). इस आशय की दो शिकायतें मिली थीं कि इस अवधि में पश्चिम रेलवे में चल टिकिट परीक्षकों द्वारा दो बारातें मुफ्त ले जायी गयीं, लेकिन ये आरोप निश्चितरूप से सिद्ध न हो सके।

त्रिपुरा की रैयत

†२७२६. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पाँच वर्षों में बकाया लगान की वसूली के लिए त्रिपुरा की रैयतों के नाम कुल कितने संसित और सर्टिफिकेट नोटिस जारी किये गये ;

(ख) इनका बकाया लगान इकट्ठा होने के क्या कारण थे ?

†**खाद्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

त्रिपुरा की रैयत

†२७२७. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की रैयत के एक बहुत बड़े समुदाय को लगान की दरें बढ़ाने के लिए नोटिसें दी गयी हैं ;

(ख) ये दरें किस आधार पर बढ़ायी जा रही हैं ;

(ग) क्या ये दरें बढ़ाने के लिए त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त को कोई अभ्यावेदन दिये गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि दो दरें बढ़ाने की ये नोटिसें वापिस ले ली जायें और वर्तमान दरों की एक नयी सूची की घोषणा करने वाली नोटिसें जारी की जायें ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) कमलपुर और खोवाई सब-डिविजनों तथा सदर सब डिविजन में सिंधाई और विशालगढ़ पुलिस चौकियों के संबंध में लगान दरों की एक प्रारूप सूची प्रकाशित की गयी है।

(ख) वर्तमान दरें बहुत ही कम हैं और देश में दूसरी जगह प्रचलित दरों के बराबर उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है।

(ग) जी हाँ।

(घ) जो आपत्तियाँ उठायी गयी हैं उन पर उनके गुण दोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स फैक्टरी, मद्रास

†२७२८. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्थित गिन्डी में हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स फैक्टरी के लिए आवश्यक जमीन प्राप्त कर ली गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने इमारत के नक्शों और अनुमान तैयार कर लिये हैं और मंजूर कर लिये हैं ;

(ग) क्या इसके लिए कोई विदेशी परामर्शदाता नियुक्त किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी परामर्श फीस कितनी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हाँ।

(ख) जब कि कंपनी ने इमारत के नक्शे और अनुमान मंजूर कर लिये हैं, वास्तविक निर्माण-कार्य मद्रास सरकार को सौंप दिया गया है।

(ग) और (घ). जी नहीं। कारखानों के नक्शे और डिजाइन के संबंध में, इटली के मेसर्स ओलिदेत्ती की जिसके सहयोग से कारखाना कायम किया जा रहा है, राय ली गयी है। नक्शे, हिसाब और कारखाने के नक्शे और साज सामान की लागत के तौर पर मेसर्स ओलिदेत्ती को २९,३१,००० लिरा के बराबर लगभग २२,५४६ रुपये की इकट्ठी रकम दी जानी हैं।

रंगमहल और मिलीबेग के बीच रेलवे लाइन

२७२९. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर डिवीजन के रंगमहल और मिलीबेग स्टेशनों के बीच की रेल पटरी को पूर्व के स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर बिछाया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसे बदलने का कारण क्या है ;

(ग) चक ३४ एस० टी० जी० के हरिजन काश्तकारों की कितने एकड़ भूमि रेल पटरी के नीचे आ गई हैं, जिसके कारण फसलों को क्षति पहुंची है ;

(घ) क्या मंत्रालय ने हरिजनों को उनकी फसलों की हानि के लिये कोई मुआवजा दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को कितना धन दिया गया ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) शायद माननीय सदस्य का मतलब रंगमहल और मिलीबेग स्टेशनों के बीच के रेल-मार्ग से नहीं बल्कि रंगमहल और पीलीबंगा स्टेशनों के बीच के रेल-मार्ग से है। इन दोनों स्टेशनों के बीच लगभग ३.२५ मील लम्बी लाइन नये एलाइन्मेंट पर बनायी जा रही है।

(ख) राजस्थान नहर की सूरतगढ़ शाखा के लिए रेलवे लाइन पर एक नया पुल बनाने की ज़रूरत है। चूंकि नये पुल पर लाइन की सतह को ८ फुट ऊंचा उठाना है, इसलिए यह तय किया गया है कि नया पुल एक नये एलाइन्मेंट पर बनाया जाय।

(ग) से (ङ). इस काम के लिए कम से कम ८५.९२ एकड़ ज़मीन की आवश्यकता थी जो राजस्थान नहर अधिकारियों द्वारा प्राप्त कर ली गयी है। चूंकि यह काम उन्हीं के खर्च से से किया जा रहा है, इसलिए इसके लिए जो जमीन ली गयी है उसकी कुल क्षतिपूर्ति भी उनके द्वारा की जायेगी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली जैसलमेर राजपथ

२७३०, **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर से होते हुए दिल्ली से सीधे जैसलमेर तक कोई राष्ट्रीय राजपथ बनाने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहदुर) : (क) जी नहीं, हाल ही मे केवल राष्ट्रीय राजमार्ग का रास्ता आगरा-जयपुर से बीकानेर तक बढ़ाया गया है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

बम्बई के डाकतार कर्मचारी

†२७३१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई डाक मंडल में डाक तार विभाग के कुछ कर्मचारियों की सेवाएं केन्द्रीय सेवाएं (अस्थायी सेवाएं) नियम, १९४९ के अधीन समाप्त कर दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन मामलों में गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों का पालन किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने उन आदेशों को वापिस ले लिया है और उन कर्मचारियों को फिर रख लिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां। १९६१ में १५ कर्मचारियों को नौकरी से मुक्त कर दिया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) वापिस लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। केन्द्रीय असैनिक सेवाएं (अस्थायी सेवाएं) नियम, १९४९ के अधीन, महानिदेशक को पूरा पूरा अधिकार है कि उसी नियम के नियम ५ के अधीन सेवा से मुक्त किये गये कर्मचारियों के मामले पर पुनर्विचार करे। चार मामलों पर विचार किया जा रहा है। बाकी आठ कर्मचारियों की ओर से उन आदेशों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

आन्ध्र प्रदेश के लिये विदेशी मुद्रा

†२७३२. { **श्री वेंकटा सुब्बैया** : **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : **श्री गौरी शंकर** : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य मे बिजली की कमी दूर करने के लिए, जिसकी वजह से महत्वपूर्ण उद्योग बन्द पड़ गये हैं, गेस टरबाइन खरीदने के लिए केन्द्रीय सरकार से विदेशी मुद्रा देने की प्रार्थना की है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रार्थना पर विचार करेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

क्षय रोग के अस्पताल

†२७३३. **श्री भगवत झा आजाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में क्षयरोगियों की चिकित्सा के लिए आयोजित संख्या में चिकित्सालय स्थापित किये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी यगी ।

दिल्ली में बस दुर्घटनायें

†२७३४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक दिल्ली में बस दुर्घटनाओं के कारण कितने लोग आहत हुए या मर गये और उन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित अवधि में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बस दुर्घटनाओं में ५० व्यक्ति मारे गये और ४४२ को चोट पहुंची। इन दुर्घटनओं का रुपेय कारण ये थे :—

(१) बिना सोचे समझे और असावधानी से गाड़ियां चलाना;

(२) बहुत तेजी से गाड़ियां चलाना;

(३) पैदल चलने वालों और साइकिल वालों की असावधानी;

(४) दोष-पूर्ण सड़कें; और

(५) कुहरा, अंधड़ और भारी वर्षा जैसी मौसमी हालत ।

दण्डकारण्य क्षेत्र में रेलवे लाइनें

†२७३५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंडकारण्य क्षेत्र में रेलवे लाइनें बढ़ाने की परियोजना कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ख) क्या दण्डकारण्य क्षेत्र में बसे हुए विस्थापित व्यक्तियों की सुविधाओं पर विचार करते हुए, कोई लाइन बरास्ता जगदलपुर, जयपुर और कोरापुट तैयार की गई है ;

(ग) क्या रेलवे लाइन बनाने के लिए रोजगार देने के मामले में विस्थापित व्यक्तियों को कोई प्राथमिकता दी जाती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो १९६१ में इस प्रकार कितने लोगों को रोजगार दिया गया और उनकी कुल कमाई कितनी थी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) बैलादिल्ला को कोट्टावलासा के साथ जोड़ने वाली २७० मील लम्बी एक बड़ी लाइन जो दण्डकारण्य क्षेत्र से होकर गुजरती है, बनायी जा रही है ।

(ख) चूंकि इस लाइन का मुख्य उद्देश्य बैलादिल्ला से विशाखापत्तनम् तक कच्चा लोहा लाना ले जाना है, फिर भी यह लाइन चुनने में वर्तमान महत्वपूर्ण नगरों और दण्डकारण्य पुनर्वास योजना के क्षेत्रों के विकास के लिए आयोजित विभिन्न बहूप्रयोजनी परियोजनाओं की आवश्यकताओं पर उचित ध्यान दिया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हल्दिया पत्तन

†*२७३९. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री भगवत झा आजाद : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में पत्तन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) इस परियोजना के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है;

(घ) क्या विदेशों से कोई वित्तीय एवं प्रविधिक सहायता मिल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो किन शर्तों के अन्तर्गत ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) नहीं, श्रीमान् । हल्दिया क्षेत्र में एक नई पत्तन प्रणाली के निर्माण के लिये प्रारम्भिक जांच की जा रही है ।

(ख) अभी तक हुई प्रगति इस प्रकार है : परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो गया है; लन्दन अथोरिटी के पत्तन के विशेषज्ञों से परामर्श किया गया है और एक बृहद् योजना (मास्टर प्लान) को अन्तिम रूप दिया गया है ।

(ग) अभी तक कोई राशि मंजूर नहीं की गई है, परन्तु तीसरी योजना में ७ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

(घ) और (ङ). विदेशी मुद्रा व्यय की पूर्ति के लिये कालान्तर मे विश्व बैंक से एक ऋण लेने का विचार किया जा रहा है । हल्दिया गोरियों के निर्माण के लिये आवश्यक प्रविधिक सहायता कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के ब्रिटेन स्थित परामर्शदाता इंजीनियरों, मेसर्स रेण्डल, पालमेर एण्ड ट्राइटन द्वारा दी जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में तपेदिक रोग

†२७३७. **श्री बीरेन दत्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के विभिन्न अस्पतालों में मार्च, १९६१ से मार्च, १९६२ तक तपेदिक के कितने मामले पंजीबद्ध किये गये;

(ख) कितने मामलों में सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को सहायता दी; और

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी राशि दी गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) ६५० ।

(ख) २२४ ।

(ग) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापमान (अर्थात् प्रत्येक रोगी के लिये २० रुपये प्रति माह तक और परिवार के लिये ३० रुपये प्रति माह तक) के अनुसार प्रत्येक मामले में ५० रुपये तक ।

दिल्ली परिवहन

†२७३८. **श्री भगवत झा आजाद** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन की बसों को खराब हो जाने पर प्रायः सड़क के बीच में ही छोड़ दिया जाता है ;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन की इस लापरवाही से सामान्य जनता को बहुत असुविधा हो रही है ; और

(ग) क्या दिल्ली परिवहन इस मामले पर कोई ध्यान दे रहा है जब कि उसका ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). दिल्ली परिवहन के चालकों और पर्यवेक्षक कर्मचारियों को विशेष हिदायतें दी गई हैं कि यांत्रिक खराबी आ जाने के मामले में बसों को स्वयंसेवक प्राप्त करके अथवा परिवहन की जीपों का प्रयोग करके ढकेल कर एक ओर कर दिया जाये । परन्तु कभी-कभी बसों में ऐसी खराबी आ जाती है कि उनको उस स्थान से नहीं हटाया जा सकता है और उससे यातायात के आवागमन में कुछ कठिनाई होती है । दिल्ली परिवहन पदाधिकारी ऐसे मामलों की ओर विशेष ध्यान देते हैं और ऐसी खराबियों को ठीक कराने के लिये रेडियो टेलीफोन प्रणाली की तुरन्त सहायता ली जाती है ।

होटल निर्माण निगम

†२७३९. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक होटल निर्माण निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या उस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). सरकार ने अभी तक होटल निर्माण निगम के निर्माण के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है। परन्तु सरकार का ध्यान समय-समय पर होटलों का स्थान बढ़ाने के मार्गोपाय निकालने के प्रश्न की ओर आकर्षित हुआ है।

रेलवे भोजनयानों में काम करने वाले कर्मचारी

†२७४०. **श्री नम्बियार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे भोजनयानों के सर्वर, क्लीनर तथा अन्य कर्मचारी औसतन महीने में ३०० घंटे से अधिक काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके काम के घंटे कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को ५ वर्षों की सेवा के पश्चात् स्थायी बना दिया जाता है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या ऐसे कर्मचारियों को जिनके मुख्यालय दिल्ली में हैं टर्मिनल स्टेशनों पर क्वार्टर और विश्राम कक्ष दिये जाते हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी नहीं, उन लोगों को छोड़ कर जो मध्य रेलवे की ३ रेलगाड़ियों और पूर्वोत्तर रेलवे की एक रेलगाड़ी पर काम कर रहे हैं।

(ख) उनके कार्य के घंटों को रेलवे कर्मचारी (रोजगार के घंटे) नियम, १९६१ के घंटों के अनुसार रोसटर करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) और (घ). जी नहीं ; अभी भोजनयानों का विभागीय संचालन, दक्षिण-पूर्व रेलवे को छोड़ कर जहां अधिकांश कर्मचारी स्थायी बनाये जा चुके हैं, अस्थायी आधार पर है।

(ङ) इन असारभूत (नान एसेन्शल) कर्मचारियों को क्वार्टर पंजीबन्धन की प्राथमिकता के अनुसार आवंटित किये जाते हैं। उनको टर्मिनल स्टेशनों पर विश्राम कक्षों के प्रयोग करने की मनाही नहीं है।

रासायनिक उर्वरक

२७४१. **श्री रामेश्वरानन्द** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रासायनिक खादों के उत्पादन पर सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितना धन व्यय किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि यह धन पशु पालन पर व्यय किया जाये तो इससे अधिक उन्नत खाद उत्पन्न हो सकेगी ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में परीक्षण के तौर पर कोई प्रयत्न किये हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या र ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) उर्वरकों के उत्पादन के लिये सरकार प्रत्यक्ष रूप से कोई खर्च नहीं करती। कुछ रुपया लगाया गया है और कारखानों के

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादन को एक निजी कारखाने के उत्पादन की तरह बेचा जाता है। १९५६-५७ से ले कर सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों की स्थापना और विस्तार में निम्न प्रकार पूंजी लगाई गई है :--

वर्ष	अंश पूंजी में लगा रुपया (लाखों रुपयों में)	दिये गये ऋण (लाख रुपयों में)
१९५६-५७ .	१७८.५४	१७२.००
१९५७-५८ . .	२५६.००	१३२.००
१९५८-५९ .	४७५.००	१२४.००
१९५९-६० . .	६६०.००	११६.००
१९६०-६१ . .	६९०.००	१२५.००
१९६१-६२ . .	---	७८५.००

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). उर्वरक और गोबर की खाद के तुलनात्मक मूल्यांकन के अध्ययन के लिये परीक्षण किये गये हैं। परीक्षणों से पता चला है कि दोनों ही सम्पूरक हैं और समस्त भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि, विभिन्न फसलों और विभिन्न जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों, जल सम्भरण और मितव्ययिता की मौजूदगी में प्रयोग के लिये कोई एक दूसरे का पूर्ण रूप से स्थान नहीं ले सकता। हालांकि गोबर की खाद देश की खाद सम्पत्ति का एक बड़ा भाग है, फिर भी "केवल" गोबर की खाद के लिये किसी पशुपालन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

केरल में इडुकी परियोजना

†*२७४२. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री उमानाथ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक साल पहले इडुकी जलागम क्षेत्र से कितने परिवारों को हटाया गया था ;

(ख) क्या उन्हें कोई प्रतिकर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उनके पुनर्वास योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). मई, १९६१ में इडुकी जलागम क्षेत्र के रक्षित वनों से उपाक्रमणकारियों के १,७७२ परिवारों को हटाया गया था। इन में से ५५३ परिवारों की अपनी अन्य भूमि तथा मकान थे। शेष परिवार भूमिहीन थे। उनको केरल सरकार ने पुनर्वास के लिये दुमिली के अमरावती रक्षित क्षेत्र में भेज दिया। अमरावती भेजे गये प्रत्येक परिवार को केरल सरकार द्वारा एक एकड़ भूमि आवंटित की गई और निम्नांकित सुविधाएं दी गई :---

(१) २५ रुपये का पिण्ड राशि अनुदान ;

†मूल अंग्रेजी में

(२) पुनर्वास की तारीख तक निःशुल्क चिकित्सा सहायता और राशन ; और

(३) झोंपड़े बनाने के लिये १५ बांस मुफ्त देना ।

रेलवे में 'मेरीन स्टाफ'

†२७४३. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड के पूर्वोत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मेरीन स्टाफ (समुद्रीय कर्मचारियों) को उनकी सेवा शर्तों तथा अन्य सुविधाओं के विनियमन के प्रयोजन के लिये एक नियंत्रण अथवा प्राधिकार के अन्तर्गत लाने के प्रस्ताव अथवा सिफारिश पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उस निर्णय को कब से लागू करने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) पूर्वोत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के 'मेरीन स्टाफ' को पूर्व रेलवे के नियंत्रण के अन्तर्गत लाने के एक प्रस्ताव पर रेलवे मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था परन्तु उसका प्रयोजन पर्यवेक्षण एवं संधारण तथा संचालन की जिम्मेदारी था न कि उनकी सेवा शर्तों का विनियमन । रेलवे के समुद्रीय कर्मचारियों की सेवा-शर्तों तथा अन्य सुविधाओं का प्रशासन सदा रेलवे मंत्रालय द्वारा समय-सम्य पर जारी किये गये आदेशों द्वारा किया गया है ।

(ख) सम्बन्धित रेलवे प्रशासनों को ५-६-१९६१ को उस निर्णय को लागू करने की सलाह दी गई थी ।

तिरुकोयलूर रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय

†२७४४. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के दक्षिण आर्काट जिले के तिरुकोयलूर रेलवे स्टेशन (एस० आई० आर०) पर प्रथम श्रेणी के यात्रियों और महिलाओं के लिये कोई प्रतीक्षालय क्यों नहीं बनाया गया है जब कि वहां की जनता ने प्राधिकारियों से उसके लिये अभ्यावेदन भी किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा की व्यवस्था कब की जायेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) तिरुकोयलूर रेलवे स्टेशन पर उच्च श्रेणी के यात्रियों का आवागमन इतना नहीं है कि उनके लिये पृथक प्रतीक्षालय बनाया जा सके ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ

†२७४५. **श्री जेना** : क्या **परिवहन संतथा चार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजपथ योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी परियोजनायें सम्मिलित हैं ;

(ख) उनके क्रियान्वयन के लिये कितनी धनराशि आवण्टित की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उनमें से कितनी दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरी की जा सकी है और कितनी अभी अधूरी हैं ; और

(घ) उड़ीसा में दूसरी योजना अवधि में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के सम्बन्ध में सफलता का समस्त प्रतिशत क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) उड़ीसा की दूसरी पंचवर्षीय योजना में ९४ राष्ट्रीय राजपथ निर्माण कार्य, जिनमें ४१ कार्य वे भी सम्मिलित हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किये गये थे, सम्मिलित थे। इन कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १११]**

(ख) १४३.६४ लाख रुपये आवंटित किये गये थे जिन में से १३५.०६ लाख रुपये काम में लाये गये।

(ग) दूसरी योजना अवधि में ४४ कार्य पूरे हुए तथा ४७ अभी चल रहे हैं। तीन कार्य मंजूर नहीं किये गये क्योंकि राज्य सरकार से विस्तृत प्राक्कलन नहीं प्राप्त हुए थे।

(घ) ९४.४ प्रतिशत।

टिक्करपाड़ा और भीमकुण्ड बांध

†२७४६. **श्री जेना** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में महानदी पर टिक्कर-पाड़ा में और वैतरणी नदी पर भीमकुण्ड में बांध बनाने के लिये प्रारंभिक जांच की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह जांच कब शुरू की गई थी और वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख).

टिक्कड़पाड़ा बांध परियोजना

परियोजना के लिये जांच को उड़ीसा सरकार ने उच्च प्राथमिकता दी है तथा वह चल रही है। जांच के लिये राज्य के १९६१-६२ के बजट उपबन्ध किया गया था और १९६२-६३ के बजट में भी उस के लिये उपबन्ध सम्मिलित है।

भीमकुण्ड परियोजना

उड़ीसा सरकार भीमकुण्ड परियोजना की भी जांच कर रही है। जांच, जलाशय सर्वेक्षण को छोड़ कर, जून, १९६३ तक पूरी हो जाने की आशा है।

उड़ीसा में हादागड़ बांध परियोजना

†२७४७. **श्री जेना** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सलानदी पर हादागड़ बांध के निर्माण की परियोजना कब प्रारम्भ की गई थी;

(ख) इस परियोजना के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है और अभी तक उस पर कितनी राशि व्यय की गई हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी होगी और उस के लिये अभी कितने धन की और जरूरत होगी ; और

(घ) परियोजना के पूर्ण हो जाने पर कितनी भूमि में सिंचाई हो सकेगी और कितनी बिजली पैदा की जा सकेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) हादागढ़ बांढ परियो-योजना (सलानयी परियोजना) पर प्रारंभिक कार्य वर्ष १९५९-६० में शुरू किया गया था।

(ख) परियोजना में मूलतः ४६५.६० लाख रुपये की लागत लगने का अनुमान लगाया गया था जैसाकि योजना आयोग ने अनुमोदन किया था। ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार ने परियोजना का पुनरीक्षण किया है तथा अब उस में ५१० लाख रुपये की लागत लगेगी। पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

दूसरी योजना अवधि के अन्त तक ३४.६१ लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

(ग) परियोजना के तीसरी योजना अवधि में ४७५.३९ लाख रुपये के व्यय से १९६५.६६ तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

(घ) परियोजना के पूर्ण हो जाने पर २.२५ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। यह विशुद्ध सिंचाई परियोजना है और बिजली पैदा करने का कोई विचार नहीं है।

कृषि विश्वविद्यालय

†२७४८. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं ;

(ख) वे कहां-कहां स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) क्या उन में प्रवेश के लिये कोई स्थानीय निवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) एक।

(ख) उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में पन्तनगर में।

(ग) विश्वविद्यालय सब व्यक्तियों के लिये खुला है और स्थानीय आवास संबंधी कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। परन्तु २५ प्रतिशत सीटें उत्तर प्रदेश से भिन्न राज्यों के विद्यार्थियों के लिये रक्षित हैं।

गन्ने का मूल्य

†२७४९. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जौरा चीनी मिल ने गन्ने के लिये निर्धारित रेल केन्द्र पर १.५० रुपये प्रतिमन मूल्य का भुगतान नहीं किया है ; और

यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). माल डिब्बों के न मिलने के कारण जौरा चीनी मिल ने नामली और दोधार केन्द्रों से सड़क द्वारा गन्ना मंगाया

†मूल अंग्रेजी में

जिन को मध्य प्रदेश सरकार ने रेल केन्द्र बनाया था और इस गन्ने के लिये अनुज्ञेय कटौतियां कर के १.४४ रुपये प्रतिमन का भुगतान किया। किसानों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सरकार ने इस मामले को विवाचन के लिये निर्दिष्ट किया है।

नई दिल्ली की सड़कों पर गढ़े

†२७५०. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में मार्केट रोड और रीडिंग रोड के चौराहे पर एक गढ़ा रीडिंग रोड से गोल मार्केट और कनाट प्लेस को जाने वाली मोटरगाड़ियों के लिये पिछले कुछ दिनों से खतरा पैदा कर रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि भूतकाल में अनेक बार सड़कों पर ऐसे बड़े गढ़े यातायात के लिये समस्या बन चुके हैं और उन पर बहुत दिनों तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में और इस लापरवाही के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को दंडित करने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, नहीं। मार्केट रोड और रीडिंग रोड के चौराहे पर इस समय कोई गढ़ा नहीं है।

(ख) सड़कों पर कभी कभी गढ़े देखने में आये हैं परन्तु उन को भर दिया गया है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर रेलवे के जोधपुर डिवीजन के कर्मचारी

†२७५१. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व जोधपुर राज्य चिकित्सा विभाग के कर्मचरियों, अप्रैल, १९५० से उत्तर रेलवे के जोधपुर डिवीजन में ले लिये गये हैं, पर अभी भी राजस्थान के वेतन क्रम लागू किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन चिकित्सा कर्मचारियों पर उत्तर रेलवे के वेतनक्रम लागू करने के लिये पिछले बारह वर्षों में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) सेवा की शर्तों तथा निबन्धनों को तय करने के लिये उत्तर रेलवे और राजस्थान सरकार के बीच निरन्तर लिखापढ़ी चल रही है। आशा है कि शीघ्र फैसला हो जायेगा।

अन्तर्देशीय पत्रों की दरें

†२७५२. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोस्टकार्डों की तरह शहर के अन्दर भेजे जाने वाले अन्तर्देशीय पत्रों और लिफाफों के मूल्य कम न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या इस प्रकार के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) क्योंकि इस से विभाग को बहुत हानि होगी ।

(ख) जी, नहीं ।

ट्रेन एक्ज़ामिनरों के वेतन-क्रम

†२७५३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेतन आयोग द्वारा ट्रेन एक्ज़ामिनरों के लिये जिन वेतन-क्रमों की सिफारिश की थी क्या उन्हें पूर्व रेलवे में लागू नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ;

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग) जगन्नाथ दास वेतन आयोग द्वारा जिन वेतन-क्रमों की सिफारिश की गई और जो सरकार ने स्वीकार किये थे उन्हें पूर्व रेलवे के ट्रेन एक्ज़ामिनरों के मामले में लागू कर दिया गया है किन्तु निम्नतम प्राधिकृत वेतनक्रम के कुछ कर्मचारियों का मामला अभी अनिर्णीत है जिसे जल्दी ही निबटा दिया जायेगा ।

दिल्ली में सड़कों पर होने वाली दुर्घटनायें

†२७५४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १९६०-६१ और १९६१-६२ में सड़कों पर कितनी दुर्घटनायें हुई और उन के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि हाल में इन दुर्घटनाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है ; और

(ग) दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** :(क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

अवधि	दुर्घटनाओं की कुल संख्या	दुर्घटना के फलस्वरूप मृत व्यक्तियों की कुल संख्या
१-४-१९६० से ३१-३-१९६१ . . .	४८४३	१५५
१-४-१९६१ से -३-१९६२ . . .	६४४८	१७७

(ख) जी, हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(१) कनाट प्लेस में भारी यातायात के घंटों में परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को पकड़ने तथा उनके मामले निबटाने के लिये ३ न्यायाधीश तैनात कर दिये गये हैं।

(२) नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के सभी क्षेत्रों में एक चलता-फिरता न्यायालय पूरे समय काम करता है।

(३) भारी यातायात के घंटों में महत्वपूर्ण सड़कों पर परिवहन के नियमों के उल्लंघन के मामलों का पता लगाने तथा यातायात रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायता देने के लिये मोटर सायकल के दस्ते भेजे जाते हैं।

(४) जिन सड़कों पर दुर्घटनायें होने की आशंका रहती है उन पर वाहनों की गति पर नियन्त्रण रखने के लिये अक्सर जांच की जाती है।

(५) टैक्सी-चालकों, आटो-रिक्शा चालकों, मोटर, सायकल रिक्शा चालकों और तांगों द्वारा सिनेमा समाप्त होने पर सार्वजनिक सड़कों पर यातायात अवरोध को दूर करने के लिये सभी महत्वपूर्ण सिनेमाघरों पर परिवहन कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(६) कुछ संकरी सड़कों पर भारी वाहनों का आनाजाना रोक दिया गया है।

(७) बड़ी सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और जहां कहीं आवश्यक हो वहां परिवहन की सुविधा के लिये सिग्नल लगाये गये हैं। चौराहों पर गोल प्लेटफार्म बनाये गये हैं। कुछ सड़कों पर साइकल सवारों के लिये अलग रास्ते भी बनाये गये हैं।

(८) रेलवे अधिकारी जमुना नदी के वर्तमान पुल पर पदचारियों और साइकल सवारों के लिये एक कैन्टीलीवर पुल बनाने पर सहमत हो गये हैं। इससे पुल पर जो अत्यधिक भीड़भाड़ होती है वह काफी कम हो जायेगी। ज्ञात हुआ है कि रेलवे रोहतक रोड पर तथा बंगाली मार्केट के पास पुरानी और नई दिल्ली को जोड़ने के लिये ऊपर के पुल बनाने के प्रश्न पर भी विचार कर रही हैं। इन पुलों के बन जाने से भीड़भाड़ वाले कुछ क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम हो जायेगी और दुर्घटनाओं की संख्या स्वयं घट जायेगी।

(९) दिल्ली और नई दिल्ली के कई सिनेमाघरों में सड़क पर बचाव की हिदायतों का प्रदर्शन स्लाइड दिखा कर किया जाता है। जो चौराहे खतरनाक हैं वहां चेतावनी देने वाले स्थायी सूचना-पट्ट लगा दिये गये हैं।

दक्षिण पूर्व रेलवे का कोराई हाल्ट स्टेशन

†१७५५. श्री मलिक : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के कोराई हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उसे तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामास्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

छोटी जल-विद्युत योजनायें

†२७५६. { **श्री रा० गि० दुबे** :
श्री सं० ब० पाटिल :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे जल-प्रपातों को काम में लाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में कितनी छोटी जल-विद्युत् योजनायें आरम्भ की गयी हैं ;

(ख) क्या मैसूर राज्य ने ऐसी कोई योजना आरम्भ की है ; और

(ग) क्या यह सच है कि योजनाओं के लिये आवश्यक मशीनरी तुंगभद्रा स्थित वर्कशाप में बना कर विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) कुल मिलाकर पांच योजनायें आरम्भ की गयी हैं। इनमें से दो (जम्मू और काश्मीर में एक तथा हिमाचल प्रदेश में एक) पूरी कर ली गई हैं। शेष योजनाओं का काम जारी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) तुंगभद्रा वर्कशाप में इसे लेकर ६ किलोवाट की क्षमता वाले टर्बाइन बनाने की सम्भावना की जांच की जा रही है।

मैसूर राज्य में बिजली का संभरण

†१७२७ { **श्री सं० ब० पाटिल** :
श्री रा० गि० दुबे :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर सरकार पर ठेके की शर्तों के अनुसार कितनी बिजली का सम्भरण करने का दायित्व है और बिजली का सही अभाव कितना है ;

(ख) क्या मैसूर सरकार ने बंगलौर शहर के लिये एक विकल्प तथा उद्योगों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोई पैकेज प्लान्ट की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना-वधि की समाप्ति पर राज्य में बिजली की मांग १८४३ लाख वाट होने का अनुमान था जबकि विद्युत्-निर्माण क्षमता १५१४ लाख वाट थी। इसलिये ३२९ लाख वाट बिजली कम थी। ठेके के दायित्व का ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). राज्य सरकार से बंगलौर में १०० लाख वाट की क्षमता वाले दो गैस टर्बाइन पैकेज प्लान्ट, जिन पर १.२० करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है, की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है।

मुधोल में चीनी का कारखाना

†२७५८. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री सं० ब० पाटिल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) मैसूर राज्य के बीजापुर जिले में मुधोल में चीनी के एक कारखाने की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि कोई प्रगति नहीं हुई है तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

†**खाद्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). मुधोल में चीनी का एक कारखाना स्थापित करने के लिये जून, १९६० में एक प्रारूप लाइसेंस दिया गया था। जिस व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया था उसने प्रस्तावित चीनी के कारखाने की स्थापना के लिये कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये जिसके फलस्वरूप उक्त लाइसेंस अक्तूबर, १९६१ में रद्द कर दिया गया।

कर्णफुली बांध परियोजना

२७५९. **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० बरूआ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व पाकिस्तान में कर्णफुली नदी पर कपताई बान्ध के निर्माण के परिणामस्वरूप आसाम के देमागिरी क्षेत्र के कुछ गांव जलमग्न हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) सर्वेक्षण पूरा हो जाने से पहले और उसमें प्रस्तावित स्तर तक वर्षा का पानी भरने से पहले बांध का काम शुरू हो गया। बदलती हुई वर्तमान परिस्थितियों में बाढ का अनुमान लगाना समयोचित नहीं होगा।

(ख) आसाम सरकार से प्रार्थना की गयी है कि सर्वप्रथम वह विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये आवश्यक कार्यवाही करे।

दिवा-पनवेल-उरन-आप्टा बड़ी लाइन

†२७६०. **श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिवा-पनवेल-उरन-आप्टा-बड़ी लाइन का निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया गया है

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस लाइन के निर्माण के साथ-साथ उसे बिजली से चलाने की व्यवस्था की जाने वाली है ; और

(ग) क्या प्रस्तावित लाइन प्रारम्भ से दुहरी लाइन बनाई जायेगी ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हा।

(ख) और (ग). जी, नहीं।

बिहार के बाढ़-मुक्त क्षेत्र

२७६१. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार के बाढ़-मुक्त क्षेत्रों में (काशी के पूर्वी रक्षात्मक बांध से सटे) पूर्वोत्तर रेलवे पर (पूर्वोत्तर रेलवे के सुपौल स्टेशन से भपटियारी और राधापुर तक) पुनः यातायात के सम्बन्ध बढ़ाये जायेंगे ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने इसके सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें भेजी हैं ;

(ग) क्या उन बाढ़-मुक्त क्षेत्रों (काशी अंचल में और बाहर) के रेलवे स्टेशन भवन, पुल, तार के खम्भे, जमीन आदि भारत सरकार की रेल सम्पत्तियों की सुरक्षा का प्रबन्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस सम्बन्ध में बिहार सरकार की ओर से कोई सिफारिश नहीं मिली है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

जयनगर और खजौली स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन

२७६२. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के जयनगर और खजौली रेलवे स्टेशनों के बीच एक हाल्ट स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर बनाया जायेगा ?

रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

दिल्ली में सरकारी अस्पताल

†२७६३. **श्री हेम राज** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की दशा अत्यन्त असन्तोषजनक है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख) दिल्ली के अस्पतालों की दशा के सुधार की गुंजाइश तो है किन्तु वह अत्यन्त असन्तोषजनक नहीं है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की दशा में सुधार के प्रश्न पर अस्पताल के अधिकारी बराबर विचार करते रहते हैं। चूंकि इन अस्पतालों में बहुत भीड़भाड़ होती है तथा डाक्टरों, उपकरणों और स्थान का अभाव है इसलिये इन अस्पतालों का काम कार्यदक्षता की अनुकूलतम दशाओं में नहीं चलाया जा सका है।

गया में पीने के पानी का संभरण

†२७६४. **श्रीमती शशांक मंजरी** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बिहार के गया क्षेत्र में पीन के पानी का अभाव है ;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्र ने इस सम्बन्ध में क्या सहायता दी है ; और

(ग) बिहार के किन अन्य क्षेत्रों में पीने के पानी का अभाव है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हाँ। गया शहर और औरंगाबाद सब-डिवीजन के नवीनगर क्षेत्र में पीने के पानी का कुछ अभाव है।

(ख) चूंकि इन क्षेत्रों के लिये योजना बनाने का काम इस समय राज्य सरकार कर रही है इसलिये केन्द्र द्वारा फिलहाल सहायता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) गुमला, सिमडेगा, खुन्टी, पकौर, बरहरवा, चतरा, झुमरीतलैया, शेखपुरा और आसपास के गाँवों में तथा गढ़वा में पीने के पानी के अभाव के समाचार मिले हैं।

फर्स्ट क्लास के गलिहारे वाले डिब्बों में परिचारक

२७६५. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे फर्स्ट क्लास के गलिहारे वाले डिब्बों में परिचारकों की नियुक्ति विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी नियुक्ति कब तक हो जायेगी ; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हाँ।

(ख) दो-तीन महीनों में।

(ग) लगभग ८७७४ रुपये प्रतिमास।

अवकाश के दिन कोयले का लदान

†२७६६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन चेम्बर्स आव कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने इतवार और अवकाश के दिनों कोयले के लदान का विरोध किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का इरादा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख) दी फेडरेशन आव इण्यिन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने रेलवे बोर्ड को एक पत्र लिख कर इतवार और अवकाश के दिनों कोयला लादने में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला है। साथ ही फेडरेशन ने यह भी लिखा है कि अप्रैल, १९६२ में बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों में इतवार और अवकाश के दिनों में कोयले का पूरा लदान हुआ है। इस प्रकार फेडरेशन अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि उसके पत्र में उल्लिखित कठिनाइयां दूर की जा सकती हैं।

(ग) कोयला व्यापार और उद्योग से कहा जा रहा है कि वह सप्ताह के अन्य दिनों की भांति इतवार तथा अवकाश के दिनों कोयले का लदान करें। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के अन्य उपाय भी विचाराधीन हैं।

मैलानी जंक्शन को फतेहगढ़ छावनी से मिलाना

२७६७. **श्री प्रेम कृष्ण खन्ना** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैलानी जंक्शन को रेलवे लाइन द्वारा फतेहगढ़ छावनी से मिलाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

फार्म मंत्रणा एकक

†२७६८. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के फार्म मंत्रणा एकक ने १९६१-६२ में क्या ठोस सफलता प्राप्त की ; और

(ख) देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा किये गये अनुसन्धानों के परिणामों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११२**]।

अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा निरोध सप्ताह मनाया जाना

†२७६९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने २५ मई, १९६२ से विरोध सप्ताह मनाने के अपने निर्णय की सूचना दी है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख) उक्त संघ ने कोई सूचना तो नहीं दी किन्तु उसने २५-५-६२ से " प्रपीडन-विरोधी सप्ताह" मनाने के.

---

†मूल अंग्रेजी में

निश्चय की अपनी सूचना में इस बात का ज़िक्र किया था। रेलवे प्रशासन पर प्रपीडन का जो आरोप लगाया गया है वह सही नहीं है क्योंकि जुलाई, १९६० में हुई हड़ताल के सिलसिले में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई वह कड़ी कार्रवाई नहीं है।

(ग) कोई विशेष कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी और सप्ताह बीत ही गया है। जैसा कि समय-समय पर कहा गया है, संसद् सदस्यों द्वारा विशिष्ट रूप से उठाये गये मामलों की पुन: जांच की जायेगी।

कुमायूं पहाड़ियों में वनरोपण

†२७७०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बाढ़ नियंत्रण के उपाय के रूप में कुमाऊं पहाड़ियों, पंजाब पहाड़ियों आदि में वनरोपण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना को अंतिम रूप दे दिया गया हो तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) योजना का अनुमति व्यय कितना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग) सम्बधित राज्यों से जानकरी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि उत्पाद का विकास

†२७७१. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश म कृषि उत्पाद की विधि और विकास के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने क्या योग दिया है ; और

(ख) देश में कृषि उत्पाद को अधिक अच्छा बनाने के लिये संस्था में इस समय किये जा रहे अनुसंधान कार्य का ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या ११३]**

बड़ोदा डिवीज़न में "ई" मद की वस्तुओं की बुकिंग

†२७७२. { **श्री दे० जी० नायक** :
श्री छ० म० केदरिया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा डिवीज़न में गत ४ महीनों से "ई" मद के अन्तर्गत आनेवाली वस्तुओं की बुकिंग में काफी कठिनाई अनुभव की जा रही है ;

(ख) बड़ौदा डिवीज़न में गत ४ महीनों में प्रत्येक महीने उक्त मद की वस्तुओं के लिये कितने वैगन मांगे गये और दिये गये ; और

†मूल अंग्रेज़ी में।

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) कार्यवहन के कारणों से इस वर्ष बड़ौदा डिवीज़न में "ई" श्रेणी की वस्तुओं की बुकिंग किसी हद तक प्रभावित हुई।

(ख) महीना	लदान (ब्राडगेज वैगनों की संख्या)	महीने के अन्त में शेष (ब्राडगेज वैगनों की संख्या)
फरवरी, '६२ . .	२०९७	७८७
मार्च, '६२ . . .	१८९७	७०९
अप्रैल, '६२ . . .	११९८	१२७२
मई, '६२ . . .	१४६५	१३०६

(ग) बड़ौदा डिवीज़न में उपलब्ध वैगनों की संख्या से "ई" मद के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का अधिक लदान करने की कोशिश की जा रही है।

नेफा नागालेंड और मनीपुर के छात्रों को मेडिकल कालेजों में प्रवेश

†२७७३. **श्री स० टो० सिंह**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा, नागालैंड और मनीपुर के पिछड़े वर्गों के काफी छात्रों को देश के मेडिकल कालेजों और स्नातकोत्तर वर्गों में प्रवेश देने की कोई विशेष व्यवस्था है ताकि वे भारत के अन्य छात्रों के समकक्ष आ सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा संघ राज्य-क्षेत्रों (दिल्ली को छोड़) जिनमें नेफा, नागालैंड और मनीपुर के छात्रों को मेडिकल कालेजों में प्रवेश देने हेतु प्रतिवर्ष स्थान रक्षण की व्यवस्था की जाती है क्योंकि इन राज्य-क्षेत्रों मे कोई मेडिकल कालेज नहीं है। १९६१–६२ में संघ राज्य-क्षेत्रों के (दिल्ली को छोड़कर) जिन छात्रों ने रक्षित स्थानों के आधार पर प्रवेश पाने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय को आवेदन किया तथा जिन्होंने इन्टरमीडियेट साइंस (मेडिकल ग्रुप) में या अन्ग्रेजी, रसायन, भौतिक शास्त्र और जैविकी की समकक्ष परीक्षा में कम से कम ४५ % अंक प्राप्त किये थे उन सभी को मेडिकल कालेजों में प्रवेश दिया गया। कालेजों में स्थान उपलब्ध होने पर अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के छात्रों को ४० % अंक प्राप्त होने पर प्रवेश दिया गया।

१९६२–६३ के विद्या सम्बन्धी वर्ष में हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, अन्डमान और निकोबार द्वीप, लक्कद्वीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप, नांगालैंड, नेफा और गोआ के छात्र और छात्राओं को प्रवेश देने के लिये निम्नलिखित मेडिकल कालेजों में स्थान रक्षित किये गये हैं :—

क्रमांक	मेडिकल कालेज का नाम
१	मेडिकल कालेज, वारंगल ।
२	गुन्टूर मेडिकल कालेज, गुन्टूर ।
३	मेडिकल कालेज, काकीनाड़ा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

४ आसाम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़।
५ मेडिकल कालेज, गोहाटी ।
६ दरभंगा मेडिकल कालेज, लहरिया सराय ।
७ लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली ।
८ मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली ।
९ एम० पी० शाह मेडिकल कालेज, जामनगर ।
१० मेडिकल कालेज, जबलपुर ।
११ मेडिकल कालेज, भोपाल ।
१२ मेडिकल कालेज, मद्रास ।
१३ मेडिकल कालेज, मनीपाल ।
१४ मेडिकल कालेज, अमृतसर ।
१५ मेडिकल कालेज, पटियाला ।
१६ मेडिकल कालेज, पान्डुचेरी ।
१७ एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर ।
१८ मेडिकल कालेज, आगरा ।
१९ बांकुरा सम्मिलनी मेडिकल कालेज, बांकुरा ।
२० मेडिकल कालेज, कलकत्ता ।
२१ नीलरतन सरकार मेडिकल कालेज, कलकत्ता ।
२२ मेडिकल कालेज, श्रीनगर ।

दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों के लिये इन मेडिकल कालेजों में स्थान रक्षित करने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। किन्तु इन रक्षित स्थानों का पूरा उपयोग करने के लिये इन संघ राज्य-क्षेत्रों से योग्यता-प्राप्त छात्र पर्याप्त संख्या मे नहीं आते।

जहां तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का सम्बन्ध है, नेफा, नागालैंड, मनीपुर आदि के छात्रों के लिये कोई विशेष रक्षण नहीं है। भारत सरकार की केन्द्रीय चयन समिति द्वारा इन क्षेत्रों से आवेदन करने वाले छात्रों के मामलों पर सदा उचित ध्यान दिया जाता है।

रिहंद जल विद्युत् योजना

२७७४. श्री रामस्वरूप : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिहन्द जल-विद्युत योजना से विद्युत उत्पादन व्यय क्या है ;

(ख) बिड़ला अल्यूमीनियम फैक्टरी, मुड़धेवा को बिजली देने की दर प्रति यूनिट कितनी निश्चित की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) जन साधारण को प्रकाश तथा शक्ति प्रयोग के लिये प्रति यूनिट क्या दर निर्धारित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेशन)

(क) १६२ रुपये प्रति किलोवाट प्रतिवर्ष ।

(ख) १६६ रूपये प्रति किलोवाट प्रतिवर्ष ।

(ग) प्रकाश के लिये-३५ नये पैसे प्रति यूनिट ।

शक्ति के लिये —१६ नये पैसे प्रति यूनिट ।

रात्रि विमान सेवा का किराया

†२७७५. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तथा इन स्थानों से दिल्ली के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की प्रस्तावित सीधी रात्रि सेवा के लिये किराये में कोई परिवर्तन किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस समय नागपुर होकर चलने वाली सेवा के किराये की तुलना में यह परिवर्तन किस प्रकार का है ; और

(ग) क्या उक्त स्थानों के लिये रात्रि सेवा के विमानों के प्रस्थान के वर्तमान समय मे कोई परिवर्तन किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अहमद मुहीउद्दीन) :** (क) कारपोरेशन के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न कारपोरेशन के विचाराधीन है।

आगरा जिले में द्रवेश्वर घाट का जीर्णोद्धार

†२७७६. **श्री श० ना० चतुर्वेदी:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा जल और विद्युत आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार से आगरा जिले में स्थित द्रवेश्वर घाट के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन निजी कोष

†२७७७. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से १९६१–६२ में स्वेच्छा से काम करने वाले संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों को कुल मिलाकर ५,००,००० रु० के अनुदान दिये गये ;

(ख) यदि हां, तो ये अनुदान किस आधार पर दिये जाते हैं ; और

(ग) किस प्रकार का कार्य करने वाली संस्थायें और संगठन इस प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकती हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से अनुदान मंजूर करने के बारे में नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११४**]।

भारत में मेडिकल शिक्षा

†२७७८. **श्री रेणुका बड़कटकी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मेडिकल शिक्षा पर होने वाले अधिक व्यय को कम करने के बारे में हाजरा समिति न क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) ये सिफारिशें कितने राज्यों ने कार्यान्वित की हैं और उन के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके फलस्वरूप व्यय में कितने प्रतिशत कटौती हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) कर्नल बी० एन० हाजरा के सभापतित्व में नियुक्त विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या ११५**]

(ख) और (ग). विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें मार्गदर्शन और आवश्यक कार्यवाही के लिये सभी राज्य सरकारों और दिल्ली प्रशासन को भेज दी गयी हैं और वे उन पर विचार करके जहां कहीं सम्भव होगा, व्यय को कम करेंगी। चूंकि मेडिकल शिक्षा एक राज्य विषय है इसलिये तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में मेडिकल कालेजों की स्थापना/विस्तार पर विचार करते समय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के चिकित्सा सम्बन्धी व्यय के बिल

†२७७९. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकघरों के अधीनस्थ कर्मचारियों को एम० बी० बी० एस० डाक्टरों के नुस्खे के अनुसार की गई चिकित्सा पर हुए व्यय के बिल प्रतिपूर्ति के लिये प्रस्तुत नहीं करने दिये जाते;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या यह भी सच है कि गौहाटी (आसाम) स्थित कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये ऐसे बिल भुगतान के लिये मंजूर नहीं किये गये; और

(ग) क्या ऐसा कोई सरकारी परिपत्र है जिसके अनुसार अल्प आय वाले कर्मचारियों को एम० बी० बी० एस० स्तर से कम योग्यता रखने वाले डाक्टरों के नुस्खे प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है ?

†**परिवहन तथा सचार मंत्रालय में उप-मत्री (श्री भगवती)** : (क) यदि माननीय सदस्य का निर्देश गैर-सरकारी डाक्टरों से है तो यह बात ठीक है। सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय के बिलों की प्रतिपूर्ति तभी की जाती है जबकि उन्होंने किसी अधिकृत डाक्टर से, चाहे वह एम० बी० बी० एस० हो या नहीं, चिकित्सा करवाई हो।

(ख) गौहाटी के कर्मचारियों से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं ।

रेलवे यार्ड में झांसी में कार्य करने वाला अन्तर्राज्य गिरोह

२७८०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झांसी के रेलवे यार्ड में एक अन्तर्राज्यीय गिरोह का पता लगा है, जो वैगनों के लेबल बदल कर उन्हें निर्दिष्ट स्थानों के बजाय अन्य स्टेशनों को भिजवाता है;

(ख) क्या इस तरह की खबरें भारत के किसी अन्य स्टेशन से भी मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को दण्ड दिलाने व पूरी चौकसी रखने के बारे में कौन सी विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). यद्यपि इस तरह के कुछ मामलों का पता चला है जिन में माल-डिब्बों को उनके निर्दिष्ट स्थानों की बजाय दूसरे स्थानों को भेज दिया गया है, लेकिन किसी ऐसे अन्तर्राज्यीय गिरोह की रिपोर्ट नहीं मिली है जो रेलों में और खासकर झांसी यार्ड में सक्रिय हो।

(ग) रेलवे सुरक्षा दल के आदमी सभी महत्वपूर्ण और बड़े यार्डों में तैनात हैं जो चौबीस घंटे इस बात की चौकसी रखते हैं कि यार्डों में कोई अनधिकृत काम या उठाईगीरी न होने पाये। रेलवे पुलिस और रेलवे के अपराध गुप्तचर्या कर्मचारी भी ऐसे क्षेत्रों में बड़ी निगरानी रखते हैं जहां अपराधों की आशंका रहती है।

हुबली शोलापुर लाइन पर रेलवे क्रासिंग

†२७८१ **श्री स० ब० पाटिल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के हुबली-शोलापुर लाइन में कितने रेलवे क्रासिंग हैं;

(ख) उपर्युक्त लाइन पर पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से कितने ऊपरी/नीचे के पुल बनाये गये;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि हुबली-शोलापुर लाइन पर (१) अन्नीगेरी (२) होल अलूर, (३) बादामी, (४) मल्लापुर, (५) बगल्लकोट, (६) तेलागी और (७) बीजापुर में रेलवे फाटक अक्सर बन्द हो जाने के कारण यात्रियों को कितनी कठिनाई होती है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सरकार ने उपर्युक्त स्थानों पर ऊपरी या नीचे के पुलों की लागत का सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो यह काम कब शुरू किया जायगा ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १७३ (पशु-क्रासिंग को छोड़ कर) ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) बीजापुर के पास लेवल क्रासिंग को छोड़कर जहां से रेल यात्रियों के गुजरने की जरूरत और सुरक्षा के कारणों से किसी हद तक सड़क यातायात को रोकना अनिवार्य है, और किसी लेवल क्रासिंग के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(घ) और (ङ). लेवल क्रासिंग की ऊपरी/नीचे के पुल बनाने की योजनायें राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी पड़ती हैं । जहां कहीं राज्य सरकारें सिफारिश करती हैं और निर्माण कार्य की लागत में अपने हिस्से के लिए राज्य योजनायें धन की व्यवस्था करती हैं, रेलवे के निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए सदा तैयार रहती है ।

बीजापुर के पास ११४/३–४ मील पर वर्तमान लेवल क्रासिंग की जगह पर ऊपरी पुल बनाने की सिफारिश मैसूर सरकार ने १९६२–६३ में की है और निर्माण कार्य का अनुमान स्वीकृत हो चुका है । राज्य सरकार के परामर्श से निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने की योजना बनायी जा रही है ।

बीजापुर में तार इंजीनिअरिंग सब-डिवीजन

†२७८२. **श्री स० ब० पाटिल** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में बीजापुर में तार इंजीनिअरिंग सब-डिविजन बनाने की बहुत अधिक मांग है; और

(ख) यदि हां, तो यह मांग पूरी करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगवती)**: (क) बीजापुर में तार इंजीनिअरिंग सब-डिविजन बनाने की एक योजना अभी हाल में मैसूर सर्किल के पोस्टमास्टर-जनरल से प्राप्त हुई थी ।

(ख) इस योजना पर विचार किया जा रहा है ।

मैसूर राज्य में डाक तार सुविधायें

†२७८३. **श्री स० ब० पाटिल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसूर राज्य में ऐसे कितने गांव (जिलेवार) हैं जहां डाकखाने नहीं हैं;

(ख) मैसूर राज्य में ऐसे कितने तालुके (जिलेवार) हैं जहां टेलीफोन सुविधाएं हैं और नहीं हैं; और

(ग) ये सुविधाएं बढ़ाने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या कार्यक्रम है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११६]**

(ग) २,७०० डाकखाने, १३० नये लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय और ११५ नये टेलीफोन एक्स्चेन्ज खोलने का विचार है ।

नौवहन ऋण

†२७८४ **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन ऋण प्राप्त करने के लिए अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के मेसर्स आर० आकूजी जडवेट और कम्पनी द्वारा रेहन रखे गये परिसम्पद् उस फर्म द्वारा भारत के राज्य बैंक की पोर्टब्लेयर या कलकत्ता शाखा से लिये गये ऋण से भी अन्तर्ग्रस्त है; और

(ख) सामान्यतः ऋण की मुख्य शर्तें क्या हैं, अदायगी का ढंग, किश्तों की अवधि और खासकर ब्याज की दर क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं । फिर भी यह स्पष्ट बताया जा सकता है कि नौवहन विकास निधि समिति ने श्री आर० आकूजी जडवेट एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को जो नौवहन व्यापार चलाने के लिए जून, १९६० में एक कम्पनी के रूप में कायम की गयी थी, ऋण दिया था । यह कम्पनी आर० आकूजी जडवेट एण्ड कम्पनी नामक साझेदारी कम्पनी से, जो नौवहन को छोड़ कर दूसरा व्यापार करती है, बिल्कुल अलग है ।

(ख) नौवहन विकास निधि समिति द्वारा इस कम्पनी को दिये गये ६.२० लाख रुपये के ऋण की मुख्य शर्तें बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११७]**

सफदरजंग मकबरे के निकट दि० प० यू० बस दुर्घटना

२७८५. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री दीनन भट्टाचार्य :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ मई, १९६२ की शाम को एक डी० टी० यू० बस सफदरजंग मकबरे की दीवार के साथ टकरा गई जिसके फलस्वरूप ११ व्यक्ति घायल हुये जिसमें से चार की हालत बड़ी नाजुक बताई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई क्या इसका व्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) सही कारणों की जांच करने के पश्चात् अपराधी व्यक्तियों को दंड देने और घायल व्यक्तियों को प्रतिकर देने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) से (ग): घटना का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) यह सत्य है कि २२ मई, १९६२ की शाम को सफदरजंग मकबरे के पास दिल्ली परिवहन की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी। इस बस का अगला हिस्सा हवाई अड्डे की चाहर दीवारी के पास नाली को पार कर दीवार से टकरा गया था।

इस दुर्घटना में ग्यारह आदमियों को चोटें आईं। इनमें से सात आदमियों को सफदरजंग अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा दी गयी। केवल चार आदमी अस्पताल में रोके गये। इनमें से दो को दूसरे दिन और बाकी दो को २८ और २९ मई, १९६२ को अस्पताल से छोड़ा गया।

(ख) इस दुर्घटना में ग्रस्त ६७५ नं० की बस करबला के पास जोरबाग बस स्टाप से सवारियों को लेकर विनय नगर की तरफ जा रही थी। जब यह जोर बाग सड़क और महरौली सड़क के चौराहे की तरफ जा रही थी तो कहा जाता है कि ड्यूटी पर खड़े पुलिस कांस्टेबिल द्वारा इधर का ट्रैफिक बन्द कर दिया गया था क्योंकि उसने महरौली सड़क पर का सीधा ट्रैफिक चालू कर रखा था। ड्राइवर का बयान है कि उसने बस में ब्रेक लगाये लेकिन उसने देखा कि ब्रेक ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके द्वारा बस नहीं रोकी जा सकी और यह महरौली सड़क को पार कर हवाई अड्डे की तरफ चली गयी। इस बस का अगला हिस्सा हवाई अड्डे की चहारदीवारी के पास की नाली को पार कर गया और तत्पश्चात् इस दीवार के एक भाग को गिरा कर बस रुक गई।

कहा गया है कि इसके बाद मोटर वेहिकल्स इंस्पैक्टर के द्वारा डिपुटी सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस (ट्रैफिक) और दिल्ली परिवहन के दो इंजीनियरों के सामने बस की जांच की गयी और बस के ब्रेकों को दुरुस्त पाया गया।

(ग) इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है।

जहां तक मुआविजे का संबंध है, संबंधित व्यक्तियों को मोटर वेहिकल्स एक्ट १९३९ के अन्तर्गत मोटर एक्सीडेंट्स कलेम्स ट्रिब्यूनल, दिल्ली को इसके लिये निवेदन पत्र देना होता है।

कोसी परियोजना में रेलवे लाइन को उखाड़ना

†२८८६. { **श्री प्रिय गुप्त** :
　　　　श्री गयोन्द्र झा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसी नदी परियोजना के लिये बनायी गयी वर्तमान रेलवे लाइन कोसी परियोजना पूरी हो जाने के बाद उखाड़ देने का सरकार का विचार है ; और

(ख) बेरोजगार होने वाले मजदूरों को दूसरा काम दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन)**: (क) कोसी परियोजना रेलवे १९६४ तक निर्माण कार्य के लिये आवश्यक होगी। उसके बाद उस रेलवे लाइन को नैरोगेज से मोटर गेज में बदलकर उसका उपयोग करने के प्रश्न की छानबीन रेलवे बोर्ड कर रहा है।

(ख) अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय दिल्ली नगर निगम के भवन में आग का लगना

श्री वारियर (त्रिचूर): नियम १९७ के अन्तर्गत मैं गृह-कार्य मंत्री का निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें :—

"बुधवार, ६ जून, १९६२ को आग लगने से दिल्ली नगम की बहुत सी फाइलें नष्ट हो गईं।"

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : कल लगभग ६ · १० म० प० टाउन हाल की पहली मंजिल के बरामदे में जगह घेर कर बनाये हुये दो कमरों में जिन में लकड़ी के पार्टीशन लगे हुये थे और तीन लकड़ी के पटलों को आग लग गई। उन कमरों में नगरपालिका लेखा कार्यालय का और निगम के इंजीनियरिंग विभाग का कुछ भाग था।

आग लगने की सूचना मिलने के दो मिनट के अन्दर आग बुझाने वाले इंजन घटनास्थल पर पहुंच गये। सात आग बुझाने वाले इंजन इस काम में लगे। लगभग शाम को ६/३० तक आग पर काबू पा लिया गया यद्यपि कुछ मिनट और धूंआ निकलता रहा। जान की कोई हानि नहीं हुई और कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ।

मेजों पर, अलमारियों में और रैकों में रखी हुई कई फाइलों को आग से हानि हुई। यह पता लगाने के लिये कि कितनी फाइलों को हानि हुई उनकी छांटी के लिये कार्यवाही की जा रही है।

निगम के उपायुक्त वहां शीघ्र पहुंच गये। उसके शीघ्र बाद महापौर, निगम के आयुक्त और मुख्यायुक्त और अन्य पदाधिकारी वहां आ गये। पुलिस आग की जांच कर रही है।

†**श्री वारियर** : इस मौसम में दिल्ली में आग की घटनाएं अधिक लगने का क्या कारण है?

†**श्री दातार** : हम इस वर्ष बहुत आग लगने के कारण की जांच कर रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : "नैसैसीटेटिड" शब्द पर इतराज है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस शब्द का अशुद्ध प्रयोग किया गया। ऐसा नहीं करना चाहिये था।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : क्या यह सही है कि चूंकि फायर ब्रिगेड ठीक से काम नहीं करता, इसलिये समय पर आग नहीं बुझाई जा सकी?

श्री दातार : यह बात सही नहीं है। फायर ब्रिगेड फौरन वहां गया और जहां यह अग्निकांड हुआ था, वहां पांच मिनट के पहले इंजिन आ गये थे (अन्तर्बाधा)।

श्री त्यागी (देहरादून) : क्या उनको आग का एडवांस नोटिस मिल गया था?

कुछ माननीय सदस्य : आग लगने से पांच मिनट पहले कैसे आ गये?

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : आग लगने के पांच मिनट पहले आग बुझाने वाले इंजन कैसे पहुंच गये?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब का मतलब आग लगने से पांच मिनट पहले नहीं, टेलीफोन करने के पांच मिनट बाद है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

यातायात सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय

†**परिवहन और संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: मैं भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित १६४६ के सड़क यातायात संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १८१/६२]

राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई समिति का प्रतिवेदन

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: मैं राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई समिति का प्रतिवेदन (१६६०–६१) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १८२/६२]

उर्वरक नियंत्रण चतुर्थ संशोधन आदेश

†**खाद्य और कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : मैं अत्यावश्यक पण्य एक्ट, १६५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २६ मई, १६६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१३ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) चतुर्थ संशोधन आदेश, १६६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १८३/६२]

समितियों के लिये निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम ३११ के उप-नियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से, ३० अप्रैल, १६६३ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से ३० सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम ३११ के उप-नियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से, ३० अप्रैल, १६६३

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्यनारायण सिंह]

को समाप्त होने वाली अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से ३० सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक लेखा समिति

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम ३०९ के उप-नियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से ३० अप्रैल, १९६३ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से १५ सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** (केन्द्रपाड़ा) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने निर्णय कर लिया है कि लोक लेखा समिति के सभापति विरोधी दल से होंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** आपने सरकार का ध्यान उस ओर दिला दिया है। इस प्रस्ताव का उस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

प्रश्न यह है :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३०९ के उपनियम (१) द्वारा अपेक्षित रीति से ३० अप्रैल, १९६३ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से १५ सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे में

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : महोदय, क्या सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति बनाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय :** आप मेरे पास आजायेगा । मैं अभी सूचना दे दूंगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सदन को जानकारी के लिए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका सदन के सामने जो कार्यवाही है उस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैं प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ ३० अप्रैल, १९६३ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये सम्बन्द्ध करने के लिये राज्य सभा से सात सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ ३० अप्रैल, १९६३ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये सम्बद्ध करने के लिये राज्य सभा से सात सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की मागें—जारी

श्रम और रोजगार मन्त्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम श्रम और रोजगार मंत्रालय की मांगों पर आगे विचार आरम्भ कर रहे हैं। श्री ओझा अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री ओझा** (सुरेन्द्र नगर) : औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार केवल सरकार द्वारा नहीं लाया जा सकता । स्वतंत्र और लोकतंत्रीय समाज में यह मुख्यतया प्रबन्धकर्ताओं और मज़दूरों द्वारा लाया जा सकता है ।

सरकार ने मजदूरों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम आरम्भ किया है । इस समय कार्मिक संघ आन्दोलन उन लोगों के हाथों में है जो स्वयं मजदूर नहीं हैं, परन्तु मजदूरों का कल्याण चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये । मजदूरों को स्वयं यह काम करना चाहिए। इस काम को करने के लिये उन्हें ट्रेनिंग मिलनी चाहिये ।

कल माननीय श्रम मंत्री ने कहा कि मजदूरों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मज़दूरों को कल्याण के काम के लिए और सहकारिता इत्यादि आन्दोलनों में भी ट्रेनिंग देनी चाहिए ।

बिहार सरकार ने औद्योगिक मज़दूरों में ऋण का पता करने के लिए एक अध्ययन किया। उन्होंने चार या पांच औद्योगिक केन्द्र चुने। इन केन्द्रों में मजूरी शेष स्थानों से अधिक है । फिर भी वहां पर मज़दूरों मे ऋण की हालत काफी खराब है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ओझा]

इसलिए सरकार को और कार्मिक संघ के कार्यकर्ताओं को सारे मामले के सामाजिक और आर्थिक पहलू को देखना चाहिए। मज़दूरों को अच्छे नागरिक बनाने के लिए कारखानों से बाहर की उनकी हालत की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

मज़दूर ऋण का अधिक भाग अच्छी बातों पर नहीं खर्च करते, परन्तु धन का नाश करते हैं। इसलिए सरकार को उनकी शिक्षा की ओर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दो प्रकार की कार्यवाईयां हैं। एक तो नकद लाभ के मामले और एक बीमारियों की चिकित्सा के क्षेत्र में। नकद लाभ देने के मामले में काम काफी ठीक तरह से हो रहा है।

जहां तक उन के रोगों की चिकित्सा का सम्बन्ध है काम संतोषजनक नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि इस काम का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और निगम दोनों पर है। यह पद्धति समाप्त हो जानी चाहिए और यह काम निगम को ही सौंपा जाना चाहिए।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना गुजरात में क्यों लागू नहीं की गई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस योजना को गुजरात पर लागू किया जाए।

कारखानों की संख्या में वृद्धि के होते भी मज़दूरों की संख्या कम होती जा रही है। इसका कारण वैज्ञानिकन और नौकरी से मजदूरों का हटाया जाना है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि मज़दूरों की संख्या बढ़नी चाहिए।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : अणुशक्ति पलांट युरेनियम और थोरियम खानों के कारण नौकरी का ढांचा बदल गया है। ऐसे कामों में मज़दूरों को रेडियोसक्रियता से खतरा है। इस खतरे को भी इस सम्बन्ध में अधिनियम में शामिल करना चाहिए।

राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय में वृद्धि के अनुसार मजदूरों की मजूरी नहीं बढ़ी है। मजूरी और जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ ही कार्यक्षमता और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। जो लाभ होते हैं उन को पूंजीपति, मज़दूर और उपभोक्ता में समानता से बांटना चाहिए। मज़दूरों की सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। न्यूनतम और उचित मजूरियां निर्धारित करनी हैं; काम के उचित घण्टे नियत करने हैं; नौकरी की हालत को अच्छा बनाना चाहिये। औद्योगिक, कृषि और दफ्तरों के मज़दूरों की रहने की अवस्था का सुधार करना चाहिए। कार्मिक संघ मज़दूरों के हाथों में होने चाहियें। राजनैतिक दलों का उन पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। सरकार को भी मजदूरों के प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से नहीं।

तीसरी योजना में हम ने बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है। तृतीय योजना में १४० लाख व्यक्तियों को नौकरियां मिलेंगी, परन्तु १७० लाख नौकरी चाहने वालों की वृद्धि होगी। इसलिए नौकरी के और रास्ते निकालने चाहिएं।

औद्योगीकरण पर बहुत बल दिया जा रहा है, परन्तु कारखाने बम्बई, कलकत्ता, देहली और मद्रास में ही स्थापित किए जा रहे हैं। दूसरे क्षेत्रों में कृषि अर्थव्यवस्था ही है। कारखाने देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

खेती के योग्य समस्त परती भूमि को खेती के योग्य बनाया जाना चाहिए और उसे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में बांट देना चाहिए ताकि भूमि पर दबाव कम हो।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल में भाग लेने वाले लोगों का अभी तक शोषण किया जा रहा है । कईयों को अभी तक नौकरी पर नहीं लगाया गया है । यह हड़ताल कुछ बुनियादी मामले उठाती है। पहले, हड़ताल की असफलता से देश में मजदूर संघ आन्दोलन की कमजोरी और दूसरे सरकार के वास्तविक इरादों का पता चला है ।

बड़ी निन्दनीय बात है कि सरकार कम्युनिस्ट तरीकों का इस्तेमाल कर रही है । जब वे स्थिति को संभाल नहीं पाये, तो सरकारी कर्मचारियों पर हड़ताल के विरुद्ध अध्यादेश थोप दिया। लगता यह है कि सरकारी क्षेत्र का प्रसार बढ़ने के साथ साथ ही, भारतीय मजदूरों के कार्मिक संघीय अधिकार छिनते जायेंगे ।

रूरकेला के छः कार्मिक संघों में से एक को भी मान्यता नहीं दी गई है ।

रूरकेला सरकारी क्षेत्र में है, इसका लाभ उठाकर प्रबन्धकगण श्रम सम्बन्धी विधियों का उल्लंघन करते जा रहे हैं । श्रम आयुक्त के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है ।

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का मूल कारण पता लगाने की कोई कोशिश ही नहीं की है । गैर-सरकारी क्षेत्र के मालिक तो ऐसा नहीं कर सकते। सरकार हड़तालों को रोकने के लिये सरकारी व्यवस्था का पूरा लाभ उठाती है ।

प्रधान मंत्री ने कहा था कि अब हड़तालों का तरीका पुराना पड़ गया है । वह कहते हैं कि समाजवादी समाज में हड़तालों के लिये कोई स्थान नहीं, जैसा कि रूसी सरकार कहती है ?

रूस में तो मजदूर आन्दोलन का नाम तक नहीं है ।

सरकार यदि किसी क्षेत्र में हड़ताल पर पाबन्दी लगाती है, तो उसका कर्त्तव्य है कि मामला मध्यस्थ-निर्णय के लिये सौंप दे । लेकिन सरकार उसके लिये भी राजी नहीं है ।

राज्यों के स्तर पर ऐसे विधान बनाये गये हैं कि १८ से ६० वर्ष के बीच की अवस्था के प्रत्येक वयस्क को समाज के कल्याण के लिये सात दिन का श्रमदान करना पड़ेगा । यह बेगार ही तो है, जिसे श्रमदान के रूप में फिर से चालू किया जा रहा है।

हमें बताया गया था कि १२ सरकारी और १८ गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में प्रबन्ध-कार्य के लिये श्रमिकों का सहयोग लिया जा रहा है। तीन वर्ष में यह योजना २० से बढ़ कर ३० उपक्रमों में चालू की जा चुकी है । प्राक्कलन समिति को यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इस योजना की प्रगति असंतोषजनक रही है । सरकार को इसकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिये और सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में इसे लागू करने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें ।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन) : इस प्रतिवेदन में जो तथ्य दिये गये हैं, वे सभी सही नहीं हैं। इसलिये उनके आधार पर निकाले गये निष्कर्ष भी सही नहीं हैं। जीवन-निर्वाह की लागत के अनुसार वेतन-क्रमों में वृद्धि करने के प्रश्न पर किसी भी बोर्ड ने संतोषप्रद रूप से विचार नहीं किया है। वास्तविक मजूरी १९३९ से भी काफी कम है।

प्रतिवेदन में स्पष्टता नहीं है। केरल के नाम के आगे एक लकीर खिंची हुई है।

†**श्री नन्दा** : लकीर जम्मू तथा काश्मीर के आगे है, केरल के आगे नहीं।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : मुझे खेद है।

गत वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने एक औद्योगिक विवाद के सिलसिले में निर्णय देते हुए केरल सरकार की बड़ी सख्त आलोचना की थी। इसलिये कि उसने बोर्ड की घोषणा के हाल ही बाद न्यूनतम मजूरी में कटौती कर दी थी। इस पर काफी आन्दोलन भी उठ खड़ा हुआ था। प्रतिवेदन में उसका उल्लेख तक नहीं है। एक हड़ताल के बारे में भी जो सूचना दी गई, है वह भी बड़ी अपर्याप्त है। उसमें यह बताया ही नहीं गया कि मजदूरों ने हड़ताल क्यों की थी। हड़ताल का कारण यह था कि मलयालम बागान के मेसर्स हेरीसन एण्ड क्रासफील्ड मजदूरों पर नये काम का भार लादना चाहते थे, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ९ (क) का उल्लंघन है। इसका विरोध करने पर २०० मजदूरों को निकाल दिया गया था। उस हड़ताल में एक लाख जन-दिनों की हानि हुई थी।

आंध्र प्रदेश में भी न्यूनतम मजूरी समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूरी में रूप-भेद करने का प्रयास किया गया था, जिस पर मजदूरों ने हड़ताल की थी। कहा जाता है कि हम समाजवादी समाज की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन विचित्र समाजवाद है कि मजदूरों को संविहित निकायों की सिफारिशों की कार्यान्विति कराने के लिये भी हड़तालें करनी पड़ती हैं।

गुन्टूर में एलुरु और भजरंग जूट मिल्स के ३,००० से अधिक मजदूरों को भी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति के लिये हड़ताल करनी पड़ी थी। जबकि श्रम मंत्री ने निर्णय कर दिया था कि कार्यान्विति के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिश का सर्वसम्मत होना ही काफी है। सरकार मालिकों की हिमायत क्यों कर रही है? मालिकों पर नियम भंग करने के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। क्यों?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : माननीय सदस्य किस उद्योग का उल्लेख कर रहे हैं?

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : वे सभी उद्योग जिनके बारे में मजूरी बोर्डों ने सिफारिशें की हैं और उनको कार्यान्वित नहीं किया गया है, और मजदूरों को उसके लिये हड़तालें करनी पड़ी हैं। प्रतिवेदन में उल्लिखित अधिकांश हड़तालों का मूल कारण यही था।

एक तो मजदूरों को उचित वेतन नहीं मिल रहे हैं, और दूसरी ओर न्यूनतम वेतनों की सिफारिशों को भी कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, फिर तो मजदूरों में असन्तोष बढ़ेगा ही। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का दमन इतना ही कहने पर किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० मेलकोटे ने अनुरोध किया है कि निकाले हुए सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को काम पर वापस ले लिया जाये। मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं।

प्रतिवेदन में यह भी नहीं बतलाया गया है कि हड़तालों का निबटारा किस तरीके से किया जाता है, न हड़तालों के कारण ही बतलाये गये हैं। सभा के सामने वह सारा ब्यौरा रखा जाना चाहिये।

मजदूरों को नौकरी से निकालने के प्रश्न पर दो तरह से विचार करना चाहिये।

एक तो यह कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में दी गई औद्योगिक विवाद की परिभाषा को अधिक स्पष्ट बनाने की आवश्यकता है। इसलिये कि पंजाब नेशनल बैंक के मामले के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अलग-अलग व्यक्तियों के निकाले जाने के मामले उस परिभाषा में नहीं आते। इसके लिये वर्तमान अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिये।

अधिनियम की धारा ३३ के अन्तर्गत किसी मजदूर को सेवा से हटाने के लिये न्यायालय से अनुमति ली जानी चाहिये। लेकिन यदि अलग से एक किसी मजदूर के मामले की अनुमति ली जाये, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वह औद्योगिक विवाद को परिभाषा में सम्मिलित नहीं माना जाता। इसलिये इसमें पेचीदगी पैदा हो गई है।

माननीय श्रम मंत्री धारा १०क के अन्तर्गत मध्यस्थ-निर्णय की व्यवस्था का अधिकाधिक प्रचार करने के लिये बड़े चिन्तित हैं, लेकिन मंत्रालय उसमें बाधायें पैदा कर रहा है। मंत्रालय मध्यस्थ-निर्णयों के खर्च के लिये राशि मंजूर नहीं करता। उसके लिये कार्यालय को कोई स्थान तक नहीं मिलता।

केरल में इल्मेनाइट के आयात में कटौती होने के कारण खनन विभाग को पूरी तौर पर बन्द कर देना पड़ा है। यदि उसके आयात के करार का नवीकरण नहीं होगा, तो ५,००० मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे और देश को १ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि होगी।

अधिनियम में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मध्यस्थ-निर्णय होने के काल में स्थिति यथापूर्व रखी जाये, इसलिये उस दौरान मालिकान जो भी चाहें कर सकते हैं। इसलिये ऐसी व्यवस्था नितान्त आवश्यक है।

माननीय मंत्री को काम दिलाऊ दफ्तरों से बड़ी-बड़ी आशायें हैं। लेकिन उसका गबन ऐसा है कि वे प्रभावशाली नहीं बन पाते। मालिकान उसकी कोई परवाह तक नहीं करते। यहां तक कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धक भी उसकी परवाह नहीं करते। वे तभी उपयोगी बन सकते हैं जब सरकार रोजगार दफ्तरों द्वारा प्रस्तुत उम्मीदवार-सूचियों को मानना अनिवार्य बना दे।

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी)** : मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है और सरकार की श्रम नीति का समर्थन किया है। उस समर्थन का कारण यह है कि सरकार की श्रम नीति त्रिदलीय सम्मेलनों, वार्ताओं और परामर्शों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाथी]

उस नीति की कार्यान्विति के प्रति भी माननीय सदस्यों ने सामान्यतया संतोष प्रकट किया है। मैं उसके लिये आभारी हूं और साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि हम यह दावा नहीं करते कि कहीं कोई खामी है ही नहीं। हम इसीलिये माननीय सदस्यों के सुझावों पर पूरा-पूरा विचार करेंगे। हम उनके सम्बंध में माननीय सदस्यों के प्रश्नों और आपत्तियों के बारे में अपने उत्तरों और स्पष्टीकरणों को माननीय सदस्यों में परिचालित भी करेंगे।

श्री का० ना० पाण्डे ने सुझाव रखा है कि समझौता अधिकारियों को पंचाट निर्णय करने की शक्तियां प्रदान की जानी चाहियें। यह व्यावहारिक नहीं होगा, क्योंकि उनके कर्त्तव्य कुछ दूसरे प्रकार के होते हैं। पहले कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था थी, पर बाद में उसे त्याग देना पड़ा।

इसके बाद, उन्होंने दुकानों और संस्थानों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का उल्लेख किया था। उन्होने कहा है कि अधिनियम लागू हो जाने के बाद भी, कर्मचारियों का कोई भी बचाव नहीं है, उनको सेवा से निकाला जा सकता है। धारा ३० के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को हटाने के लिये पूर्व सूचना दी जानी चाहिये। उसके बिना, औद्योगिक विवाद बन जायेगा। इसलिये अधिनियम को संशोधित करना जरूरी नहीं है।

उन्होंने चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के सम्बन्ध में कहा हैं कि ऐसे प्रश्नों के हल के लिये एक त्रिदलीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये। उत्तर प्रदेश, बिहार, मैसूर और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में ऐसी समितियां बनी हुई हैं और महाराष्ट्र में ऐसे मामले राज्य मजूरी बोर्ड को सौंपे जाते हैं, इसलिये ऐसी समिति यहां केन्द्र में स्पष्टीकरण के लिये बनाने की आवश्यकता नहीं है।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि घातक दुर्घटनाओं के शिकार बनने वाले कर्मचारियों को दिये जाने वाले प्रतिकर की दरें नीची हैं। हम उसे बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री प्रभातकार को सरकार की श्रम नीति में कोई खामी नहीं दिखी, हां उसकी कार्यान्विति के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ कहा है। दिल्ली के होटल कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है, इसलिये मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा।

उनका कहना है कि मध्यस्थ-निर्णय को सौंपने के लिये मंत्रालय किसी मामले में अनुमति दे देता है, और किसी में नहीं देता। सम्बन्धित अधिकारी इसके बारे में मनमानी करते हैं। यह गलत है। हमने स्पष्ट सिद्धांत निश्चित कर दिये हैं कि किन मामलों को सौंपा जाये, और किन को नहीं। उन सिद्धांतों के आधार पर ही उसका निर्णय किया जाता है। सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट हैं।

आंध्र के एक मामले के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि एक बैंक के प्रबन्धकों के कुछ प्रतिनिधि कुछ संसद्-सदस्यों के साथ मंत्रालय के किसी अधिकारी के पास गये थे और उसी वजह से वह मामला मध्यस्थ-निर्णय के लिये नहीं सौंपा गया था। मैं ने इसकी जांच कर ली है। ऐसा कोई भी प्रतिनिधि मंडल किसी अधिकारी से नहीं मिला था। समझौता अधिकारी ने २९ मार्च, १९६२ को अपना प्रतिवेदन दिया था और मुख्य श्रम आयुक्त ने उसी के आधार पर २ अप्रैल, १९६२ को सिफारिश की थी कि मध्यस्थ-निर्णय के लिये

सौंपना अनावश्यक है। मंत्रालय ने १२ अप्रैल, १९६२ को उससे सहमति प्रकट कर दी थी। बाद में कर्मचारियों ने २४ अप्रैल, १९६२ को अनुरोध किया था कि मामले पर पुर्नविचार किया जाये। उन्होंने तीन नये प्वाइंट उठाये थे। मंत्रालय अभी उन पर विचार कर रहा है।

श्री प्रभातकार को गलत सूचित किया गया है कि प्रबन्धकों के प्रतिनिधि कुछ संसद्-सदस्यो को ले कर मंत्रालय के किसी अधिकारी से मिले थे। मैं यही उनको बताना चाहता हूं।

उन्होंने उन मजदूरों को जो कोयला खानों में काम नहीं करते सुविधायें देने के बारे में सुझाव दिया था। हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

जहां तक इन्हें बोनस देने का सम्बन्ध है, हम सर्वेक्षण कर के सब सामग्री इकट्ठी कर के एक निर्णय करेंगे।

उन्होंने न्यूनतम मजूरी क प्रश्न का भी उल्लेख किया है। अधिनियम की धारा ३(१) (ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार तथा सब राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजूरी में संशोधन करने के लिए पग उठाये हैं। सात मामलों में केन्द्रीय सरकार और ६ राज्य सरकारों ने कृषि मजूरी और अन्य उद्योगों में मजूरी भी संशोधित कर दी है। **न्यूतनतम मजरी, १९५९** में प्रत्येक राज्य की स्थिति बताई गई है।

एक सदस्य ने कहा है कि बीमारी के लिए ऋण नहीं दिया जाता। यह सुविधा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध है। जहां तक भविष्य निधि का सम्बन्ध है, इसका उद्देश्य वृद्धावस्था में श्रमिकों की सहायता करना होता है। किन्तु देखा गया कि इस ऋण का उचित प्रयोग नहीं किया जा रहा। १९५६–५७ में ८ आवेदन पत्र थे और १४४५ रुपये दिये गये थे। आगे आंकड़े इस प्रकार है:

वर्ष	आवेदन पत्रों की संख्या	ऋणों की राशि (रुपये)
१९५७–५८	३३७	५२,८०००
१९५८–५९	६,८५५	१२·६५ लाख
१९५९–६०	६६,११९	१·०५ करोड़
१९६०–६१	८३,४००	१·२३ करोड़

क्योंकि इन ऋणों का उचित प्रयोग नहीं किया जा रहा था, इसलिए इसे बन्द कर दिया गया है।

अस्पतालों में उन व्यक्तियों की जिनका बीमा हो चुका है और उन के परिवारों की आंखों और दातों का इलाज किया जाता है। निगम ने यह भी निर्णय किया है कि कि यदि काम के दौरान में दांत टूट गये हो या आंखें खराब हो गई हो, तो नये दांत और चश्मे मुफ्त दिये जायेंगे।

फिर उनकी एक शिकायत थी कि श्रमिकों का आयुर्वेदिक इलाज नहीं किया जाता। यह अपने अपने विश्वास की बात है। जहां आयुर्वेदिक इलाज की सुविधाएं या दवाइयां मौजूद हों औरं श्रमिक चाहते हों, तो यह सुविधा उन्हें दी जायेगी।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली): उन कर्मचारियों के बारे में क्या स्थिति है, जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन नहीं आते और जिन्हें भविष्य निधि से ऋण दिया जाता है ?

†**श्री हाथी** : यहां स्थिति यह है कि उत्तरदायित्व राज्य का है। हम उनकी सहायता करते हैं। हम कुछ स्थान अस्पतालों में सुरक्षित रखते हैं। किन्तु इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हो सकता है दवाइयां उपलब्ध हो या न हों। इसलिए हमने निर्णय किया है कि जहां तक हो सके, हम अपने अस्पताल खोलें, अर्थात् कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पतालों निगम के इतिहास में अस्पतालों में दाखिल करके इलाज करना पहली बार संभव हुआ है। और अब हमारे चार नये अस्पताल हैं—

बम्बई——३०० स्थान
बंगलोर——१७० ,,
मद्रास——१७५ ,,
कानपुर——११२ ,,

इन अस्पतालों का विकास भी किया जा रहा है। बंगलौर अस्पताल के स्थान १७० से बढ़ाकर ३०० कर दिये जायेंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसी तरह कानपुर में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में स्थानों की संख्या ११२ है और निगम ने १०० स्थान और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। मद्रास में भी १७५ स्थानों को बढ़ाकर ३६३ कर दिया जायेगा।

बंगाल और गुजरात के बारे में पूछा गया है। स्थिति है कि श्रमिक स्वयं कहते हैं कि जब तक उनके अस्पताल न हों, उन पर योजना लागू न की जाये। हमने पश्चिम बंगाल में ११ अस्पतालों की मंजूरी दी है। इनमें से दो बन रहे हैं और जल्दी तैयार हो जायेंगे। चार और की मंजूरी दी गई है। २४ परगना और हुगली जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में स्थानों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण योजना को चालू नहीं किया जा सका, क्योंकि कर्मचारियों के प्रतिनिधि स्थानों को सुरक्षित करने के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए कलकत्ता क्षेत्र में ११ अस्पताल बनाने की मंजूरी दी गई है। १०० स्थानों के २ अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरू है। और पांच अस्पतालों के अनुमानों की मंजूरी भी दे दी गई है। राष्ट्रीय संग्रहालय कलकत्ता की इमारत को खरीद कर अस्पताल के काम में लाने की योजना विचाराधीन है। इससे वह कठिनाई दूर हो जायेगी।

अब दो प्रश्न और उठाये गये थे। एक यह था कि जहां यह व्यवस्था नहीं है बीमारी की हालत में श्रमिकों का क्या होगा। दूसरा यह कि भविष्य निधि से रुपया लेकर बीमारी की बजाय और प्रयोजनों के लिए खर्च कर दिया जाता है और वृद्धावस्था में पैसा नहीं रहता। पहली बात का उत्तर यह है कि पश्चिम बंगाल के सारे औद्योगिक क्षेत्र में यह योजना लागू की जायेगी। दूसरे प्रश्न के उत्तर में, हम यह चाहते हैं कि इस रुपये का ऋणों के रूप में अपव्यय न किया जाये, इसलिए यह बन्द कर दिया गया है।

श्री ओझा के प्रश्न के उत्तर में मैं कहूंगा कि यह सत्य है कि अधिक शिक्षित सदस्यों द्वारा कार्मिक संघों को अधिक प्रभावोत्पादक बनाया जाये। इस प्रयोजन के लिए हमने श्रमिकों को शिक्षित करने और उन्होंने लोकतंत्रात्मक समाज में अपना उचित स्थान लेने के लिए संगठित

†मूल अंग्रेजी में

करने का कार्यक्रम शुरू किया है। जब तक श्रमिकों को अपने उत्तरदायित्व मालूम न हों और जब तक वे शिक्षित न हों, उनमें कार्यक्षमता नहीं आ सकती और उनके नियोजकों के साथ सम्बन्ध अच्छे नहीं हो सकते। आजकल वह जमाना नहीं है जबकि श्रमिक केवल अपनी रोटी के लिए काम करते हों। वे एक महान उद्देश्य के लिए काम करते हैं। हमें नियोजकों को भी यह बताना है कि वे श्रमिकों के साथ सहयोग से काम करें, केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई और राष्ट्र की भलाई के लिए काम करें। इस समय श्रम नीति का उद्देश्य अधिक उत्पादकता और अधिक उत्पादन है। हम इसकी आशा नहीं कर सकते जब तक की श्रमिक संतुष्ट और प्रसन्न न हों। इसके साथ हमें संसाधनों की ओर भी देखना है कि उद्योग कितना भार उठा सकेंगे। हमें देखना है कि मजूरी का भार उद्योगों पर कितना है और मुनाफा कितना है, इस अर्थ में नहीं कि कितना रुपया कमाया गया है, बल्कि इस अर्थ में कि उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई है और राष्ट्र को कितना लाभ हुआ है। हम चाहते है कि कार्मिक संघ केवल अपने अधिकार न मांगें, अपने उत्तरदायित्वों को भी पहचानें। ऐसा होने से ही हमारी श्रम नीति अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकेगी।

श्री ह० च० सौय (सिंहभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के पूर्वी हिस्से में जहां बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश हैं, हम एक तरह से भाग्यशाली हैं इस माने में कि उस इलाके में औद्योगीकरण का काम काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसलिये हम ऐसा समझते हैं कि उस इलाके में लोगों की रोजी, रोटी का सवाल और अधिक अच्छी तरह से हल होना चाहिये। मगर वास्तविक हालत को जब आज हम देखते हैं तो हम लोगों को उतना संतोष नहीं होता जितना कि होना चाहिये था।

उपाध्यक्ष महोदय, हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं से यह चाहते थे और यह चाहते हैं कि हमारे यहां जो अतिरिक्त जनशक्ति है और जिन्हें रोजी, रोटी का मौका नहीं मिलता है उन्हें और अधिक मिले। उस इलाके में स्थिति ऐसी है कि पहले से ही जो खेती पर लोग काम करते थे और करते हैं उन में बहुत अधिक ऐसे हैं जिन्हें हम बेजमीन मजदूर कहते हैं। बेजमीन मजदूर उस इलाके में दूसरे इलाकों से बहुत अधिक हैं। इन सारी योजनाओं को लागू करने में और यह बड़े बड़े उद्योगों को लागू करने के लिये सरकार द्वारा जमीन जो बहुत बड़े पैमाने पर ली जा रही है उस से भी बहुत काफी आदमी उस जमीन से हटाये जा रहे हैं और उन्हें तो हटना ही पड़ेगा। अब इस से होता क्या है? पहले से जिन्हें रोजी रोटी चाहिये वे और उन जमीनों से हटाये जाने के कारण जो लोग हैं दोनों को मिला कर बहुत काफी आदमी ऐसे हो गये हैं जिन्हें रोजी, रोटी चाहिये। इसका हिसाब कर के देखा गया है कि जो जमीन से हटाये गये हैं उन में से कितने लोगों को हम फिर से बसा सके हैं। हमारे पास ढेबर कमिशन के जमीन से हटाये जाने वालों के कुछ आंकड़े हैं और उनको देखने से एक संकेत मिलता है कि कितने लोगों को हम बसा सके हैं और कितने लोग ऐसे बेकार पड़े हुए हैं। हिसाब कर के देखा गया है कि मैथन डैम, मयूराक्षी डैम इत्यादि जितनी भी योजनायें उस इलाके में हैं, उनके अन्तर्गत चौदह हज़ार कुटुम्बों को उन की ज़मीनों से हटा दिया गया, जिन में से सिर्फ तीन हजार कुटुम्बों को अभी तक बसाया गया है। बहुत से ऐसे कुटुम्ब पड़े हुये हैं, जिन को बसाया नहीं जा सका है। पहले हम उम्मीद करते थे कि हमारे यहां के बेकार और बेज़मीन लोगों को इन बड़ी बड़ी योजनाओं में काम मिल जायेगा, लेकिन हमारा तजुर्बा है कि हतिया का हैवी इंडस्ट्रीज़ का उद्योग हो, राउरकेला का स्टील प्लांट हो या डी० वी० सी० की योजना हो, जितने लोगों को वहां से हटाया गया, जो कि पहले से रोज़ी-रोटी

[श्री ह० च० सौय]

चाहते हैं, उन लोगों को हम काम में नहीं लगा सके हैं। हमारे देश के दूसरे इलाकों के लोग एक तरह से हम से एन्वी करते हैं कि उस इलाके में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं और इसलिये वहां के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजी-रोटी मिलेगी, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा सवाल हल नहीं हो पाया है। इस कारण हम लोगों में काफी असन्तोष है।

उस इलाके में आज़ादी से पहले भी लेबर का काफी रेक्रूटमेंट होता था और अब भी होता है। उस रेक्रूटमेंट में बहुत तरह की धांधलियां चलती हैं। जो व्यक्ति लेबर रेक्रूटमेंट करते हैं, वे लोगों को ऊंची-ऊंची वेजिज़ देने और काम करने की अच्छी कन्डीशन्ज़ उपलब्ध करने के बहाने से दूसरे इलाकों में से ले जाते हैं। लेकिन जब वे लोग कलकत्ता और राउरकेला आदि दूर स्थित जगहों में जाते हैं, तो हकीकत में उन को वे वेजिज़ नहीं मिलते हैं। उन को सिर्फ़ जीने भर के लिये कुछ मज़दूरी मिलती है, जिसका नतीजा यह होता है कि वे अपने स्थानों को लौट भी नहीं सकते हैं। जिन जगहों में उनको ले जाया जाता है, मज़दूरी कम मिलने के कारण या किसी दूसरे कारण अगर वह जगह उन को पसन्द न हो और वे वहां से लौटना चाहें, तो वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको मज़दूरी बहुत कम मिलती है और उन के पास लौटने के लिये भी पैसा नहीं होता है।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि क्या लेबर एक्सचेंजिज़ के साथ ऐसा प्रबन्ध किया जा सकता है कि जब उन लोगों को रेक्रूटमेंट के मामले में दूसरे इलाकों में ले जाया जाये, तो लेबर रेक्रूटमेंट करने वाले मज़दूरी का हिसाब बतायें कि वे उन इलाकों में क्या देंगे और वहां पर काम की मिनिमम कन्डीशन्ज़ क्या हैं। हो सकता है कि इस सम्बन्ध में कुछ रूल्ज़ वगैरह हों, लेकिन हमारे यहां वे रूल्ज़ बिल्कुल काम में नहीं आते हैं।

हमारे इलाके में प्रकृति का धन प्रचुरता से पाया जाता है और वहां उद्योग-धंधे भी चलते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हकीकत में प्रकृति के धन से परिपूर्ण होते हुये भी उस इलाके के लोग हिन्दुस्तान के सब से ज्यादा ग़रीब लोगों में हैं। यह ठीक है कि देश के जिस किसी इलाके में हम बड़े उद्योग-धंधे खड़े करें, वहां देश के सभी इलाकों के लोगों को रोज़ी-रोटी मिलने का हक होना चाहिये, लेकिन मेरा सुझाव है कि यह व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिये कि ऐसे उद्योग-धंधों के स्थानों पर जिन लोगों की ज़मीन चली जाती हो और जो उन उद्योग-धंधों के पास न रहते हों, उन को काम मिलने का उचित इन्तजाम होना चाहिये।

करीब दो साल पहले जब हतिया में हैवी इंडस्ट्रीज़ के कारखाने का काम शुरू किया जा रहा था, तो उस वक्त माननीय मंत्री, श्री मनुभाई शाह, ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि सरकार की ओर से इस बात की कोशिश की जायगी कि इन कारखानों में कम से कम पांच सौ रुपये तक की नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जायें। लेकिन हम देखते हैं कि उस इलाके में जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन्ज़ के लोग हैं, जो नौकरी में जाते हैं, उन को उचित हिस्सा नहीं मिलता है। मेरा सुझाव है कि इस तरह के बड़े उद्योग-धधों में पर्सोनेल डिपार्टमेंट में कोई ऐसा स्थानीय आदमी हो, जिसका एक ख़ास स्टेटस हो, और वह हमेशा इस बात की देख-भाल करे कि स्थानीय लोगों को उन की क्वालिफिकेशन्ज़ के मुताबिक नौकरी मिले। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इससे मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि वहां पर हिन्दुस्तान के दूसरे इलाकों के लोगों को काम बिल्कुल न मिले।

उस इलाके के लोगों के दिमाग़ में एक और बात यह है कि जिस इलाके में हम बड़े उद्योग-धंधे खोल रहे हैं, वह हमारे संविधान के मुताबिक एक ख़ास तरह का एरिया है, जिसके

बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्थानीय गवर्नमेंट की खास जिम्मेदारी है, क्योंकि वह इलाका खास तौर पर शिड्यूल्ड एरिया है। जब हम ऐसे इलाकों में बड़े पैमाने पर जमीन लेते हैं और उन सब लोगों को बसाने का पूरा इन्तज़ाम नहीं कर सकते तथा उनको रोज़ी-रोटी देने की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो यह बहुत ज़रूरी है कि सरकार इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट या लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा एक स्पेशल रिसर्च कराये, इस बात की जांच कराये कि जिस इलाके में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रही है, उस इलाके के लोग उन उद्योग-धंधों और इंडस्ट्रीज़ में कहां तक खप सके हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन पर उस का क्या असर हुआ है और किस तरह से उद्योग-धंधों की उन्नति के साथ-साथ उन लोगों की भी प्रगति की जाये और उनकी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने की कोशिश की जाये।

इस तरह का सुझाव ढेबर कमीशन ने भी दिया है। उस रोज माननीय गृह-मंत्री जी भी इस बात का इशारा कर रहे थे कि ढेबर कमीशन की जो भी सिफारिशें हैं, सरकार उन पर विचार कर रही है और उन पर अमल होगा। मैं इस बात को इसलिये कह रहा हूं कि हमारे देश का सबसे बड़ा औद्योगीकरण का इलाका वह है, जिसके बारे में मैंने अभी ज़िक्र किया है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बात पर विशेष ध्यान देगी और इस सम्बन्ध में पूरी कार्यवाही करेगी।

हम देखते हैं कि कई स्टेट अंडरटेकिंगज़ में, और प्राईवेट अंडरटेकिंग्ज़ में भी, अधिक से अधिक मजदूरों को टेम्पोरेरी रखने की मनोवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिये मैं बताऊं कि रेलवेज़ में हज़ारों ऐसे मज़दूर हैं, जो कहने को तो टेम्पोरेरी कहे जाते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वे पिछले दस वर्षों से काम कर रहे हैं। सेंट्रल पे कमीशन ने इस बात की सिफ़ारिश की थी कि इस बात की जांच जल्दी होनी चाहिये कि वास्तव में वे टेम्पोरेरी हैं या नहीं।

उसी तरह से प्राईवेट अंडरटेकिंग्ज़ में भी यही मनोवृत्ति देखी जाती है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जो झीकपानी की एसोशिएटिड सीमेंट फैक्ट्री है, वहां हजारों ऐसे मज़दूर हैं, जिनके बारे में वह कम्पनी कहती है कि वे कंट्रेक्टर के ज़िम्मे हैं। लेकिन कंट्रेक्टर न तो उन मज़दूरों की संख्या बढ़ा सकता है, न उन को निकाल सकता है और न वह उन को बोनस दे सकता है। कम्पनी ने एक दफ़ा उन को बोनस भी दिया। हम चाहते हैं कि उन मज़दूरों को टेम्पोरेरी न रख कर पर्मानेंट तौर पर रखना चाहिये। इस बात की ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री गोपालदत्त मेंगी (जम्मू तथा काश्मीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि लेबर मिनिस्टर साहब मुबारिकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनकी वजह से हर साल मजदूरों की हालत में कुछ न कुछ बेहतरी हो रही है। लेबर वैल्फेयर प्राविडेंट फंड और जो दूसरी स्कीमें बनाई गई हैं, हर साल उनमें तरक्की हो रही है। लेकिन हिन्दुस्तान एक पिछड़ा हुआ मुल्क है और इसके कुछ हिस्टोरिकल रीजन्स हैं जिन की वजह से जो कुछ भी हो पाया है, उसको उसका अंश भर भी नहीं कहा जा सकता जो कि किया जाना बाकी है।

इन्होंने ज्वायंट मैनेजमेंट काउंसिल्ज़ की स्कीम बनाई है, वेज बोर्ड बनाये हैं। यह सब कुछ हुआ है। लेकिन कौन कह सकता है कि ज्वायंट मैनेजमेंट काउंसिल्ज़ पूरी तरह से का[illegible]याब हुई हैं या तमाम फैक्ट्रीज़ में वे बन सकी हैं या वे बोर्ड तमाम फैक्ट्रीज़ के लिये, त[illegible]म इंडस्ट्रीज़ के लिये बन सके हैं। अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। यह

[श्री गोपालदत्त मेंगी]

कहते हुये मुझे खेद होता है कि पब्लिक सैक्टर में भी जिसके पीछे एक खास उसूल काम करता है, जिसका ध्येय केवल नफा कमाना नहीं होता है बल्कि देश-हित होता है, वहां पर भी ज्वायंट मैनेजमेंट काउंसिल्ज़ नहीं बन सकी हैं। सिर्फ ११ ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें ऐसी काउंसिल्ज़ बन सकी हैं। ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री जी तथा उनके दूसरे साथियों से पूछना चाहता हूं कि वे प्राइवेट सैक्टर में कायम हुई इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से परसुएड कर सकेंगे, उन पर किस तरह से जोर डाल सकेंगे, कि वे अपने यहां ज्वायंट मैनेजमेंट काऊंसिल्ज़ बनायें जबकि सरकार अपने यहां, अपनी फैक्ट्रीज़ में ज्वायंट मैनेजमेंट काउंसिल्ज़ नहीं बना सकी है। इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि इस फाइनेनशल यीयर के अन्दर अन्दर, इस फाइनेनशल यीयर के खातमे से पहले पहले तमाम पब्लिक सैक्टर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो यूनिट्स हैं, यहां पर ज्वायंट मैनेजमेंट काउन्सिल्ज़ बना दी जायें। अगर हम यह नहीं कर पाये तो मैं समझता हूं कि सोशलिज्म को धक्का लगेगा। खुशकिस्मती से जो हमारे लेबर के वजीर हैं उनके सोशलिस्ट होने में किस को शक नहीं है, किसी को शुबहा नहीं है, चाहे वह अपोजीशन का माननीय सदस्य हो चाहे वह अपोजीशन पार्टी को बिलांग करता हो या पार्टी इन पावर को बिलांग करता हो। सभी को उनके सोशलिस्ट होने में यकीन है। सभी को माननीय मंत्री जी से बड़ी बड़ी तवक्कात हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं।

लेकिन हकीकत यह है कि रिपोर्ट पढ़ने से कुछ ऐसा मालूम होता है कि बहुत दफा माननीय मंत्री जी अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। लेकिन सोशलिज्म को आगे ले जाने का जो तहैया, जो प्रोग्राम नैशनल कांग्रेस ने बनाया है, उसको सामने रखते हुये मायूसी की कोई बात नहीं होनी चाहिये, बेबसी की कोई बात नहीं होनी चाहिये। हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ कर सोशलिज्म को मजबूत लाइंज़ पर यहां कायम करना है।

जहां तक लेबर का ताल्लुक है, जहां तक मजदूर का ताल्लुक है, हर कदम पर वह हमारे साथ कोआपरेशन करता है। वेज बोर्ड बने, ज्वायंट मैनेजमेंट काउंसिल्ज बने। माननीय मंत्री जी ने खुद अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि उसके बनने से एफिशेंसी बढ़ी है, क्वालिटी बढ़ी है और इसके साथ साथ जो स्ट्राइक्स होती थीं, उनमें कमी हुई है, प्राडक्शन बढा है, नैशनल वैल्थ बढ़ी है। ऐसी हालत में जब मजदूर अपना फर्ज पूरा करता है तो उसे क्या अपना हक मांगने का अखत्यार नहीं होना चाहिये? यह कहा जाता है और मने इसको बचपन में पढ़ा था कि राइट्स आल्वेज़ फालो ड्यूटीज़। लेकिन हिन्दुस्तान में मजदूरों के मुताल्लिक जब सोचा जाता है तो ऐसा नहीं होता है। अपना फर्ज पूरा करता है, वह देश का प्राडक्शन बढ़ाता है, नैशनल वैल्थ बढ़ाता है, स्ट्राइक्स का कम सहारा लेता है। क्या इस सब के बाद भी उसको अपना हक मांगने का अखत्यार नहीं है। यह हक उसे नहीं मिला है, यह हकीकत है। जब प्राडकशन बढ़ा है, जब नैशनल वैल्थ बढ़ी है, तो यह ठीक है कि उसके मुताबिक उसकी वैजिज न बढ़ती, उसकी आमदनी न बढ़ती, लेकिन कुछ न कुछ तो बढ़ती, मुनासिब मिकदार में बढ़ती। क्या कोई कह सकता है कि उसी मिकदार में उसकी आमदनी बढ़ी है? मैं कहूंगा कि सोशलिज्म का नारा तो हम लगाते हैं और यह भी ठीक है कि कांग्रेस जोकि पार्टी इन पावर है, वह सोशलिज्म के उसूल को अपनाये हुये हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हिन्दुस्तान में मजदूर बहुत कमज़ोर है। इंडस्ट्री में दो पार्टीज़ होती हैं, एक कैपीटल, एक लेबर, एक एम्पलायर, एक एम्पलायी। हकीकत यह है कि हिन्दुस्तान में केपीटल मजबूत है, हिन्दुस्तान में एम्पलायर बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभावशाली है और उसके मुकाबले में लेबर जो है, जो एम्प्पालयी हैं, वह मजबूत नहीं हैं, वह शक्तिशाली

नहीं है, वह प्रभावशाली नहीं है सब से बड़ी दुःख की बात यह है कि वह युनाइटेड नहीं है, लेबर इकट्ठी नहीं है। जैसे मेरे मित्रों ने मुझ से पहले कहा है कि यहां जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, वह पूरी तरह से आर्गेनाइज़ नहीं हुई है, मजबूत नहीं हुई है। हिन्दुस्तान में तीन बड़ी पार्टीज़ हैं, कांग्रेस, पी० एस० पी० और कम्युनिस्ट पार्टी। ये तीनों मजदूरों की बेहतरी का, मजदूरों की अलम्बरदार होने का दावा करती हैं। इन तीनों का आखिर एक साथ खास स्टेज तक तो कामन प्रोग्राम है, एक खास स्टेज तक ये तीनों मजदूरों को इकट्ठा ले जाना चाहती हैं। जहां तक ये मजदूरों को ले जाना चाहती हैं और जहां तक इनका कामन प्रोग्राम है, वहां तक भी क्या वजह है कि उस कामन प्रोग्राम की मौजूदगी में जो मजदूर हैं, वे वैसी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, वैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जैसे बढ़ना चाहिये और जैसे तरक्की करनी चाहिये। मैं अर्ज़ करता हूं कि अगर इन पार्टीज़ को मजदूरों से प्यार है, मजदूरों के काज़ से प्रेम है, तो इनको ट्रेड यूनियन मूवमेंट को मजबूत करना चाहिये, और पार्टी लेवेल से ऊपर उठ कर जहां मजदूरों का क्वैश्चन हो, वहां इकट्ठे हो कर काम करना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ ज्यादा खोल देने के बावजूद भी, इनके ज्यादा खुल जाने के बावजूद भी हम अनएम्प्लायमेंट को दूर नहीं कर पाये हैं। सरकार ने इसके लिये एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज़ खोले हैं लेकिन मैं समझता हूं कि वे बेअसर हो कर रह गये हैं। जो एम्पलायर क्लास है, वह उनका फायदा नहीं उठाती है और वह नित नए बहाने पेश करके अपने ही फैबरिट्स को, अपने ही आदमियों को इंडस्ट्रीज़ में लगा लेती है और लगाना चाहती है। इसके लिये मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं। क्या यह मुम्किन नहीं हो सकता है कि हर एम्पलायमेंट एक्सचेंज जो उसके पास दरख्वास्तें आयें, उनको देने वालों का वह बाकायदा इम्तहान ले, एक खास किस्म का टैस्ट मुकर्रर हो और उसके नतीजे के आधार पर वह देखे कि जिस-जिस केटेगरी में जो-जो लोग आना चाहते हैं, उनकी एफिशिएन्स क्या है और उसके मुताबिक वह अपनी फेहरिस्तें तैयार रखें? जब कोई एम्प्लायर अपनी जरूरतों के लिये स्टाफ मांगें तो जिस एफिशिएन्सी का आदमी वह चाहता है उसी क्लास का आदमी वह उस को पेश करे। चूंकि उस ने खास टेस्ट दिया होगा, खास इम्तहान पास किया होगा, इस लिये वह एम्प्लायर नहीं कह सके कि वह मेअर का आदमी नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एम्प्लायर के लिये यह अब्लिगेटरी होना चाहिये, उसे मजबूर किया जाना चाहिये कि जिस एफिशिएन्सी का आदमी वह चाहता है वैसा आदमी दिये जाने पर वह उसको रक्खे। हमारे एम्प्लायमेंट एक्स्चेंजेज़ तभी एफेक्टिव हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, जब इस तरह से काम हो।

सब से बड़ी बात यह है कि जहां जहां फैक्ट्री वालों को, एम्प्लायर्स को आदमियों की जरूरत हो, वह उन को मुहैया किये जाने चाहियें। हमारी प्लैन्ड एकानमी है, हमें पता है कि कौन-सी इंडस्ट्रीज़ में क्या काम होना है। हमारे एम्प्लायमेंट एक्सचेंन्जेज़ को भी इसका पता होता है। वह क्लासेज़ कायम करें। क्लासेज़ चला कर के लेबर को वे ट्रेन कर सकते हैं ताकि वक्त आने पर वह लोग इंडस्ट्री में काम करने के काबिल बन सकें। मेरी अर्ज यह है कि इम्प्लायमेंट एक्स्चेंजेज़ को कामयाब बनाने के लिये जरूरी है कि इस तरफ ध्यान दिया जाये।

†श्री डेविड मुन्ज़नी (लोहरदगा) : मैं दो बात बताना चाहता हूं। पहली यह कि एक देश में बेकारी बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है और दूसरी यह है कि श्रम मंत्रालय का आदिमजाति अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री डेविड मुन्जनी]

मैं विशेषरूप से उत्तर उड़ीसा, दक्षिण बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश की आदिमजातियों के बारे में कहना चाहता हूं । हम औद्योगीकरण की मांग करते हैं, जब कभी सरकार को कोई कारखाना स्थापित करने या बांध अथवा रेलवे लाइन बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है तो इन लोगों को बिना सोचे समझे जमीनों से बेदखल और विस्थापित कर दिया जाता है । मैं जानता हूं कि आज भी सैंकड़ों लोग पेड़ों के नीचे रह रहे हैं ।

इस सभा तथा राज्यविधान सभाओं द्वारा कुछ ऐसे नियम बनाये गये हैं जिनके द्वारा आदिम जाति के लोग जंगलों में नहीं जा सकते । उड़ीसा में अब भी इन आदिम जाति तथा पिछड़े वर्गों के लोगों की स्थिति ऐसी है कि मानो वे आधे दास हों । जमीदार लोग तथा महन्त उन्हें काफी सताते हैं। वहां कुछ लोगों की ज़मीनें रेलवे लाइन बनाने के लिये ले ली गई हैं। लेकिन वहां रेलवे लाइन बनाने का काम इसलिये रुक गया है कि उनको उचित क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है। मेरा निवेदन है कि उन्हें शीघ्र ही क्षतिपूर्ति दे दी जानी चाहिये।

सीसल बागान की देख भाल का काम केन्द्रीय सरकार को ले लेना चाहिये। क्योंकि इन में काम करने वाले लोग किसी भी विधि के अन्तर्गत नहीं आते ।

बिभीतारपुर खान में काम करने वाले कर्मचारियों को हटा कर उन के स्थान पर गोरखपुर से कर्मचारियों के लाने का प्रश्न उठाया गया है । गोरखपुर के कर्मचारियों की हालत बहुत ही खराब है । वे एक प्रकार से दास की तरह काम करते हैं उन से बुरी तरह काम लिया जाता है।

स्थानीय कर्मचारियों को ठेके पर काम करने वाले व्यक्तियों के कर्मचारियों द्वारा हटाया जा रहा है । मेरे कहने का मतलब यह है कि ज़ो स्थानीय कर्मचारी हैं जो काम करना जानते भी हैं उन्हें भी हटा कर उन के स्थान पर बाहर से व्यक्तियों को लाया जा रहा है । वहां के आदिम जाति के लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है ।

मेरा निवेदन यह है कि यहां के स्थानीय कर्मचारी बहुत ही परिश्रमी हैं और कुशल भी हैं । लेकिन उन को कुछ कारणों के आधार पर काम नहीं दिया जा रहा है । और इसीलिये उन के पास कोई काम भी नहीं है । पता नहीं यह समाजवाद लोगों को कहां ले जायेगा ।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** (गोंडिया): हमें १६लाख रुपये के उत्पादन की हानि हुई है । सरकारी उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों में असन्तोष बढ़ रहा है । अब समय है जबकि हमें उस असन्तोष के कारणों का पता लगाना चाहिये । ऐसा प्रतीत होता है कि यह उन लोगों का षड़यंत्र है जो यह नहीं चाहते कि सरकारी उद्योग क्षेत्र के उपक्रम सफलतापूर्वक कार्य करें या यह उन लोगो के कार्य का परिणाम है जो श्रमिकों में असन्तोष फैला कर शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं । सरकार को गम्भीरता-पूर्वक इस सारी स्थिति की जांच करनी चाहिये ।

बीड़ी उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है । विभिन्न राज्यों के बीड़ी श्रमिकों की मजूरी में काफी असमानता है । इसका कोई कारण नहीं है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध

†मूल अंग्रेजी में

करूंगा कि वह बीड़ी उद्योग के लिए एक मजूरी बोर्ड स्थापित कर दें । इस से इतना तो हो जायेगा कि इस उद्योग की मजूरी में सब के लिए एकरूपता हो जायेगी।

†**श्री क० ना० तिवारी** (बगहा): उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक अधिकतर वक्ताओं ने इंडस्ट्रियल लेबर के बारे में कहा है। चाहे वह किसी पार्टी के हों आम तौर पर वक्ताओ ने इंडस्ट्रियल लेबर के बारे में ही कहा है । लेजिस्लेशंस् भी हम देखते हैं कि ज्यादातर इंडस्ट्रियल लेबरर्स के लिए बनते हैं । इसी तरह से कल अपनी ओपनिंग स्पीच में मिनिस्टर साहब ने ज्यादातर इंडस्ट्रियल लेबर के बारे में ही कहा है । मैं मिनिस्टर साहब और इस हाउस का ध्यान एग्रीकलचरल लेवर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है । अभी भी इस देश के करीब ८२ प्रतिशत लोग देहातों में रहते हैं और वह खेती के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। रिपोर्ट में जो आंकड़े दिये गये हैं उन को देखने से यह मालूम होता है कि दस वर्ष के अन्दर केवल आधा परसेंट लोग ही शहरों में गये हैं । सन् १९५१ में देहातों में खेती के ऊपर निर्भर करने वाले अनएम्प्लाएड और अंडर एम्प्लाएड लेबरर्स की तादाद ८२.६२ परसेंट थी और सन् १९६१ में ८२.१६ परसेंट रही । इस तरीके से आधा परसेंट लोग ही शहरों में गये । एग्रीकलचरल लेबरर्स की तादाद ७. कुछ है जब कि इंडस्ट्रियल लेबरर्स की तादाद बहुत कम है । इसके सम्बन्ध में इंटर नेशनल लेबर रैव्यु में यह लिखा है :—

"देश के लाखों लोग कृषि में लगे हैं अतः बेरोजगारी दूर करने के लिए हमें कृषि की ओर ध्यान देना ही होगा" ।

इंटर नेशनल लेबर रैव्यु के फरवरी सन् ६२ के ईश्यू में पेज १४९ में यह लिखा है :—

"कि भारत की श्रम शक्ति के संबन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां बहुत से लोग केवल कृषि पर ही आश्रित है । अब औद्योगिक क्षेत्र के विकास के कारण काफी जनशक्ति कृषि से हट गयी है, इस से भूमि पर दबाव निरन्तर बढ़ रहा है ।"

इस तरह से आप देखेंगे कि जहां तक एम्प्लायमेंट का सवाल है, एग्रीक्लचरल लेबर का एम्प्लायमेंट का सवाल इंडस्ट्रियल लेबर के एम्प्लायमेंट के सवाल से किसी तरह कम नहीं है । इसलिए मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री का ध्यान एग्रीक्लचरल लेबर की ओर दिलाना चाहता हूं । श्री ढेबर भाई ने जो अभी रिपोर्ट पबलिश की है उसको पढ़ने से मालूम हो जायगा कि इनकी क्या हालत है । इण्डस्ट्रियल लेबर को तो पूरा साल काम मिलता है और उनकी वेजेज वगैरह को भी सरकार देखती रहती है । और रैगलेट करती रहती है लेकिन एग्रीक्लचरल लेबर की हालत खराब रहती है और उनकी दशा सुधारने की ओर कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जाता है ।

श्री ढेबर की शैड्यूल्ड एरियाज एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिशन की रिपोर्ट के पेज १६०-१६१ में यह लिखा है :—

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० ना० तिवारी]

"दरिद्रता हमारे देश का बड़ा व्यापक रोग है। कई बार तो यह रोग बड़ा भयानक हो जाता है। १० प्रतिशत लोग केवल पत्ते इत्यादि खा कर गुजारा करते हैं। महाराष्ट्र के उप विकासायुक्त तथा कलैक्टर ने बताया कि महाराष्ट्र के २५ से ३० प्रतिशत लोग पत्ते और जड़ें इत्यादि खाकर रह रहे हैं। और उससे पुराने आदि-काल की याद ताजा हो जाती है।

एग्रीकल्चरल लेबर की यह हालत है। लाखों, करोड़ों गरीब लोग जिनकी कि कोई जमीन नहीं है उनकी ऐसी पस्त हालत हो रही है। इन के अलावा वह लोग जिन के कि पास कम जमीन है और पूरे परिवार का उस पर गुजारा मुश्किल है तो उन के लड़के जो पढ़े लिखे हैं उनको और घर की औरतों को भी एम्प्लायमेंट देने का एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। मैं समझता हूं कि इस समय देश के सामने सब से बड़ा सवाल और सब से बड़ी समस्या एग्रीकलचरल लेबर के अनएम्प्लायमेंट की है। इस से बढ़ कर दूसरा कोई सवाल नहीं है। इस लिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से इसी समस्या की ओर दिलाते हुए, दो, चार सुझाव इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं और मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर इन की ओर आप का ध्यान जायेगा तो बहुत कुछ उनका भला हो सकेगा।

मेरा सुझाव है कि स्टेट एम्प्लाईज़ मेडिकल इन्शोरेंस एक्ट को एक्सटेंड कर के खेतिहर मज़दूरों के लिए मेडिकल फ़ैसिलिटीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए। इस के लिए एक मेडिकल सेस लगा दिया जाये, जो कि पंचायतों के ज़रिये इक्ट्ठा किया जाये।

चूंकि समय नहीं है, इसलिए मैं हर एक प्वायंट को टच करता चला जाता हूं।

दो तरह के लेबर हैं—पर्मानेंट एग्रीकल्चरल लेबर और कैजुअल लेबर। पर्मानेंट एग्रीकल्चरल लेबर का किसी न किसी बड़े गृहस्थ के साथ सम्बन्ध होता है। जब वे बीमार पड़ जाते हैं, या किसी और डिफ़ीकल्टी में पड़ जाते हैं, तो उनको देखने वाला कोई नहीं रहता है। इसलिए जब वे बीमार पड़ें, तो उन को मज़दूरी के साथ छुट्टी दी जाये, जैसे कि इंडस्ट्रियल लेबर को दी जाती है। इसी तरह तीज और पर्व पर भी उन को छुट्टी दी जाये।

खेतिहर मज़दूरों के लिए सरकार ने मिनिमम वेजिज़ ठीक किये हैं। वह इंडिस्ट्रियल लेबर के सम्ब,न्ध में तो उन वेजिज़ को एन्फ़ोर्स करा देती है, लेकिन एग्रीकल्चरल लेबर के सम्बध में उन को एन्फ़ोर्स नहीं कराया जा सका है। अब तो सब जगह ग्राम पंचायतें हैं इस लिए उन के ज़रिये मिनिमम वेजिज़ एन्फ़ोर्स कराई जा सकती है।

जितने लेबरर हैं, खास कर बड़े बड़े गृहस्थों से जिन का सम्बन्ध है, उन के लिए लाइफ़ इन्शोरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। हम देखते हैं कि उन में से अगर कोई व्यक्ति मरता है, तो उस के बाद उसके परिवार की क्या दशा होती है। मैं ने अभी रिपोर्ट में से पढ़ा है कि उन को साल में दो तीन महीने पेड़ की जड़ खानी पड़ती है।

इससे आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि उन लोगों की क्या हालत है ? सलिए मेरा निवेदन है कि उनके लिए ईज़ी प्रीमीयम्ज़ की व्यवस्था कर के लाइफ इन्शोरेंस का इन्तजाम होना चाहिए।

†**श्री मोहसिन** (छरवर दक्षिण) : श्रम देश के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अतः यदि हमें अपने देश का निर्माण करना है और राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है तो हमें श्रमिकों को सन्तुष्ट रखना चाहिये। यह बात बड़े हर्ष और सन्तोष की है कि सरकार श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में बहुत सक्रिय प्रयत्न कर रही है। मंत्री महोदय ने बताया है कि दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में राष्ट्रीय आय में ७ प्रतिशत वृद्धि हुई है। और १९६१-६२ में ४.५ प्रतिशत के और बढ़ जाने की संभावना है। १९६०-६१ में कृषि उत्पादन ८ प्रतिशत बढ़ा और खाद्यान्नों के उत्पादन में ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन में भी ७ से ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे स्पष्ट ही है श्रमिक अपना कर्त्तव्य पूरा कर ही रहे हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि औद्योगिक संबंधों को अधिक अच्छा बनाने के लिये आपस में तय की गयी अनुशासन संहिता बहुत लाभदायक होगी। प्रबन्ध कार्य में श्रमिकों को भाग दिये जाने के मामले में प्रगति हुई है। प्रारम्भिक कार्य किये गये हैं, किन्तु फिर भी इसी से हम सन्तोष नहीं कर रहे। बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है। आशा तो यही थी कि तीन वर्ष के प्रयोग के बाद अधिक अच्छी सफलता प्राप्त होनी चाहिये थी। सरकार को कम से कम यह ध्यान रखना चाहिये कि यह योजना सरकारी उद्योग क्षेत्र में लागू की जाय। यदि इसके लिये आवश्यक प्रतीत हुआ तो गैर-सरकारी उद्योगों के लिये एक विधान भी बनाया जा सकता है। तीन वर्ष के प्रयोग के बाद अब और प्रतीक्षा ठीक नहीं।

एक अन्य बात का भी पूरी तरह ध्यान रखा जाना चाहिये वह यह कि संयुक्त प्रबन्ध परिषदों में श्रमिकों के वास्तविक प्रतिनिधि ही सम्मिलित किये जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की शिक्षा योजना की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। वित्तीय योजना में इसके लिये ४८ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। यह प्रसन्नता की बात है कि अब इस उद्देश्य के लिये २०० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। और १३४ प्रशासक शिक्षक प्रशिक्षित भी हो गये हैं। प्रबन्ध कार्यों में भाग लेने से पूर्व उनका प्रशिक्षित हो जाना बड़ा आवश्यक है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस बात के लिये कदम उठाने चाहियें कि कोई भी कारखाना कोयले की कमी के कारण बन्द न हो। यह आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को कपड़े की मिलें इसी कारण बन्द रही हैं। कृषि श्रम के जीवन स्तर को भी ऊपर उठाने की आवश्यकता है। अन्य राज्यों से मजदूर लाने और स्थानीय मजदूरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को दूर किया जाना चाहिये। मजदूरों के वेतनक्रमों में भी एकरूपता लाई जानी चाहिये।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

हमारे देश की उन्नति बहुत कुछ लेबर पर निर्भर करती है। लेबर अगर सन्तुष्ट रहती है, तो हमारा हर एक काम आगे बढ़ सकता है और अगर वह सन्तुष्ट नहीं रहती है, वह सैटिसफाइड नहीं रहती है तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ सकता है। दुर्भाग्य से आज जो वातावरण है वह चारों ओर स्ट्राइक्स का है और यह फैल रहा है। अभी दिल्ली में ही होटल एम्पलायीज़ की स्ट्राइक हुई थी और आज ही अखबारों में निकला है कि वह खत्म हो गई है। यह जो वातावरण है यह कैसे बन्द हो, इस पर इस सदन को तथा सरकार को ठंडे दिल से विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह वातावरण

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री सिंहासन सिंह]

तभी बन्द होगा जबकि लेबर में सन्तोष की भावना होगी, उनके वेतन उनको ठीक प्रकार से और समय पर मिलेंगे और जहां तक उनकी सर्विस का ताल्लुक है, उनको यह डर नहीं होगा कि जब मालिक चाहे,उनको निकाल सकते हैं। मुझे फैड्रल रिपब्लिक आफ वैस्ट जर्मनी के बारे में मालूम है। वहां पर एक सिस्टम निकाला गया है जिसके मुताबिक वहां जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं,उनके अन्दर एम्पालयर और एम्पलायी के बीच एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के आधार पर वहां पर प्राडकशन होता है, बढ़ता है और हर तीन महीने के बाद उस एग्रीमेंट की समालोचना होती है और देखा जाता है कि उस एग्रीमेंट का पालन किस तरह से हो रहा है और अगर ठीक तरह से नहीं हो रहा होता है, तो उसके फलस्वरूप वह ठीक तरह से होने लग जाता है और स्ट्राइक की नौबत ही नहीं आती है। उस एग्रीमेंट में यह होता है कि जो प्राडक्शन बढ़ेगी वह कैसे बढ़ेगी। उस सिस्टम को अधिकांशतः अगर हम अपने यहां लागू करें यहां भी उसकी शुरुआत करें तो बहुत अंशों में हमारे यहां भी प्राडक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है, और जो एम्पलायर और एम्पलायी का झगड़ा है वह बन्द हो सकता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उस तरफ ध्यान दें।

कल उन्होंने एक घोषणा की है कि वह इनाम देना चाहते हैं। यह अच्छी चीज है और इससे लेबर को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इनाम के साथ साथ जो कार्य प्रणाली हमारे यहां है उसको भी बदलने की जरूरत है। अगर यहां पर पीस वर्क हो तो मजदूर ज्यादा काम कर सकते हैं। आज हालत यह है कि वेतन निश्चित हैं और काम को नहीं देखा जाता है। अगर वेतन काम पर आधारित हो और उसके अधिक जितना भी कोई काम करे उसका उसको अधिक वेतन मिले तो शायद उस सूरत में काम ठीक से चलेगा, प्राडक्शन भी बढ़ेगा और काम में हर्जा भी नहीं होगा। जहां जहां पर लेबर के वेतन निश्चित हैं, वहां वहां वह काम नहीं करती है और बेकार बैठी रहती है। आफिसों में ज्यादा तर चाय इत्यादि पीने में ही समय गुजारा जाता है। उनके लिये कोई काम की मिकदार निश्चित नहीं है कि इतने कागज या इतना काम तुम को निश्चित तौर पर करना होगा। आज फाइलें चलती हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। फाइलें तो चलती ही रहती हैं। इसके लिये भी पीस वर्क सिस्टम दफ्तरों से लेकर मशीन के काम तक अगर हो जाये तो शायद हमारे झगड़े भी बहुत हद तक कम हो सकते हैं और काम भी बढ़ सकता है और अच्छा हो सकता है।

मेरा यह भी निश्चित मत है कि एम्पलायमेंट एकसचेंजिज जो आपने खोल रखे हैं, उनमें सुधार होने की जरूरत है। आज होता यह है कि एक व्यक्ति उसमें जाता है और जाकर अपना नाम रजिस्टर करा कर आ जाता है और हर तीसरे महीने जाकर उसको अपने नाम को रिन्यू करवाना पड़ता है। किसी को व्यवसाय मिल भी जाता है लेकिन अधिकांश को नहीं मिलता है। चूंकि उसको कुछ सुविधा यहां नहीं होती है, इस वास्ते वह व्यवसाय पाने की अन्यत्र खोज करता रहता है। यह भी देखने में आया है कि जो एम्पलाइंग आथोरिटी होती है वह एम्पलायमेंट एक्सचेंज को लिख कर भेज देती है कि फलां का नाम भेज देना हम उसको ले लेंगे। एक तरह से सिफारिश का यह दूसरा रास्ता खुल गया है। एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज का फायदा इस तरह से भी हो सकता है कि जो रजिस्टर्ड अनएम्पलायड होते हैं, उनको अमरीका में तथा कुछ और मुल्कों में, राहत पहुंचाई जाती है, वैसे ही राहत यहां भी पहुंचाई जाये। लेकिन जबकि वहां पर बोनस दिया जाता है, ग्रेचुअटी दी जाती है, हमारे यहां कुछ नहीं दिया जाता है। यहां पर जब नाम रजिस्टर कर लिये जाते हैं तो कह दिया जाता है कि दो लाख या दस लाख या बीस लाख लोग अनएम्पलायड हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैटर एम्पलायमेंट के लिये अपने नाम दर्ज कराते हैं। मैं चाहता हूं जो भी आदमी रखे जायें वे एम्पलायमेंट एक्सचेंज से मंगा कर रखे जायें, उसके थ्रू लिस्टें मंगा कर रखे जायें। अगर इसके लिये कोई टैस्ट वगैरह की जरूरत हो तो वह भी लिया जा सकता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि

एन० इ० रेलवे में एक बार हमने जनरल मैनेजर से मिलकर यह तय कर दिया कि क्लास ३ की जितनी भी एपाइंटमेंट्स हों उनको करने के लिये एक आदमी तो आपका हो, एक डाक्टर हो और तीसरा एम्पलायमेंट एक्सचेंज का आदमी हो और ये तीनों बैठ कर चुनाव कर लें और लोगों को रख लें। यह चीज थोड़े दिन तो चली और इससे लोगों को काफी राहत मिली लेकिन बाद में नहीं चल सकी। मैं चाहता हूं कि एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज के वर्किंग की तरफ आप विशेष तौर से ध्यान दें।

अब मैं कैजुअल लेबर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। रेलवे में खास तौर से कैजुअल लेबर वर्क सिस्टम चलता है। कैजुअल वर्क के लिये कैजुअल वर्कर मुकर्रर कर लिये जाते हैं। रेलवे पर और दूसरी जगहों पर भी यह रूल है कि जो छः महीने लगातार कैजुअल वर्कर के तौर पर काम करले उसको परमानेंट कर दिया जाना चाहिये। मगर होता यह है कि तीन महीने काम कर चुकने के बाद उसको अलग कर दिया जाता है, उसको एक महीना या पन्द्रह दिन घर बिठा दिया जाता है और फिर काम पर लगा लिया जाता है। इस तरह से वर्षों तक उसको कैजुअल लेबरर के तौर पर काम करना पड़ता है और मुस्तकिल नहीं किया जाता है। लेबर डिपार्टमेंट को यह देखना चाहिये कि कैजुअल लेबर एक बार अगर भरती हो जाये तो उस डिपार्टमेंट में काम खत्म होते ही, दूसरे विभाग में उसको काम पर लगा लिया जाये बजाय इसके कि उसको घर बिठा दिया जाये और वह मारा मारा फिरता रहे। कैजुअल लेबर में भी जो कुछ पैसा खर्च कर सकता है, उसको तो शायद तुरन्त काम मिल जाता है और जो दूसरे बहुत से लोग पैसे नहीं खर्च कर पाते हैं उनको काम नहीं मिलता है। एक चीज हम खास तौर पर महसूस करते हैं। कैजुअल लेबर को परेशान नहीं किया जाना चाहिये और कोई एसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि कैजुअल लेबर रहते हुये भी उनको बेकार न रहना पड़े। देखा गया है कि अगर कोई महकमा बन्द होता है और कल किसी दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरा काम शुरू होता है तो दूसरी कैजुअल लेबर को भरती कर लिया जाता है और पहली को नहीं रखा जाता है। ऐसा करने से कैजुअल लेबर को दिक्कत होती है। मेरा ख्याल है कि कैजुअल लेबर को आपको परेशानी में नहीं डालना चाहिये। वे ऐसे लोग हैं जिन को आप ४५ रु० देते हैं यानी १।। रु० रोज। उसको मिनिमम वेज भी नहीं मिलती है। उसको आप ४५ रु० देते हैं और रोजाना की हाजिरी है। थोड़े दिन बैठ जाने के बाद अगर शहर जाता है तो वहां उसे काम नहीं मिलता है। इस तरह से उसके अन्दर असन्तोष की भावना फैलती है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि कैजुअल लेबर के वास्ते खास व्यवस्था होनी चाहिये।

दूसरे-लेबर के मकानात के बारे में हाउसिंग स्कीम है। गवर्नमेंट से काफी रुपया मिलता है। नन्दा जी की कृपा से लेबर इन्क्वायरी कमेटी के सिलसिले में मुझे गोरखपुर जाकर कुछ कोलिअरीज देखने का मौका मिला। वहां पर हमने देखा कि एक एक कमरे में १५-१५, १६-१६ लेबरर्स भरे हैं। उसको देख कर बड़ी तकलीफ हुई। एक जगह पर लेबरर्स ने हमें घेर लिया और कहा कि हम दिन भर काम करने के बाद शाम को घर जाने का मौका पाते हैं लेकिन हमको बैठने की भी जगह नहीं मिलती है, पानी पीने का भी स्थान नहीं है। जो जगह मिली है वह भी बड़ी गन्दी है। कोलिअरीज में देखा कि इतनी मक्खियां हैं जिसका ठिकाना नहीं है। हम लोग वहां पर गये थे इसलिये शायद फिनायल आदि डाला गया था। फिनायल डालने पर जब यह हाल था तो फिनायल जब नहीं पड़ता होगा तब क्या हालत होती होगी? १६-१६ आदमी एक जगह पर रहते हैं। आखिर वे भी आदमी हैं, उनके बाल बच्चे हैं। आप गवर्नमेंट से कैपिटलिस्टों को लेबर के मकान बनवाने के लिये रुपया देते हैं, लेकिन वे बनवाते नहीं हैं। ऐसा प्रबन्ध चाहिये कि कम से कम एक कमरा तो एक एक आदमी को मिले। जब यह भी नहीं किया जाता तो क्या लेबर में असन्तोष नहीं होगा? इसकी तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिये।

†श्री वादी जी (इन्दौर) : मुझे माननीय मंत्री से बहुत ही सहानुभूति है, इसलिए कि अपना पराया कोई भी तो उनकी बात नहीं सुनता ।

औद्योगिक संबंधों के मामले में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ही सबसे बड़े अपराधी हैं। खेद, है कि श्रम मंत्रालय रेलवे, प्रतिरक्षा, लोहा तथा इस्पात, और डाक तथा तार मंत्रालयों को अपने उपक्रमों में अनुशासन संहिता लागू करते के लिए वाध्य नहीं कर सका है।

विभिन्न श्रम कानून नियोजकों के पक्ष में हैं। यदि कोई कर्मचारी संहिता का पालन नहीं करता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है, परन्तु नियोजक के लिए कोई उपबन्ध नहीं है।

जब तक शिकायतें प्रकट करने और विवादों के हल के लिए कोई तेज काम करने वाला और स्वतन्त्र संगठन नहीं होगा तब तक औद्योगिक संबंधों में सुधार नहीं हो सकता। यद्यपि भिलाई इस्पात संयंत्र पूर्ण हो गया है, परन्तु नियोजक कर्मचारी संबंधों का विनियमन करने वाले स्थायी आदेश अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। सरकार उन श्रमिकों के साथ क्या न्याय करेगी जो पिछले समय में स्थायी आदेशों के अभाव में पदच्युत किए जा चुके हैं।

नियोजक औद्योगिक आवास के मामले में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। हमें कानून बना कर औद्योगिक उपक्रमों के कुल उत्पादन पर उपकर लगाना चाहिए जिसकी वसूली सरकार करे और उसके बाद वह स्वयं मकान बनाने का काम प्रारम्भ करे।

कई कार्मिक संघों को मान्यता नहीं दी गई है। उनके आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाई नहीं हुई है।

समस्त औद्योगिक संघटन इस प्रकार है कि उसमें नियोजकों को अधिकतम स्वतन्त्रता प्राप्त है। यद्यपि संशोधित औद्योगिक विवाद अधिनियम में नियोजको के लिये कार्य की शर्तों में एक पक्षीव परिवर्तन करना गैर-कानूनी बना दिया गया है परन्तु इस गैर-कानूनी परिवर्तन को रोकने के लिए कर्मचारियों की सहायता के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है।

यद्यपि सरकार अधिक रोजगार के लिए आयोजन कर रही है, तथापि संगठित उद्योग में वास्तविक रोजगार में दश प्रतिशत कमी हुई है । इससे मालूम होता है कि छटनी खूब चल रही है और जब तक उसे नहीं रोका जाएगा तब तक रोजगार की योजनाएं सफल नहीं होंगी।

मजदूर संघ संबंधी विधियां तुरन्त गोआ पर लागू की जानी चाहिएं।

मजदूरों के आन्दोलन में पुलिस का हस्तक्षेप सर्वथा अवांछनीय है। जब तक वे हिंसा न करें तब तक पुलिस को हस्तक्षेप करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।

मजदूरों के सम्बन्ध में सारी नीति बदलनी चाहिए । प्रबन्ध में मजदूरों को भी भाग देना चाहिए। इस सम्बन्ध में और औद्योगिक आवास और कार्मिक संघों को मान्यता देने के लिए कानून बनाने चाहिएं।

†श्री नन्दा मुझे प्रसन्नता है कि चर्चा में माननीय सदस्य के भाषण से जान आ गई है। माननीय सदस्य ने जो कुछ मामले उठाए हैं मैं उनके बारे में कुछ कहूंगा।

उससे पहले मैं और सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों के बारे में कहूंगा।

श्री प्रभातकार ने मुकद्दमों के बारे में पूछा था। वे जानना चाहते थे कि नियोजकों के विरुद्ध में कितने मुकद्दमे थे और मजदूरों के विरुद्ध कितने मुकद्दमे थे।

१९६० में नियोजकों के विरुद्ध अभियोग के २२९९ मामले थे और श्रमिकों के विरुद्ध एक भी नहीं था।

माननीय सदस्य ने श्रमिक वर्ग में वृद्धि के बारे में पूछा है। इसका उत्तर भी बहुत सरल है। वह यह है कि श्रमिक वर्ग में वृद्धि जन्म-दर में वृद्धि के कारण नहीं बल्कि मृत्यु-दर में कमी के कारण होती है। यह वृद्धि सभी उम्र के लोगों पर लागू होती है। जन्म दर में कुछ कमी हुई है किन्तु मृत्यु-दर में बहुत अधिक कमी हुई है।

यह याद रखना चाहिये कि ये आंकड़े प्रतिवर्ष राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की ओर से मिलते हैं। श्रमिक वर्ग की गणना १५-५९ वर्ष की आयु के उन स्त्री पुरुषों की संख्या के आधार पर की जाती है जो मजूरी पाकर काम कर रहे हैं या काम ढूंढ़ रहे हैं। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना है कि कितने काम ढूंढ़ रहे हैं। आजकल स्त्रियां अधिक काम ढूंढ़ रही हैं। अन्य लोग भी हो सकते हैं। मुझे आशा है, माननीय सदस्य अब संतुष्ट होंगे कि श्रमिक वर्ग में वृद्धि आंकड़ों के हेर फेर के कारण नहीं हुई बल्कि वास्तविक है।

माननीय सदस्य ने निर्वाह व्यय देशनांक के बारे में प्रश्न उठाया है। यह बहुत पहले बनाया गया था। अब आधार बदल चुके हैं। इसलिए नई कड़ी बनाना उचित और आवश्यक है। माननीय सदस्य की जानकारी संभवतः उस क्षेत्रीय जांच से ली गई है। जो अगस्त १९५८ को शुरू की गई थी और सितम्बर १९५९ को समाप्त की गई थी। कुछ केन्द्रों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली। अब तक २९ केन्द्रों के देशनांक तैयार किये गये हैं और उनकी पड़ताल की जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने पर नई कड़ी के आधार पर उपभोक्ता मूल्य देशनांक न केवल ५० केन्द्रों के लिए बल्कि सारे भारत के लिए प्रकाशि किये जायेंगे यह सितम्बर के अन्त तक हो जायगा।

माननीय सदस्य को रोजगार पर वैज्ञानिकरण के प्रभाव के बारे में भी संदेह है। मौसमी या अन्य प्रकार का उतार चढ़ाव हो सकता है किन्तु महत्वपूर्ण चीज प्रकृति है। इस बात के बावजूद कि आधुनिकीकरण और प्रविधिक सुधार के कारण रोजगार अवश्य कुछ कम होगा। किन्तु प्रश्न यह है कि रोजगार के अवसर साथ-साथ कितने बढ़ रहे हैं। हम प्रवि-धिक प्रगति रोक नहीं सकते। यदि ऐसा करें, तो कुछ लोगों का रोजगार बना रहेगा किन्तु उन लाखों का क्या होगा जो काम ढूंढ़ रहे हैं? मेरे पास स्थिति के सम्बन्ध में आंकड़े हैं। १९५१-५५ के बीच सूती मिलों में, जिनका उल्लेख किया गया है, रोजगार ६,८५,००० व्यक्तियों के पास था अब ७,९०,००० है। रेशम की मिलों में यह ५४,००० से ७१,००० हो गया है, चीनी की मिलों में ९५,००० से १२३,०००। सीमेंट की मिलो में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। कागज की मिलों में ७,००० की वृद्धि हुई है। शीशा उद्योग में भी कुछ वृद्धि हुई हैं। सभी उद्योगों में कुछ न कुछ वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकन के कारण किसी कारखाने में श्रमिकों की संख्या कम हो सकती है किन्तु इसके कुछ संरक्षण भी हैं। वैज्ञानिकन के बारे में यह सम-

[श्री नंदा]

झौता है कि यदि वर्तमान श्रमिक बल में बेकारी फैले, तो वैज्ञानिकन नहीं किया जायेगा। यह नियम है कि किसी को निकाला नहीं जायेगा यदि इस नियम का उल्लंघन न हो, तो इसके उपाय किये जा सकते हैं।

रिक्तियों की सूचना देने के बारे में पूछा गया था कि नियोजकों को केवल सूचना देने के लिए बाध्य करने का क्या लाभ है, जब तक कि हम उन्हें यह न कह सके कि वे नौकरी दफ्तरों द्वारा भेजे गये व्यक्तियों को नियुक्त करें। इस बात पर विचार किया गया था। विश्व में कहीं नियोजकों पर दबाव नहीं डाला जा सकता कि वे किसी को नियक्त करें। अधिनियम का प्रभाव यह हुआ कि नियुक्तियों की संख्या बढ़ गई है। हम कानूनी तौर पर उन्हें बाध्य नहीं कर सकते किन्तु हम उनसे कह सकते हैं कि वे अच्छे व्यक्तियों के नामों की उपेक्षा न करें और अपनी मनमानी न करें।

मजूरी बोर्डों के बारे में सुझाव मान लिया गया है। इनकी लोकप्रियता बढ़ गई है और अधिकाधिक बोर्डों की मांग हो रही है। वेतन निश्चित करने के इस नये तरीके के परिणाम भी संतोषजनक हैं। प्रश्न यह है कि अधिक बोर्ड क्यों नहीं बनाये जाते। जिन-जिन उद्योगों के श्रमिकों ने मांग की है, उनके लिए मजूरी बोर्ड बना दिये गये हैं, केवल तीन को छोड़ कर। अब बीड़ी और सिगार उद्योगों के लिए भी मांग की गई है। किसी को सिगारों में रुचि थी।

हमारी भी अपनी कठिनाइयां हैं। केवल आदेश निकाल देने से तो मजूरी बोर्ड नहीं बन जायेगा। हमें तो न्यायाधिकरणों के लिये ही उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। उसके सभापति, इत्यादि सभी सदस्य एक स्तर के ही होने चाहियें, क्योंकि उनकी सिफारिशों का प्रभाव हजारों-लाखों मजदूरों पर पड़ता है। दूसरी कठिनाई यह है कि समय आने पर बोर्डों के निर्णयों को कार्यान्वित भी करना पड़ता है। और तब उसके लिये भी कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिये कि वह वैधानिक रूप से अनिवार्य तो है नहीं। पहले इसके लिये यहां एक विधान लाने की बात सोची गयी थी, फिर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि उससे अधिक लाभ नहीं होगा। न्यायाधिकरणों के निर्णय भी तो कुछ लोग पालन करने में असमर्थ हो सकते हैं। विधान यदि बनाया जायेगा, तो न्यायालयों का हस्तक्षेप भी आयेगा। इसलिये वह विचार त्याग दिया गया है।

बीड़ी उद्योग के बारे में यह है कि विभिन्न राज्यों की दरों में इतनी असमानतायें हैं कि बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। फिर यह उद्योग एक से दूसरे राज्य में चला जाता है। हमने इस दिशा में काफी प्रगति की है। सभी राज्यों से इस पर बात हुई है, और वे मजूरी में असमानता दूर करने का वचन दे चुके हैं। यदि माननीय सदस्य ब्यौरा चाहें, तो मैं उनको अलग से बता सकता हूं।

न्याय-निर्णयन और मध्यस्थ निर्णय के बीच क्या वैधानिक अन्तर है, यह मुझे देखना पड़ेगा। मध्यस्थ निर्णय के बजाय, न्याय-निर्णयन की शरण लेने वाले मजदूरों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिये। होना यह चाहिये कि मजदूरों को कई स्तरों पर निर्णय के लिये न जाना पड़े। और, मध्यस्थ निर्णय अन्तिम तो माना ही जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने आदिम जातीय अर्थ-व्यवस्था और खेतिहर मजदूरों का प्रश्न उठाया था। मैं उन से सहमत हूं। मैं मानता हूं कि हमें अपने आपको केवल औद्योगिक

मजदूरों के प्रति उत्तरदायी नहीं समझना चाहिये। लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयों को तो देखना पड़ेगा। खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी अधिनियम तो उपयोगी है ही। उसे सभी राज्यों में लागू किया जा चुका है। असल में वे इतने फैले फैले हैं कि अधिनियम की कार्यान्विति कठिन हो जाती है। हां, अब पचायतें और पचायत समितियां उसमें कुछ सहायता शायद कर सकें। मुश्किल असल में यह है कि खेतिहर मजदूर ही नहीं, उनके मालिकान, उनसे काम लेने वाले भी निर्धन होते हैं। सुधार का एकमात्र मार्ग है देहाती क्षेत्रों की कृषीय उत्पादकता और उसके साथ-साथ समृद्धि बढ़ाई जाये।

मेरे अपने क्षेत्र में आदिम जाति की आबादी काफी है। मैं उनकी समस्यायें जानता हूं। मुझे उनके साथ पूरी सहानुभूति है। मैं ने स्वयं उनको समाज में बेहतर स्थान दिलाने के लिये प्रयास किया है। औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण के कारण जब भी उनको एक से दूसरी जगह पर भेजना पड़ा है, मैं ने उनको समुचित प्रतिकर दिलाने की कोशिश की है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें भी इसका ध्यान रखती हैं। और ऐसे विस्थापित लोगों को प्रशिक्षण तथा रोजगार के मामले में वरीयता देती हैं।

सरकारी उपक्रमों पर भी चर्चा हुई थी। कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में एक यह भ्रांति है कि सरकारी उपक्रमों के लिये एक और निजी उपक्रमों के लिये कोई दूसरी श्रम नीति है। इसका स्पष्टीकरण कई बार किया जा चुका है। इस्पात और भारी उद्योग मंत्री ने भी इस सम्बन्ध में अभी कुछ दिन पहले एक वक्तव्य दिया था। एक निश्चित श्रम नीति है जिसे सरकारी क्षेत्र पर क्रमशः लागू किया जाता रहा है। उदाहरण के लिये अनुशासन संहिता को एकाएक सरकारी उपक्रमों पर लागू नहीं किया गया था। उनसे परामर्श किया गया था, और उनकी सहमति के बाद भी उन पर लागू की गई थी।

यहां केन्द्र में मैंने अपने सहयोगी सम्बन्धित मंत्रियों के साथ दो बार परामर्श किया था। उसमें दो बातों पर स्पष्टीकरण हुआ था। एक तो अनुशासन संहिता, और दूसरी संयुक्त प्रबन्ध परिषदें। सभी इस पर सहमत हुए थे कि उपयुक्त अवस्था तक विकसित हो चुकने वाले सभी सरकारी उपक्रमों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें बनाई जायेंगी। इसके लिये एक विशेष विभाग स्थापित किया गया है। कठिनाई यह है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें बड़ी बड़ी हैं, और उनकी ओर ही पहले लोगों का ध्यान जाता है। और, फिर प्रबन्धकों में भी नये-नये लोग भर्ती हो कर आये हैं। इससे भी कुछ कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं।

निर्माण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में लोगों की शिकायत थी कि विधियों को लागू नहीं किया जा रहा है। कुछ मामलों में यह सही भी था। प्रारम्भिक अवस्थाओं में कुछ सरकारी उपक्रमों ने विधियों को अनदेखा किया अवश्य था, पर, अपने दायित्वों की जानकारी होते ही, उन्होंने उनको लागू करना शुरु कर दिया था।

उसके बाद हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और भिलाई के बारे में मामला पेश किया गया। मैं समझता हूं कि प्रबन्धकों के अधिक स्वस्थ्य दृष्टिकोण से और उन लोगों की ओर से जिन्होंने गड़बड़ी की, अधिक उत्तरदायित्व की भावना से यही गड़बड़ी रोकी जा सकती थी। इस नयी संस्था में, एक ही साथ ५० मांगें पेश की गयीं और प्रशिक्षार्थी, सुरक्षा सेवा के लोग आदि आये दिन भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं अपने माननीय मित्र से मिलकर हर ब्यौरे पर विचार करने के लिये तैयार हूं। लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है उससे मैं

[श्री नंदा]

इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि सरकारी क्षेत्र की इस नयी संस्था को इन परेशानियों से बचाया जा सकता था ।

सोनेपत या और दूसरी जगह भी कहीं पर भूख हड़ताल का प्रश्न था। जिस माननीय सदस्य ने यह बात उठायी थी, वह यहां नहीं हैं और इसलिए मैं दूसरे माननीय सदस्यों का समय नहीं लूंगा। लेकिन तथ्य यह है कि कुछ ही दिन पहले यह संघ स्थापित हुआ और आज वह मान्यता चाहता है और चूंकि मान्यता नहीं दी गयी इसलिए भूख हड़ताल की जाती है। यह सब क्या है, सिवाय इसके कि जबर्दस्ती लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जाये और मान्यता प्राप्त की जाये। वह मुमकिन नहीं है । हमें ये भूख हड़तालें बन्द करनी हैं। हां, यदि आप स्थिति तक पहुचे हों कि आप यह महसूस करते हैं कि न्याय नहीं किया जा रहा है और अब दूसरा कोई रास्ता बच नहीं गया है तब तो कोई भूखहड़ताल करने में कोई गलत बात नहीं है । मैं जानता हूं कि मजदूरों की क्या कठिनाइयां और मुसीबतें होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वे निराश हो जाते हैं और उग्र कार्यवाहियां करते हैं लेकिन उससे पहले सभी उचित मार्गों को एक बार अपना लेना चाहिये।

फिर केन्द्रीय कार्यान्विति कार्य प्रणाली भी है जो सिर्फ केन्द्रीय सरकार के लिए है लेकिन राज्यों की गतिविधियों के बारे में भी दिलचस्पी ली जाती है और जानकारी इकट्ठी की जाती है । अनुशासन संहिता द्वारा इसे संभव बनाया गया है । राज्यों में विधियों को लागू करने के मामले में जो कुछ हो रहा है उसका यहां विवेचन नहीं किया जा सकता है और मेरी यही कठिनाई है । कुछ बातों का यहां उल्लेख किया गया है जो वास्तव में राज्य सरकार के क्षेत्र की हैं लेकिन फिर भी मैं हमेशा ही राज्यों में अपने सहयोगियों से मिलकर इस बात की कोशिश करने के लिए तैयार रहता हूं कि राज्यों में भी स्थिति में सुधार हो।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : जब कार्यान्विति प्रणाली असफल हो जाती है तभी मजदूर इन चीजों का आश्रय लेते हैं ।

†**श्री नन्दा** : यह बिल्कुल गलत है कि केन्द्र में यह प्रणाली असफल हो रही है। स्थिति में अवश्य ही सुधार हुआ है लेकिन वह इस कारण नहीं कि मैं ने कुछ किया है या सरकार ने कुछ किया है । मैं केन्द्रीय मजदूर संघों के सहयोग के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं । माननीय विरोधी सदस्य कहते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि हर साल प्रत्येक दिशा में स्थिति सुधरती जा रही है ।

उसके बाद मामले निबटाने की गति का प्रश्न है । जहां तक सुप्रीम कोर्ट में अपीलों का सम्बन्ध है, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन १९५९ में स्थिति यह थी कि विचाराधीन मामलों की संख्या १८६ थी, साल के दौरान दर्ज की गयी अपीलों की संख्या ११७ थी और निबटाये गये मामलों की संख्या ८१ थी। १९६० में २२२ मामले विचाराधीन थे और १२५ नये मामले थे और २४९ मामले निबटाये गये। १९६१ में वह संख्या कुछ कम हो गयी थी लेकिन अब भी विचाराधीन मामलों की संख्या ११२ है । इस तरह स्थिति में सुधार हुआ है । इसलिए मैं यह कहता हूं कि मामले निबटाने की रफ्तार काफी तेज हो गयी है ।

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक हमारी जानकारी है, कोयला खानों के सम्बन्ध में, ७८ प्रतिशत मामले दो महीनों के अन्दर सरकार द्वारा अन्तिम रूप से निबटा दिये गये हैं।

समझौता और मध्यस्थता के सम्बन्ध में भी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। १९६० में, समझौते के लिए पेश किये गये ७१ प्रतिशत मामले दो महीने के अन्दर निबटाये गये और १९६१ में ६५ प्रतिशत मामले दो महीने के अन्दर निबटाये गये। यही स्थिति न्याय निर्णयन के सम्बन्ध में भी है। वहां भी स्थिति सुधर रही है लेकिन वहां अवधि दो महीने नहीं बल्कि छः महीने की है। । १९६० में ५४.३ प्रतिशत मामले छः महीने के अन्दर निबटाये गये और १९६१ में ६७.३ प्रतिशत। औद्योगिक सम्बन्ध की प्रणाली इस प्रकार काम कर रही है और उसमें बराबर सुधार होता हुआ दिखायी पड़ रहा है। अब भी उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है और मेरा विश्वास है कि बहुत जल्द ही यथासंभव अधिकतम सुधार किया जा सकेगा।

मैं सरकारी क्षेत्र के बारे में कुछ बता रहा था। जो अनेक कदम उठाये गये हैं और विधियों आदि के प्रशासन में जो सुधार हुआ है उस बारे में मैं ने जानकारी दी थी। लेकिन एक बात और है। बागानों में हमने उस उद्योग के सम्बन्ध में कुछ प्रयोजनों के लिए अनुशासन संहिता में कुछ परिवर्तन कर दिये हैं। इसी प्रकार मेरे सहयोगी, इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्री यह कह सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र की स्थिति में कुछ पहलुओं पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। हम अवश्य ही उस पर विचार कर सकते हैं।

आगे अब इरादे और काम के बीच अन्तर का प्रश्न है। प्रायः सभी लोग श्रम सम्बन्धी मामलों के बारे में स्थिति के स्पष्टीकरण से जो अभी अभी मैं ने आपके सामने रखा है, सहमत है। वे यह मानते हैं कि मैं ने स्थिति का जो निदान किया है वह बिल्कुल ठीक है लेकिन इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि मैं सभी उपायों को काम में नहीं ला रहा हूं। मैं यह दावा नहीं कर सकता कि सभी समस्याओं का पूरी तरह हल करने के लिए मैं ने हर चीज पूरी तरह पूरी की है। उस अर्थ में, माननीय सदस्य का कहना ठीक है। लेकिन कसौटी यह है कि क्या हर संभव प्रयत्न किया गया है या नहीं, क्या उसमें उचित सफलता मिली है या नहीं और क्या कोई ऐसे भी जरिये थे जिन्हें अपनाने से अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होते और जो हमने नहीं अपनाये। मुझे विश्वास है कि हम उस कसौटी पर पूरी तरह सच्चे उतरेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रत्येक दिशा में जोरदार प्रयत्न किये जा रहे हैं और प्रत्येक दिशा में काफी अधिक उन्नति हुई है। औद्योगिक सम्बन्ध के क्षेत्र में मैं बता चुका हूं कि समझौते, न्याय निर्णयन आदि के मामलों में कितनी शीघ्रता की जा रही है, सरकार ने हस्तक्षेप का उत्तरदायित्व ले लिया है। कार्यान्विति प्रणाली कायम की जा चुकी है और वह सम्बन्धित दलों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

माननीय सदस्य यह धारणा उत्पन्न करना चाहते थे कि देश में पूरी तरह अव्यवस्था है, पुलिस चाहे जिसे पकड़ लेती हैं, मजदूरों की आजादी खतरे में हैं आदि। लेकिन अनियंत्रित कार्यवाही को उत्तेजित करने और प्रोत्साहन देने से स्वतंत्रता को संभवतः अधिक खतरा पैदा हो जाता है। मैं मजदूरों के अधिकारों का पूरा समर्थन करता हूं। यदि कहीं किसी जगह पुलिस ने ज्यादती की हो तो मैं मजदूरों का इस विषय में साथ दूंगा कि उन ज्यादतियों को दूर किया जाये और उनके लिये जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाये। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उसके लिये परिस्थितियां तैयार की जाती हैं। मैंने यहां भी आस-पास देखा है कि एक आदमी पटरी पर भूख हड़ताल करने बैठ जाता हैं, फिर भीड़ इकठ्ठी हो जाती है और यह भावना उत्पन्न की जाती है कि

[श्री नन्दा]

यह आदमी मर जायेगा और तब शांति और व्यवस्था कायम रखने की समस्या हमारे सामने पैदा हो जाती है। इस तरह पुलिस को बीच में कूदना पड़ता है।

आगे कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर में सुधार के प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूं कि कितना भौतिक लाभ दिया जा चुका है। हम उनकी आकांक्षाओं को पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं कर सके हैं। सरकार ने उचित मजूरी समिति की रिपोर्ट मंजूर कर ली है। सभी मजूरी बोर्डों के लिये उसकी सिफारिश की गयी है। मैं समझता हूं कि कहीं भी मजूरी निर्धारण के मामले में मजूरी बोर्डों का रचना एक बहुत अच्छी बात है। सामाजिक सुरक्षा के मामले में काफी कुछ किया गया है। मैं समझता हूं कि हम उस पर गर्व कर सकते हैं। यदि हम किसी भी देश के साथ तुलना करें और यह देखें कि सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि खाली समय के लिये क्षतिपूर्ति आदि के मामले में मजदूरों के लिये क्या कुछ किया गया है, तो मैं समझता हूं कि हमें शर्मिन्दा होने की जरूरत नहीं होगी। यह बात नहीं कि हमने कुछ भी नहीं किया है।

अब प्रश्न यह है कि अधिक क्यों न हो। इसके तीन कारण हैं कि हमारी सफलता सीमित क्यों हैं। पहला तो यह कि मैं मंजूर करता हूं कि मेरे, मेरे सहयोगियों और मेरे मंत्रालय के कर्मचारियों का कुछ परिसीमाएं हैं। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी क्षमता बढ़े और हम अपना काम अधिक अच्छी तरह कर सक। हमने अपने ऊपर अनेक उत्तरदायित्व ले लिये हैं। हम चाहते हैं कि हम उन चीजों को कार्यान्वित कर सकें। मने झगड़ों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये, मध्यस्थता निर्णय के लिये कई चीजें की हैं। हम अपनी उन कमियों को दूर करना चाहते हैं।

दूसरी परिसीमा उन लोगों की ओर से है जिनका सहयोग हमारे काम की सफलता के लिये अनिवार्य है। यह ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम नियमों में उल्लिखित कर दें और सारे देश में फैला दें। एक ओर हजारों मालिक हैं और दूसरी ओर लाखों कर्मचारी हैं। जब तक कि हमें उनका पूरा पूरा सहयोग प्राप्त न हो, तब तक परिणाम कैसे प्राप्त हो सकता है? क्या यह कहा जा सकता है कि मजदूरों के प्रतिनिधि हर मामले में जहां अनुशासन संहिता का उल्लंघन हुआ है, उसे दूर करने में सफल हुये हैं और क्या उन्होंने वे बातें लागू की हैं जो उन्हें करनी चाहिये थीं? हो सकता है कि मालिकों ने भी ऐसा ही किया हो। यह कमी है। केवल सरकार की तरफ से ही सारी चीजें नहीं हो जायेंगी। हमें मजदूरों की संगठित शक्ति की आवश्यकता है। वह कानूनों और केवल राज्य की शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है।

तीसरी परिसीमा देश की अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान दशा है। यदि हमसे मजूरी, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि आदि बढ़ाने के लिये कहा जाता है, तो सवाल यह उठता है कि हम उसे कहां तक बढ़ा सकते हैं और हमारी अर्थ-व्यवस्था उसे कहां तक बर्दाशत कर सकती है। हमारी योजनाएं हैं और हमें हर किसी के दावों पर विचार करना है। हमें आज यह देखना है कि यथाशीघ्र भविष्य वर्तमान से अधिक अच्छा हो। इसका मतलब यह है कि अधिक परिश्रम और उपभोग पर अधिक नियंत्रण करना होगा। यह बात नहीं कि कुछ लाख लोगों को उनकी मुंहमांगी सभी चीजें मिल जायें बल्कि हमें विशाल जनता के बारे में सोचना है जिन्हें हमें रोजगार की सुविधायें और अवसर देने हैं और देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार करना है। हम हर चीज नहीं कर सकते। यही हमारी परिसीमा है।

यही जवाब कई दूसरे सवालों के लिये है। करोड़ों रुपये औद्योगिक आवासन और राज सहायता पर खर्च किये जा चुके हैं। लेकिन और कितने करोड़ रुपये खर्च किये जा सकते हैं। मैं चाहता

हूं कि और खर्च किया जाये लेकिन कभी कभी तो एक मजदूर के लिये मकान बनाने में, उसे रोजगार देने के लिये जितना रुपया लगाना पड़ता है, उससे कहीं अधिक खर्च हो जाता है ।

मजदूर यह कहगे कि मालिकों के मुनाफे में से क्यों नहीं लिया जाता और मजदूरों को दिया जाता । मैंने लाभ का हिसाब लगाया है । अगर उसे आधा भी कर दिया जाये तो मजदूरों को ७ से ८ या सिर्फ ९ प्रतिशत से अधिक नहीं मिल सकेगा । फिर, क्या ८ प्रतिशत अधिक मजूरी से सारा मामला खत्म हो जायेगा । अगर ऐसा हो तो मजदूरों की आकांक्षाएं बहुत सीमित हैं। हम चाहते हैं कि उनकी मजूरी दूनी हो। लेकिन उसे दूना करने का यह तरीका नहीं है कि मालिकों का लाभांश ले लिया जाये । वह तो अधिक उत्पाकता बढ़ाने, बरबादी कम करने और अधिकाधिक सहयोग से हो हो सकता हैं । इन बातों को ओर ध्यान दिलाया जाना चाहिये, न कि एक ही साथ बहुत सो मांमें पेश की जायें और उद्योग में हड़ताल की स्थिति उत्पन्न की जाये। जब उद्योग अधिक देने की स्थिति में न हो तो हड़ताल करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसीलिये मजूरी बोर्ड, हमारी नयी कार्यवाहियां, और नीतियां, कार्यकुशलता और कल्याण संहिता, प्रबन्ध परिषदें आदि सभी चीजें उस प्रक्रिया का एक भाग है ।

अन्त में मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि मैंने कोई बात छिपाने की कोशिश नहीं की है और सभा को हर बात, अर्थात् जो कुछ नहीं किया गया है और जो कुछ किया गया है बतायी हैं । दुर्घटनाओं के संबंध में भी मैं स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हूं और इन मामलों के बारे में मैं केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि चालू तथा अगले एक या दो वर्षों में और अधिक सुधार के लिये हम जोरदार प्रयत्न करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुयीं :–

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६९	श्रम और रोजगार मंत्रालय . . .	२०,८०,०००
७०	मुख्य खान निरीक्षक	१८,३२,०००
७१	श्रम और रोजगार	६,४०,१९,०००
७२	श्रम और रोजगार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	७१,०००
१३२	श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	१,०६,०००

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करेगी और मत देगी । आठ घंटे का समय नियत किया गया है । जो सदस्य कटौती प्रस्ताव रखना चाहते हैं वे १५ मिनटों में अपनी चिटें भेज दें ।

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

वर्ष १९६२–६३ के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं —

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	७८,६९,०००
२	उद्योग	२०,७५,४५,०००
३	नमक	६४,६६,०००
४	वाणिज्यिक सूचना तथा सांख्यिकी	७०,४३,०००
५	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२,८४,१९,०००
११२	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजीगत परिव्यय	८,२२,२३,०००

†**श्री यलमंदा रेड्डी** (मारकापुर) : १९६१ में उद्योगों की कुछ प्रगति हुई है किन्तु पिछले दो वर्षों की अपेक्षा कम रही है। औद्योगिक उत्पादन भी कम हुआ है। यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि तीसरी योजना में उद्योगों पर धन अधिक लगाया जा रहा है और हम अधिक उत्पादन की अपेक्षा करते हैं, परन्तु वास्तव में यह पिछले वर्षों की तुलना में कम रहा है, यह खेद का विषय है।

१९६१–६२ में बिजली, परिवहन, कच्चे माल की कमी के कारण औद्योगिक तथा इस्पात उत्पादन में कमी हुई है। सीमेंट, उर्वरक, मशीनी औजारों के उत्पादन में भी कमी हुई है। मंत्रालय ने अपने प्रतिवेदन में इन कमियों को न दिखाकर केवल प्रगति ही दिखाई है।

तीसरी योजना के दूसरे वर्ष में औद्योगिक विकास में भारी संकट आ रहा है। विदेशी मुद्रा की कमी उसका प्रमुख कारण है। भुगतान सन्तुलन स्थिति, विदेशी मुद्रा का संकट और यूरोपीय साझा बाजार में इंगलिस्तान के शामिल होने के कारण मुख्य हैं। दूसरे भारत सहायता क्लब से मिलने वाली सहायता के बारे में भी स्थिति अनिश्चित है। तीसरा कारण बिजली, कोयला और परिवहन सुविधाओं का अभाव है। इन कारणों से उद्योगों की प्रगति को हानि पहुंच रही है। हमें तीसरी योजना में ३८०० करोड़ रुपये का माल आयात करना है परन्तु पांच वर्ष की अवधि में ३७०० करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य पूरा न होने के कारण कठिनाई उत्पन्न होगी। इसलिये प्रति वर्ष ७४० करोड़ का निर्यात करने की आवश्यकता है। पिछली दशाब्दि में निर्यात अच्छा नहीं रहा—व्यापार सन्तुलन भी प्रतिकूल है।

गत कुछ वर्षों से भारत की निर्यात स्थिति स्थिर है। १९५८–५९ में यह ४५२.७ थी। १९५९–६० में ३०१.३ थी। १९६०–६१ में ४५६.१ थी तथा १९६१-१९६२ में अप्रैल से सितम्बर तक १७१.७ थी। यह करोड़ों रुपयों में है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भारत का निर्यात घट रहा है जब कि अन्य देशों का बढ़ रहा है। मैं यह

†मूल अंग्रेजी में

बताना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त जब ब्रिटेन योरोपीय साझा बाजार में शामिल हो जायेगा तब भारत का लगभग २० करोड़ रुपये का निर्यात और कम हो जायेगा। परन्तु खेद है कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान नहो दे रही है और नये तरीकों को नहीं अपना रही है जिससे निर्यात बढ़ सके।

हमारी सरकार निर्यात के बदले में निर्यात करने की नीति का पालन कर रही है जो हमारे लिये हानिकर है क्योंकि अमरीका आदि देशों को भेजी गई हमारी वस्तुएं वहां से आईं वस्तुओं की तुलना में कम मूल्य की होती हैं। इसलिये आवश्यक हो जाता है कि एक ऐसा तरीका अथवा नीति अपनाई जानी चाहिये और नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिये जिससे कुछ सुधार हो।

हमारे सामने एक और कठिनाई है और वह है 'एड इंडिया क्लब' द्वारा भारत को सहायता देने के सम्बन्ध में निर्णय का विलम्बन। मुझे मालूम हुआ है कि १७ अप्रैल, १९६१ को श्री बी० के० नेहरू ने वित्त मंत्री तथा श्री के० दे० मालवीय को बताया कि विदेशी तेल समवायों को कुछ रियायत दी जाये। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हमारी सरकार को रियायत देने पर मजबूर किया जाता है। मैं चाहता हूं कि देश में स्थापित सभी विदेशी फर्मों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। और यदि इस समय राष्ट्रीयकरण करना संभव न हो तो इन विदेशी फर्मों के लाभों की सीमा निर्धारित कर दी जाये। मैं बताना चाहता हूं कि इंडोनेशिया, मिस्र, क्यूबा आदि ने ऐसा ही किया और वह विदेशियों के चंगुल से बच पाये।

अब मैं अपने राज्य आन्ध्र प्रदेश के बारे में कुछ बताऊंगा। पिछले १२ वर्षों से उद्योगों के संबंध में मेरे राज्य की उपेक्षा की जा रही है। हाल में ही मेरे राज्य में ४० प्रतिशत बिजली की कटौती कर दी गई है। इससे वहां पर बड़ी कठिनाई हो रही है। मेरी सरकार तथा वहां की जनता ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि लगभग ८ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा को स्वीकृति दें, जिससे राज्य में टर्बो गैस प्लांट लगाया जा सके। और इस कठिनाई को दूर किया जा सके।

मैं नहीं जानता कि सरकार ने रूस से सिंथैटिक ड्रग फैक्टरी के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं अथवा नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी क्या स्थिति है।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स के बारे में कुछ काम किया गया है और मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना की प्रगति में विदेशी मुद्रा के कारण कोई कठिनाई न आने पावे। आन्ध्र-प्रदेश सरकार गत दस वर्ष से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर रही है कि विशाखपटनम में एक मैरीन डीजल इंजन फैक्टरी बनाई जाये। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि मामले में शीघ्रता करें। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार को कोयला उद्योग के विस्तार के लिये कुछ सहायता दे।

मैं यह बताना चाहता हूं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा ने औद्योगिक मशीनें, यंत्र तथा बिजली की मशीनें बनाने के ८६७ लाइसेंस दिए हैं। परन्तु आन्ध्र प्रदेश को इस में से ६ लाइसेंस मिले हैं जब कि अन्य कुछ राज्यों को शेष लाइसेंस दे दिये गये हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार भविष्य में इस बात का ध्यान रखेगी तथा इन उद्योगों की स्थापना के लिये पिछड़े इलाकों को विशेष प्राथमिकता देगी।

श्री मंत्री (भीर) : उपाध्यक्ष महोदय, कामर्स एंड इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, उस पर बहुत सी चीजों का दारोमदार है। हमारा विदेशी व्यापार इसी पर निर्भर है। हमारे देश के जो लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा काम किस तरह से मिल सकता है यह इसी डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है। इसी डिपार्टमेंट को नैशनल इनकम बढ़ाने में, जिसके बारे में हमने कहा है कि तीसरे फाइव यीअर प्लान में हम चाहते हैं कि कम से कम पांच परसेंट हमारी नैशनल इनकम बढ़नी चाहिये, यह डिपार्टमेंट महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है और स लक्ष्य को हासिल करने में महत्व का अगर किसी डिपार्टमेंट को काम करना है, तो वह इसी डिपार्टमेंट को करना है। विदेशों से व्यापार करने के सम्बन्ध में जो हमारे मंडल बाहर के देशों में जा सकते हैं या बाहर के देशों के मंडल यहां आ सकते हैं, वे इसी डिपार्टमेंट की मार्फत आ जा सकते हैं। इन सब दृष्टियों से अगर देखा जाये तो कहना पड़ता है कि जो मांगें इस वर्ष के लिये इस डिपार्टमेंट की तरफ से पेश की गई हैं, वे मंजूर कर दी जानी चाहियें : उनकी क्या अहमियत है यह भी देखना हमारे लिये बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि वे बहुत ही उपयुक्त मांगें हैं, बहुत ही सही मांगें हैं और मैं सनका समर्थन करता हूं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हमारे भाई ने अभी बताया है कि भारत की फारेन एक्सचेंज पोजीशन जो है वह बहुत जटिल बन चुकी है। फारेन एक्सचेंज पोजीशन जटिल बनने का मतलब यह है कि हमारा जो आर्थिक विकास है, हमारा जो प्लानिंग है, हमारी जो दूसरी चीजें हैं, जो कि इस फारेन एक्सचेंज से सम्बन्धित हैं, उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसका क्या परिणाम हो सकता है, यह देखना हमारे लिये बहुत जरूरी है। आज हमारी फ़ारेन एक्सचेंज के मामले में पोजीशन यह है कि इन पांच महीनों में हम कम से कम तीस परसेंट अपने फारेन एक्सचेंज का खर्च कर चुके हैं और इस समय लगभग १०३ करोड़ हमारे फारेन एक्सचेंज में हैं। ऐसी हालत में अगर हमारा ध्यान जा सकता है तो इसको और कम करने की तरफ नहीं बल्कि इसको बढ़ाने की तरफ ही जा सकता है। हमें देखना होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा फारेन एक्सचेंज किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से हासिल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अमरीका एड इंडिया क्लब ने अपनी बैठक को बिना कोई मुद्दत बताये हुए स्थगित कर दिया है। उसकी हाल ही में एक बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था। इस लिहाज से देखा जाए तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार पर एक चैलेंज आया है कि वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो कर देश का विकास खुद अपने प्रयत्नों से कर ले। हमारे प्रधान मंत्री ने कुछ समय पहले हमें यह कहा था कि हमें बाहर के राष्ट्रों पर, बाहर के देशों पर अपना आर्थिक विकास करने के लिये निर्भर नहीं करना चाहिये। बल्कि स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो कर अपना आर्थिक विकास करना चाहिये और इसको हमें करके दिखा देना चाहिये। अब मैं समझता हूं कि एक अच्छा अवसर और एक अच्छा समय उपस्थित हो गया है जब कि हम यह बता सकते हैं कि दूसरे राष्ट्रों की मदद से नहीं बल्कि स्वयं अपनी ताकत से, अपने प्रयत्नों से अपने प्लान को कामयाब कर सकते हैं। यह जो चैलेंज उपस्थित हुआ है, इसका मुकाबला हमारे मंत्री महोदय सफलतापूर्वक करके दिखा सकेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

जहां तक फारेन एक्सचेंज कमाने का प्रश्न है, ब्रिटेन जो कि यूरोपियन कामन मार्किट में शरीक होने जा रहा है, उसका हम पर क्या असर पड़ेगा, इसे भी हमें देखना चाहिये।

अखबारों में यह निकला है कि ब्रिटेन के सेक्रेटरी इसी मास यहां आ रहे हैं और यहां पर वह हमारी सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। ब्रिटेन के उस में शरीक होने से क्या असर हम पर हो सकता है और क्या प्रभाव फारेन एक्सचेंज पर पड़ सकता है, क्या प्रभाव हमारा एक्सपार्ट्स पर पड़ सकता है, यह माननीय मंत्री जी के देखने की चीज है। ऐसा लगता है कि इस का बहुत बड़ा असर हम पर होने वाला है, इसका असर हमारी एक्सपार्ट्स पर बहुत ज्यादा होने वाला है। इस वास्ते इसके फलस्वरूप जो नुक्सान होने वाला है एक्सपार्ट का, उसको भी हमें पूरा करना है। मैं समझता हूं कि इस नुक्सान की पूर्ति कम और ज्यादा अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा कर ही कर सकते हैं। इस ओर आपका विशेष ध्यान जाना चाहिये।

यह सब कुछ होते हुये भी मुझे पूरी आशा है कि हमारी सरकार फारेन एक्सचेंज के प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर लेगी और जो कुछ भी संकट आज हमें दिखाई दे रहा है, उसमें से बड़ी अच्छी तरह से निकल सकेंगे। इस चैलेंज को हमें स्वीकार करना ही होगा और जो मार्किट हैं, उसको बढ़ाना होगा और नई नई मार्किट की खोज करनी होगी। यदि ऐसा करने में हम सफल हो गए तो मैं समझता हूं कि आज जो संकट हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम दूर करने में सफल हो जायेंगे।

एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कुछ कंसैशंज हमारे मंत्री महोदय ने दिए हैं। रेल भाड़े में कुछ कंसैशन दिया गया है, समुद्री फ्रेट में कुछ कंसेशन दिया गया है और इसी प्रकार से रोड से माल का जो परिवहन होता है, उसमें भी कुछ कमी की गई है। यह जो किया गया है, ठीक किया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और भी बातें हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिय। बाहर के मुल्कों में प्रदर्शनियां जो होती हैं या जो उनका आयोजन किया जाता है उनके सम्बन्ध में अकसर लोगों को यह शिकायत रहती है और अकसर लोगों का यह कहना है और हमारे पत्रों से भी ऐसा प्रतीत होता है और हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने भी यही बताया है कि इन प्रदर्शनियों के सिलसिले में जिन भारतीयों को नियुक्त किया जाता है, उनको अपने महकमों का और जो जो चीजें इन प्रदर्शनियों में प्रदर्शित की जाती हैं, उनकी पूरी पूरी जानकारी नहीं रहती है। इसका नतीजा यह होता है कि इन प्रदर्शनियों का जो असर बाहर वालों पर होना चाहिये, वह नहीं हो पाता है। यही हाल हमारे शो रूम्ज का हैं। मैं चाहता हूं कि उपयुक्त असर इन शो रूम्ज का और इन प्रदर्शनियों का कैसे हो सकता है और जिन मकसदों से इनका आयोजन किया जाता है या इनमें भाग लिया जाता है, वे मकसद पूरे होते हैं या नहीं, इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। वे आदमी इनमें रखे जाने चाहियें जो उन चीजों के बारे में जोकि वहां प्रदर्शित की जाती हैं, अच्छा ज्ञान रखते हों और जो भी जानकारी विदेशी लोग लेना चाहें, दे सकते हों।

बजट में हमने देखा है कि चाय, कपड़ा इत्यादि चीजों का एक्सपोर्ट करके हम काफी फारेन एक्सचेंज के रूप में कमाते हैं। हमने यह भी देखा है कि सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की है ताकि ज्यादा से ज्यादा माल वह बाहर भेजा जा सके। लेकिन फारेन एक्सचेंज की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें और जो चीजें एक्सपोर्ट की जा सकती हैं, उनको एक्सपोर्ट करने का भी प्रयत्न करना चाहिये और इसके लिए अगर आवश्यक हो तो कन्सैशन देने के लिए तैयार रहना चाहिये। जो भी कंसैशन देने की आवश्यकता हो, वे दे दिये जाने चाहियें। चाय के सम्बन्ध में हम देख रहे हैं कि पिछले दो सालों से या पिछले पांच सालों से चाय से हमारी आमदनी

[श्री मंत्री]

कम हो रही है और इसका कारण यह है कि सीलोन और अफ्रीका जैसे राष्ट्र भी आज हमारे कम्पीटीशन में आ खड़े हुए हैं। उनके कम्पीटीशन का किस तरह से जवाब दिया जा सकता है और किस तरह से हम उनके मुकाबले में खड़े हो सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। चाहे चाय के रेट को कम करके या चाय की परत को अच्छा बना कर, किसी भी तरह हो, उनका मुकाबला किया जाना चाहिये और चाय के अपने एक्सपोर्ट को न केवल हमें कायम रखना चाहिये बल्कि उसको और अधिक बढ़ाना चाहिये।

ज्यूट भी फारेन एक्सचेंज कमाने का बहुत अच्छा साधन रहा है। अब पाकिस्तान हमारे साथ कम्पीटीशन में आ गया है और इसका असर हमारी एक्सपोर्ट पर पड़ रहा है। इसी प्रकार से कपड़े के मामले में चीन और जापान हमारे साथ कम्पीट कर रहे हैं। इन कारणों से ज्यूट और कपड़े की एक्सपोर्ट के बारे में जो शंकायें उत्पन्न हो गई हैं, उनका निराकरण किया जाना चाहिये। इन सब वस्तुओं का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकता है, क्या इन पर ड्यूटी जो लगी हुई हैं, उसको कम करके बढ़ाया जा सकता है, इस पर विचार होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि इन सब बातों पर आपका ध्यान जाएगा।

एक्सपोर्टस के बारे में एक मुदालियर कमेटी नियुक्त हुई थी। उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। उस रिपोर्ट को हमारी सरकार ने किस हद तक स्वीकार किया है, वह सामने नहीं आया है। मुझे पूरी आशा है कि उसकी सिफारिशों को ज्यादा से ज्यादा इस दृष्टि से स्वीकार कर लिया जाएगा ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें, और हमारा फारेन एक्सचेंज का प्रश्न हल हो सके।

पिछली बार ज्वायंट कमेटी आफ पार्लियामेंट टू वर्क, सुपरवाइज एंड लुक इंटू दी मैटर आफ एक्सपोर्ट्स की नियुक्ति का सुझाव आया था। उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस तरह की कमेटी की इसलिए भी आवश्यकता महसूस होती है कि जो कुछ त्रुटियां हमारी रह जायेंगी या जो कमियां रह जायेंगी यह जो कमेटी बनगी वह उन त्रुटियों को दृष्टि में रखते हुए उपयुक्त सिफारिशें करेगी ताकि उन त्रुटियों को दूर किया जा सके। यह जो प्रोपोजल था, इसका क्या बना है, इस पर माननीय मंत्री जी रोशनी डालें। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की कमेटी बने तो अच्छा होगा और एक्सपोर्ट की जो कुछ चीजें हैं, उनमें उन्नति हो सकेगी।

इसी के साथ प्राइवेट सैक्टर के लिये भी अभी यह कहा गया कि १९५६ का जो इंडस्ट्रियल एक्ट था उसके सम्बन्ध में हम पब्लिक सेक्टर से हट कर प्राइवट सेक्टर की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़े हैं। इसमें शंका नहीं कि इस समय हम पब्लिक सेक्टर की तरफ कुछ कम जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़े हैं। आज की जो हमारी आर्थिक अवस्था है उसको देखते हुए अगर हम प्राइवेट सैक्टर को ज्यादा से ज्यादा मौका दे तो मैं समझता हूं कि हम इसमें कोई बुरी चीज नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ौसी राष्ट्र बर्मा और सीलोन हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि इंडस्ट्रीज पूरी तरह से नैशनलाइज हो जायेगी। लेकिन आठ साल बाद ऐसा समय आ गया है जब उनको अपनी पालिसी को, जो उन्होंने बनाई थी, रिकंसिडर करने की आवश्यकता हुई है, और व इस तरह से घोषित कर रहे हैं कि वे अपने यहां प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा मौका देने की बात सोच रहे हैं। इस तरह से हम प्राइवेट सेक्टर को न बनने दें और आजकी परिस्थिति में वह पीछे पड़ा रहे, ऐसा ठीक हीं मालूम होता है और न वह प्रैक्टिकली मुमकिन है।

दूसरी चीज यह है कि जब हम पब्लिक सेक्टर की तरफ देखते हैं तो कई शिकायतें सामने आती हैं कि हमारा पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। जो भी पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं उनमें से ५० फी सदी में ऐसी शिकायतें हैं कि वहां तत्काल काम नहीं होता है। वहां पर एफिशिएंसी नहीं है या वहां पर कम खर्च में काम नहीं होता है, या वहां पर इंटैग्रिटी नहीं है। इस तरीके से आज अलग अलग शिकायतें पब्लिक सेक्टर को हो रही हैं। यह शिकायतें आज के समय में दुरुस्त होनी आवश्यक हैं। साथ ही जो हमारे पब्लिक सेक्टर का उत्पादन है वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में और कम से कम कीमत में हो, इसकी तरफ हमें अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर पब्लिक सेक्टर का माल कीमती बनेगा तो उसका नैचुरल परिणाम यह होगा कि ऊपर से जनता पर एडीशनल टैक्सेशन लगेगा या दूसरी चीज यह होगी कि उस कारखाने की क्वालिटी का स्टैन्डर्ड घट जायेगा, या जो स्टैन्डर्ड आना चाहिये वह नहीं आयेगा। इसलिये पब्लिक सेक्टर के अन्दर जो माल बने वह अच्छा बने, यह भी हमारे ध्यान में रहना आवश्यक है।

इस के बाद एक चीज और मैं आप के ध्यान में लाना चाहता हूं जोकि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ के सम्बन्ध में है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ का विकास जिस तरह से होना चाहिये, हम देख रहे हैं कि वैसे नहीं हो रहा है। खास खास एरियाज़ में उस का ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा ऐसा एरिया है जहां स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ करीब करीब निल के बराबर हैं। हम दस, बारह सालों से इस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वहां पर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है। मैं मराठवाड़ा का जिक्र इसलिये कर रहा हूं कि वहां पर लैंड रिफार्म होने के बाद २४,००० लोगों को जमीन की मिल्कियत मिली है। किसी के पास बेसिक होल्डिंग है और किसी के पास फैमिली होल्डिंग है। मतलब यह है कि कम जमीन है और कम जमीन पर वह ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें तो भी उन का काम ठीक से नहीं चलता है। अपनी फैमिली का निर्वाह करने के लिये वहां के लोगों को ऐग्रो इंडस्ट्रीज़ की मदद लेनी पड़ती है। जब तक ऐग्रो इंडस्ट्रीज़ का सहारा नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि मराठवाडा में, जोकि एक बैकवर्ड एरिया है, विकास के लिहाज से ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज़ चलाई जायें और उस की उन्नति की जाय।

मैं बतलाना चाहता हूं कि मराठवाडा में तीन चार इंडस्ट्रियल एस्टेट्स शुरू करने की घोषणा की गई थी। मगर वहां पर एक भी इंडस्ट्रियल एस्टेट काम करने के लायक नहीं बनी है। इस प्रकार से जिन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की सिर्फ घोषणा की जाती रही है, उन के लिये देखा भी जाना चाहिये कि वे दरअस्ल काम कर रही हैं या नहीं। इस के लिये हम चाहते हैं कि आप जिस पालिसी को घोषित कर रहे हैं उस का एग्जिक्यूशन भी करें और मराठवाडा जोकि बैकवर्ड एरिया है वहां पर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ और ऐग्रो इंडस्ट्रीज़ चलाने की तरफ ध्यान भी दें।

श्री राम सिंह (बहराइच) : अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन व्यापार और उद्योग मंत्रालय की मांगों पर विचार करने जा रहा है। आधुनिक युग में संसार के सभी देशों में इस मंत्रालय का कितना महत्व है यह सदन के किसी सदस्य से छिपा नहीं है। देश की समृद्धि उस के वाणिज्य और उद्योग पर ही निर्भर रहती है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये तथा देश के आर्थिक विकास तथा सर्वांगीण उन्नति के लिये पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय देश का औद्योगीकरण करना था। हम इस बात को मानते हैं कि हमारी सरकार ने प्रायः दुनिया के सभी अमीर देशों से कर्ज ले कर बहुत बड़े बड़े कारखानों का निर्माण कर दिया। उस में से कुछ कारखानों में उत्पादन भी प्रारम्भ हो गया है। परन्तु पूरे देश का औद्योगीकरण तो दूर की बात है, यह कारखाने कुछ बड़े बड़े शहरों

[श्री राम सिंह]

में सरकार की अपनी सम्पत्ति तथा सरकारी अफसरों के हुकूमत करने की चीज बन कर रह गये हैं। इस से देश के उन करोड़ों गरीब आदमियों को क्या प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा और उन के रहन सहन के स्तर में क्या उत्थान हुआ यह बतलाना अत्यन्त दुष्कर कार्य होगा : विदेशी सहायता लेकर हम बहुत बड़े बड़े कारखाने खोल सकते हैं . . . . .

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य अपना भाषण पढ़ सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल तो नहीं पढ़ सकते। पार्लियामेंट का प्रोसीजर तो यह है कि स्पीचेज पढ़नी नहीं चाहियें। मगर चूंकि इस दफा पहली बार चुन कर नये मेम्बर आये हैं, मैं ने इस पर इतनी सख्ती से अमल नहीं किया। यह अफसोसनाक है क्योंकि यह डिबेट नहीं रहता। अगर बिल्कुल लिखा हुआ होगा तो इस का भी हवाला नहीं दिया सकता तो जो दूसरे मेम्बर साहब बोले हैं। पार्लियामेंट में तकरीर पढ़ी नहीं जाती। मगर चूंकि मैं ने कई आदमियों को इजाजत दे दी है इस लिये मैं इन माननीय सदस्य से भी कुछ नहीं कह सकता। मगर आइन्दा क लिये मैं यह जरूर कह सकता हूं मेम्बर साहबान से कि ऐसी इजाजत नहीं होगी। जब उनको स्पीच करनी होगी तो बिना पढ़े हुए ही करनी होगी, इस के लिये वे तैयार रहें। इस वक्त तो मैं उन को इजाजत दे देता हूं।

श्री राम सिंह : विदेशी सहायता लेकर हम बहुत बड़े बड़े कारखाने खोल सकते हैं तथा विदेशों से आने वाले यात्रियों को वह कारखाने दिखा कर उन पर देश की झूठी उन्नति की शान की छाप छोड़ सकते हैं। परन्तु इन मुट्ठी भर बड़े शहरों में बने हुए बहुत बड़े बड़े कारखानों से हम देश के ८ लाख गांवों का उद्धार नहीं कर सकते। यही कारण था कि महात्मा गांधी ने सदा छोटे छोटे कल कारखाने तथा छोटी छोटी मिलें बनाने की राय दी थी। वह यह जानते थे कि देश में सर्वतोमुखी उन्नति तभी हो सकती है जब देश के हर कोने में छिपी हुई ताकतों का, प्राकृतिक साधन व जन बल का पूर्ण सदुपयोग होगा। हमारी योजनाओं में इसी बात की कमी है कि वह बहुत बड़े बड़े कारखाने तो खोल चुकी हैं पर ऐसी जगह जहां पर छोटे छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया जा सकता है और वहां की गरीब जनता को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया जा सकता है, उन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मिसाल के तौर पर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेते हैं। देश के सब से गरीब स्थानों में से वह एक है। परन्तु कोई ऐसी योजना अभी तक नहीं बनाई गई जिस से वहां के प्राकृतिक साधनों तथा जन बल का पूरा सदुपयोग किया जाय, और वहां की जनता को गरीबी से मुक्त किया जाय। मेरे जिले बहराइच का ही, जो उत्तर प्रदेश के एक तराई का जिला है, उदाहरण लीजिये वह प्राकृतिक साधनों से भरपूर है परन्तु इस का किसी भी पंचवर्षीय योजना में कोई उल्लेख भी नहीं आया। यह सुन कर सदन को आश्चर्य होगा कि इस एक जिले में ही इतने प्रकार के उद्योगों के लिये प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं। मैं उन की सूची आप के सामने रखता हूं। वहां पर जंगलों की इफरात है। वहां पर पहाड़ों के नजदीक होने के कारण जड़ी बूटियां बहुत हैं। जड़ी बूटियों का अगर निर्यात हो तो उस से अच्छा काम हो सकता है। चूंकि वहां जड़ी बूटी पैदा होती हैं, इसलिये अगर औषधि निर्माण का काम भी वहां किया जाय तो अच्छे तरीके से हो सकता है।

वहां लाख की पैदावार भी होती है जोकि पक्के रंगों और दवाओं के निर्माण के काम में आती है। इसलिये अगर लाख उद्योग की तरफ ध्यान दिया जाय तो यह भी लाभकर हो सकता है। लाख की आज चपड़ा उद्योग के लिये भी चारों तरफ जरूरत है और चपड़ा की बहुत बड़ी मांग है।

लाख वहां काफी तादाद में होता है और अगर वहां लोगों को उत्साह दिलाया जाय तो इस से बहुत बड़ा काम हो सकता है ।

बहराइच जिले में एक छोटे से स्थान पर एक चीनी की मिल है। समूचे जिले के अन्दर चीनी मिलों के लिये बहुत बड़ा स्थान है लेकिन और कोई मिल नहीं है। तो वहां चीनी का उद्योग भी किया जा सकता है ।

इधर कुछ सालों से वहां जूट का कारोबार भी बढ़ रहा है और कई हजार टन की जूट की पैदावार होती है । अगर वहां जूट मिल खोली जाय तो बोरे, टाट आदि चीजें बनाई जा सकती हैं ।

वहां जंगलों के अन्दर रेशम के लिये भी ज़रिया है । वहां रेशम के कीड़े पालने के लिये शहतूत के जंगल लगाये गये हैं और इस काम के लिये गवर्नमेंट के बड़े बड़े फारेस्ट मौजूद हैं । अगर वहां रेशम का उद्योग किया जाय तो वह भी बहुत अच्छी तरह से चल सकता है ।

चूंकि वहां पर गवर्नमेंट के बड़े बड़े फारेस्ट हैं, इसलिये वहां फरनीचर का काम भी अच्छी तरह से चलाया जा सकता है जैसाकि बरेली आदि जगहों में चल रहा है। प्लाई वुड और हार्ड बोर्ड आदि चीजें भी वहां अच्छे तरीके से बनाई जा सकती हैं ।

लकड़ी की वहां काफी इफरात है। इसलिये कृषि औज़ारों को बनाने का काम भी वहां अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है ।

वहां दियासलाई में काम आने वाली लकड़ी, सेमल, के बड़े बड़े जंगल हैं और लोग उस लकड़ी को बाहर भेजते हैं । यदि वहां दियासलाई का उद्योग किया जाय तो वह उद्योग भी अच्छे तरीके से चल सकता है ।

वहां जंगल के अन्दर कत्था भी बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है और कत्था वहां कुछ होता भी है । देश के अन्दर कत्थे की बड़ी मांग है । अगर इस उद्योग को प्रोत्साहित किया जाय तो वहां बहुत बड़ी तादाद में कत्था निकाला जा सकता है ।

वहां पर जंगल है । इसलिये कुछ लोगों ने छोटे छोटे डेयरी फार्म कायम कर रहे हैं । लेकिन ये छोटे हैं और इन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता । अगर इस काम को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाय तो जैसे अलीगढ़, आगरा आदि की तरफ बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं ऐसे वहां भी स्थापित किये जा सकते हैं और दूध उद्योग वहां अच्छे पैमाने पर किया जा सकता है ।

जंगल के अन्दर इधर एक तरह की लता होती है जिस से रस्सा बनाया जा सकता है और एक घास होती है उस से भी लोग रस्सा बनाते हैं । इसलिये वहां पर रस्सा उद्योग को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है ।

बेंत वहां बहुत ज्यादा लगता है । अगर सारे बेंत के जंगल को मिलाया जाय तो दस पन्द्रह मील का एरिया बेंत का होगा । आज बेंत की मांग बहुत ज्यादा है । अगर कोशिश की जाय तो इस का उद्योग भी वहां चालू किया जा सकता है ।

वहां झीलें बहुत हैं जिन में नरकुल पैदा होता है । उस से चटाइयां और परदें बनाये जा सकते हैं । इस का भी वहां अच्छा काम हो सकता है ।

[श्री राम सिं]

उधर झीलों के अन्दर गोंद होता है । उस से शीतलपाटी बनाई जाती है । शीतलपाटी की बहुत मांग है । शीतलपाटी का उद्योग वहां चालू किया जा सकता है । उस को भी प्रोत्साहन देना चाहिये ।

उधर कागज बनाने के लिये लुगदी भी मिल सकती है । इसलिये अगर कोशिश की जाय तो वहां पेपर मिल कायम करने की भी गुंजायश है ।

जिस प्रकार कानपुर में चमड़े का उद्योग है वैसा वहां भी स्थापित किया जा सकता है । वहां नेपाल गंज में कुछ वर्षों से यह काम हो भी रहा है । हमारे जिले में बबूल की छाल बहुत मिल सकती है जो कि चमड़ा उद्योग में काम आती है । अगर वहां चमड़ा उद्योग शुरू किया जाय तो अच्छी तरह चल सकता है ।

शहद की मांग बहुत ज्यादा है । वहां शहद बहुत ज्यादा होता है जो उपयोग तक में नहीं आता । अगर इकट्ठा किया जाय तो हमारा अनुमान है कि वहां हजारों मन शहद मिल सकता है जिस का अपने देश के अन्दर इस्तेमाल किया जा सकता है और उस को बाहर भी भेजा जा सकता है ।

श्री बड़े (खारगौन) : सर्वोदय को भेजना चाहिये ।

उधर झीलों में मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं । तो वहाँ मत्स्य पालन उद्योग भी किया जा सकता है ।

पशुपालन का काम करके ऊन वगैरह का काम भी वहाँ अच्छी तरह चल सकता है । वहाँ लोग एक तरह का नमदा बनाते हैं जो बिछाने के काम आता है । उसका लोग जाड़ों में इस्तेमाल करते हैं । उधर उसकी माँग है, इधर माँग नहीं है । कोशिश की जाए तो वह काम भी वहाँ अच्छा चल सकता है ।

बरतनों की माँग बहुत है और वहाँ पर कई जगह इसका काम होता है लेकिन छोटे पैमाने पर होता है । अगर उसको प्रोत्साहन दिया जाए तो वह काम भी वहाँ बड़े पमाने पर चल सकता है ।

चूंकि वह जंगल के किनारे पर तराई का इलाका है इसलिये वहाँ पर सरसों बहुत ज्यादा तादाद में पैदा होती है और उसको बाहर भेजा जाता है । अगर कोशिश की जाये तो वहाँ पर अच्छे पैमाने पर तेल उद्योग चलाया जा सकता है ।

उधर पत्थर वगैरह काफी तादाद में पाये जाते हैं जो कि सफेदी बनाने के काम में आ सकता है । सफेदी की माँग बहुत ज्यादा है । वहाँ पर लकड़ी की सुविधा है इसलिये इस काम को भी वहाँ अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है ।

वहाँ पर इमली और तेंदू के पेड़ काफी तादाद में हैं और उनकी लकड़ी ऐसी है जो विस्फोटक पदार्थ बनाने के काम में आ सकती है । उनके सूखे बक्कलों से विस्फोटक पदार्थ तैयार किये जा सकते हैं और यह उद्योग वहाँ पर कायम किया जा सकता है ।

वहाँ पर सीमेंट के लिये एक तरह की मिट्टी पाई गई थी । वहाँ के उद्योगपतियों ने उस के लिये पहले कोशिश की थी और इसलिये वहाँ सीमेंट उद्योग भी चाया जा सकता है ।

उधर यह तेल और इत्र वगैरह का भी थोड़ा काम होता है लेकिन यह काम अभी बड़े पैमाने पर नहीं चल रहा है। इसको अगर प्रोत्साहन दिया जाय तो इसका भी उद्योग वहां पर स्थापित किया जा सकता है।

अब एक ऐसी जगह जहां पर कि इतने प्रकार के उद्योग हों और जिन से कि देश को काफी लाभ पहुंच सकता है, उद्योग मंत्री महोदय को उधर अवश्य ध्यान देना चाहिये और उनको चलाने के लिये वहां पर प्रोत्साहन देना चाहिये। ऐसा करके वे अवश्य देश को लाभ पहुंचा सकते हैं और उसको समृद्ध बना सकते हैं। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।

†**श्री कमल नयन बजाज** (वर्धा) : आज संसार में विशेषकर औद्योगिक जगत के सामने विदेशी मुद्रा की समस्या है। एड इंडिया क्लब ने हमारे सामने बड़ी कठिन स्थिति उत्पन्न कर दी है।

कल कांस्टिट्यूशन क्लब में श्री ढेबर भाई ने एड इंडिया क्लब का उल्लेख किया था। तो भी यह क्लब हमारी सहायता करता रहा है। मैं इसके लिये भी उनको धन्यवाद देता हूं कि उसने हमारे सामने कठिन स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि यह हमें पुरुष के रूप में उठने की क्षमता देगी। हमें इस चेतावनी को स्वीकार करना चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का मंत्रालय बना कर और एक योग्य व्यक्ति को उसका प्रभारी बना कर सरकार ने अच्छा काम किया है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापा इस समय पुराने युग के कौरवों के चक्रव्यूह के समान है। जैसे वहां अर्जुन के उपस्थित न होने से अभिमन्यु को जाना पड़ा और भीम आदि की सहायता कारगर न हुई और अभिमन्यु मारा गया था। इसी प्रकार यहां भी स्थिति उससे कम कठिन नहीं है और नये मंत्री अभिमन्यु के ही समान हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय अपने साधनों और योग्यता का पूर्ण उपयोग करके निर्यात को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। हमारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन ११००० करोड़ रुपये का है किन्तु हम प्रति वर्ष ५०० या ६०० करोड़ रुपये का माल निर्यात करते हैं। अन्य देशों में निर्यात संख्या इससे कहीं अधिक है। यदि हम इस कठिनाई से निकलना चाहते हैं तो हमें १०० करोड रुपये का वार्षिक निर्यात बढ़ाना होगा और प्रति वर्ष इसे बढ़ाते जाना चाहिये। हमें उद्योग, कृषि और उत्पादन के क्षेत्र में अपने प्रयत्नों को उचित ढंग से आयोजित करना चाहिये। उचित समन्वय और प्रयत्नों से यह उद्देश्य पूरा हो सकता है।

निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्ति के अतिरिक्त हम राष्ट्र के रूप में भी उन्नत होंगे हमें जब तक एड इंडिया क्लब आदि से बिना शर्त कोई सहायता न मिले, हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये। ऐसा करके हम छोटे राष्ट्रों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि वे बिना शर्त ऐसी सहायता न लें। हम ऐसा उदाहरण पेश कर सकते हैं।

औद्योगिक लोगों को चाहिये कि वे पूर्ण प्रयत्न करें और सरकार को भी चाहिये कि उनकी यथा-संभव उचित सहायता करे। ऐसा करने पर कोई कठिनाई न रहेगी और हम निर्यात बढ़ा सकेंगे।

निर्यात के लिये उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। कृषि के लिये हमारे पास अधिक भूमि नहीं है; इसलिये हमें श्रम प्रधान खेती का सहारा लेना चाहिये। कृषि तथा खाद्य मंत्रालय के प्रयत्न उत्साह-वर्धक नहीं हैं, क्योंकि वे किसान तक नहीं पहुंचते। बीच में लालफीतेशाही चलती है और बहुत सा दुरुपयोग होता है। यदि इसे रोक कर तकावी आदि सहायता, खाद आदि समय पर किसान को दी जाए तो फसलें अच्छी हो सकती हैं और इष्ट परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कमल नयन बजाज]

एक कहानी है कि एक लड़के ने जुराबें खरीदी थीं पर वह भूल गया और उसकी पुरानी जुराबों को किसी ने ठीक नहीं किया। उसके सामने अगले दिन स्कूल जाने की समस्या आई। और जब वह सो गया तो उसकी माँ, चाची, बहनें बारी बारी से जुराबों को ठीक करके थोड़ा थोड़ा काट दिया। इस प्रकार के जुराबें पहनने योग्य नहीं रही। उसमें सहकारता तो थी, किन्तु समन्वय नहीं था। यदि समुचित आयोजना हो तो कठिनाई नहीं रह सकती। यदि सरकारी अफसर उद्योगों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को हल करने में समुचित सहायता दें तो स्थिति में सुधार हो सकता है। यदि देशभक्ति के उद्देश्य के लिये लोगों को काम करने के लिये प्रेरित किया जाए, तो मुझे विश्वास है कि उद्योगपति लोग अपने देश के मान को बढ़ाने के लिये निर्यात को बढ़ाने में अग्रसर अवश्य होंगे।

श्री अचल सिंह (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्री और कामर्स हमारे देश के लिये बहुत आवश्यक है। बग़ैर इंडस्ट्री के कोई भी देश उन्नति या तरक्की नहीं कर सकता है। दूसरी लड़ाई के पेश्तर हमारे भारतवर्ष में उद्योगों या इंडस्ट्रीज़ का बहुत अभाव था, यहाँ तक कि सुई या दीयासलाई तक बाहर से आती थी, क्योंकि अंग्रेजों की यह पालिसी थी कि हर एक चीज़ बाहर से मंगाई जाए और हिन्दुस्तानियों को यहाँ पर इंडस्ट्री को बढ़ाने का कोई मौका न दिया जाये। दुर्भाग्य या सौभाग्य से दूसरी लड़ाई शुरू हुई। उस वक्त तमाम चीजों का अभाव हो गया और भारतवर्ष में इस बात की आवश्यकता हुई कि यहाँ इंडस्ट्रीज शुरू की जायें और तब इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन मिला। खुश किस्मती से हम १५ अगस्त, १९४७ को आज़ाद हुए और देश की सत्ता हमारे हाथ में आई। शुरू के तीन चार वर्ष काफी गड़बड़ और बहुत ही परेशानी के थे, लेकिन हमारे तजुर्बेकार नेताओं ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने उस स्थिति को काबू में किया और फ़र्स्ट फ़ाइवयीअर प्लान चलाया, जिसके बाद सैकंड और थर्ड फ़ाइव-यीअर प्लान्ज़ भी चलाए गए।

शुरू में हमारी इंडस्ट्री बहुत पीछे थी, लकिन फ़र्स्ट फ़ाइव-यीअर प्लान में, जो कि २२०० करोड़ रुपये की थी, कई सौ करोड़ रुपया लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और इस्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिये रखा गया। इसके साथ ही दस्तकारियों, हाथ की इंडस्ट्रीज़—जैसे खादी का काम और हैंडलूम का काम है—को भी प्रोत्साहन दिया गया, ताकि बड़ी और छोटी इंडस्ट्रीज़ साथ साथ चलें और तरक्की करें।

भारतवर्ष इतना बड़ा देश है कि इसमें इंडस्ट्री का पनपाना कोई मांमूली काम नहीं है। इसके अतिरिक्त यह एक कृषि-प्रधान देश है। यहाँ के अस्सी प्रतिशत लोग खेती करते हैं, जब कि दूसरे देशों में—इंग्लैंड, अमरीका, आस्ट्रेलिया और पोलैंड आदि में— मुश्किल से पन्द्रह बीस परसेंट आदमी खेती का काम करते हैं और अस्सी परसेंट आदमी इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। इंडस्ट्रीज़ के ज़रिये ही कोई देश खुशहाल हो सकता है। हमारे देश की गरीबी का कारण खास तौर पर यही है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री को प्रगति और विकास का मौका नहीं मिला है और कृषि भी कम दर्जे पर है और अविकसित है। यहाँ पर आये-साल बाढ़ें आती हैं और फ़सल अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण लाखो करोड़ों रुपये का गल्ला बाहर से मंगाया जाता है। इस तरीके से लोगों को मौका नहीं मिलता है कि वे अपनी इंडस्ट्री को पनपा सकें।

खुशी की बात है कि फ़र्स्ट और सैकंड फ़ाइव-यीअर प्लान्ज़ के बाद अब थर्ड फ़ाइव-यीअर प्लान का प्रथम वर्ष लग गया है और हम इंडस्ट्री की प्रगति की तरफ़ बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारी इंडस्ट्री दो सौ गुना, बल्कि ढाई सौ गुना, तीन सौ गुना हो गई है। सिलाई की मशीनों का उत्पादन कई सौ गुना हो गया है। पहले साइकिलें यहाँ पर बाहर से आती थीं, लेकिन अब दस बारह लाख साइकिलें इस देश में बनती हैं। साइकिलों का उत्पादन भी कई सौ गुना हो गया है। इसी तरह

बिजली के पंखे और दूसरी मशीनें बनती हैं। इनके अलावा केमिकल्ज़, फ़र्टिलाइज़र और लोहे के बड़े बड़े कारखाने कायम किये गये हैं। पहले पचास लाख टन लोहा बाहर से आता था। अब वह आना बन्द हो गया है और हमने यहाँ पर लोहे के बड़े बड़े कारखाने खोल दिये हैं, जिससे वे करोड़ो रुपये बचा लिये गये हैं, जो कि लोहे के लिये विदेशों में जाते थे और उनसे हम अपने देश की इंडस्ट्री को तरक्की दे रहे हैं।

फ़ारेन एक्सचेंज का भी सवाल है। अगर हम कच्चा माल बाहर भेजें और पक्का माल न भेजें, तो फ़ारेन एक्सचेंज का नुकसान होता है। बाहर से तरह तरह की मशीनों को मंगाने के लिए फ़ारेन एक्सचेंज खर्च किया जाता है। एक समय था कि कई सौ करोड़ रुपया फ़ारेन एक्सचेंज में था, लेकिन आज मुश्किल से सौ, सवासौ करोड़ रुपया रह गया है, क्योंकि इस वक्त हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ इस वक्त काफ़ी तरक्की कर रही है। जो कोई विदेशी लोग यहाँ आते हैं और हमारी इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं, तो वे हैरत में आ जाते हैं, क्योंकि पिछले दस वर्षों में भारत ने खास तौर पर इंडस्ट्री में जो तरक्की की है, वह कल्पना के बाहर की बात है।

इसी तरह से चाय, काटन और रबर उद्योग में भी काफ़ी तरक्की की गई हैं और जूट उद्योग का भी बहुत विकास हुआ हैं। हर तरह से इस बात की कोशिश की जा रही हैं कि हम सैल्फ़सफ़िशिंग हो जायें। मुझे विश्वास हैं कि हम चौथी पंच-वर्षीय योजना में सैल्फ़सफ़िशिंग हो जायेंगे। इस वक्त संसार में मुकाबले की दौड़ लगी हुई हैं। हर देश इस बात की कोशिश में हैं कि हम अपनी जरूरत अपने आप पूरी करें, लेकिन हिन्दुस्तान ही ऐसा मुल्क हैं, जिस को करोड़ों रुपये का माल बाहर से मंगाना पड़ता हैं। लेकिन यह खुशी की बात हैं कि इस में भी कमी हो गई हैं और अब हम बहुत सा माल बाहर भेजते है। एक समय था कि हम को करोड़ों रुपये का कपड़ा विदेशों से मंगाना पड़ता था। आज हमारी टैक्स्टाइल इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की की हैं कि देख कर संतोष होता हैं। करोड़ों गज़ कपड़ा विदेशों में भेजा जाता हैं। पहले लंकाशायर, मैनचैस्टर और अमरीका से यहां कपड़ा आता था, लेकिन आज करोड़ों रुपये का कपड़ा वहां जाता हैं। यह बड़े संतोष का विषय हैं। हम आशा करते है कि यह मिनिस्ट्री जो प्रयत्न कर रही है, उससे हमारा देश बहुत जल्दी सैल्फ़-सफ़िशिंग हो जायगा।

नुमायशें काफ़ी लाभदायक होती है। नुमायशें इस लिए की जाती है कि सब देशों की कम्पैरेटिव तरक्की मालूम हो जाये—यह मालूम हो जाये कि हमारे देश ने और अन्य देशों ने क्या प्रगति की हैं। हाल ही में दिल्ली में दो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फ़ेयर हो चुके है, जिन में हमारे देश का और संसार के अन्य देशों की इंडस्ट्रीज़ ने भाग लिया। उन से लोगों ने महसूस किया कि अन्य देशों ने और अपने देश ने इंडस्ट्री में कितनी उन्नति की हैं और हमारे यहां क्या कमियां है और किस तरह उन को पूरा किया जा सकता हैं।

मुझे आगरा डिविज़न इंडस्ट्रियल एग्ज़हिबिशन के साथ सम्बद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिस का उद्घाटन माननीय मंत्री, श्री मनुभाई शाह, ने किया था। उन की इच्छा थी कि वह आगरा की इंडस्ट्रीज़ को देखें। एग्ज़हिबिशन में उन इंडस्ट्रीज़ को देख कर उन को संतोष और खुशी हुई। आगरा डिविजन की १०५ इंडस्ट्रीज़ वहां पर मौजूद थीं। लेकिन छोटी इंडस्ट्री वालों ने शिकायत की कि हम को रा मैटीरियल नहीं मिलता हैं। वे बड़े हैंन्डीकैप्ड रहते है और उन को बड़ी तकलीफ होती हैं। वे मुकाबला नहीं कर सकते है। हमारे आगरे से बहुत सा माल अफ्रीका आदि को जाता हैं, खास तौर से मोटर पार्ट्स जाते है, वहां पर शू इंडस्ट्री बहुत बड़ी हैं, लाखों जोड़े विदेशी, खास तौर से रशिया, जर्मनी और फ़िनलैंड, को जाते है। उस के वास्ते भी रा मैटी-

[श्री अचल सिंह]

रियल्स की बड़ी आवश्यकता है। इसी तरह से बैंगल इंडस्ट्री है, जिस के लिये फिरोजाबाद बहुत मशहूर है। वहां पर बैंगल्स बनती है, कांच का सामान बनता है, जो कि तीन या चार करोड़ रुपये का होता है और विदेशों को, खास तौर से ईस्ट एशिया को जाता है। मैं तो चाहूंगा कि इस ओर हमारे मंत्री महोदय पूरा ध्यान दें। जो रा मैटीरियल्स की कमी है उस को पूरा करें, तभी हमारी दिक्कतें ठीक हो सकती है। हमारे यहां बड़े बड़े कारखाने है, जैसे कि फर्टिलाइजर के हैं, पेनीसिलीन के है, ऐंटीबायो टिक्स के है। भोपाल में बड़ा कारखाना खुल रहा है। इसी तरह से बहुत कारखाने और भी खुल रहे है। कुछ खुल रहे हैं और कुछ खुल गये है, और कुछ में काम शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है। इस से मैं आशा करता हूं कि आने वाले पांच सालों में हमारा देश सेल्फ सपोर्टिंग हो जायेगा और जो हमारे ८० फीसदी आदमी खेती में लगे हुए है उनमें से कम से कम १५ या २० फी सदी आदमी इंडस्ट्रीज़ में लग जायेंगे और हमारा देश खुशहाल हो सकेगा। आज हम चाहते है कि भविष्य में हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़े। वह तभी बढ़ेगी जब हमारी इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी। मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इस तरफ पूरा ध्यान देंगे और रा मैटीरियल्स सप्लाई करने का पूरा प्रयत्न करेंगे।

जो डिमान्ड्ज़ रखी गई है, मैं उन का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री बड़े (खारगौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कामर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य तथा उद्योग की जो डिमान्ड्स है उन पर मुझे थोड़ा सा प्रकाश डालना है, लेकिन मैं उन का थोड़ा सा विरोध करता हूं। उस का कारण यह है कि वाणिज्य तथा उद्योग के अन्दर जो प्लैनिंग की गई है वह प्लैनिंग बहुत अच्छी है परन्तु जो उस का एग्जिक्यूशन है वह बहुत खराब है। हार्डी ने टैस आफ डयूबरविलस में लिखा है :

"खूब सोच समझ कर बनाई गई योजना को यदि अच्छी प्रकार से कार्यान्वित न किया जाये, तो उस योजना का जो उद्देश्य होता है, वह पूरा नहीं हो पाता।"

इसी तरह से प्लैनिंग वेल जज्ड है, हम ३४ करोड़ रुपया खादी उद्योग के लिये खर्च करने जा रहे है, लेकिन उस का एग्जिक्यूशन इल जज्ड है। जब हम खादी उद्योग को देखते है तो पाते है कि हमारे प्रदेश में और सारे भारत में जितना रुपया हम खादी पर खर्च करते है वह दरअसल खादी उद्योग में जो बुनकर है उन के काम में नहीं आता है। मैं ने देखा है कि सन् १९५३ के पहले खादी उद्योग बोर्ड या आल इंडिया खादी ऐंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड तैयार हुआ। उस के बाद सन् १९५६ में वह आल इंडिया खादी ऐंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन हो गया। लेकिन उस में परिवर्तन केवल नाम का हुआ। जिस बोर्ड को मैं ने देखा है वह बोर्ड एक अनाथालय जैसा हो गया है। लेकिन अनाथालय किस के लिये? देश में तीन तरह के लोग है : धौले, काले और निकाले। धौले जो लोग है उन के वास्ते तो वह है ही, लेकिन जो डिसग्रन्टलड एलिमेंट्स कांग्रेस के है, जिन के लिये कोई उद्योग नहीं रहा, जो सर्वोदय में पद यात्रा करते करते और दही खाते खाते थक गये है, उन के लिये खादी बोर्ड तैयार हो गया है, जो मध्य प्रदेश में है। वहां उन्हे पेन्शन मिलती है। अगर कार्य करने के वास्ते रुपया दिया जाता है, तो वहां कार्य तो कुछ होता नहीं। मैं ने देखा है कि खादी का पहला उद्देश्य यह था कि ग्रामों ग्रामों में प्रत्येक आदमी को काम मिले। प्रत्येक बुनकर अपनी उदरपूर्ति करे। काश्तकार भी कुछ समय अनएम्प्लायड रहता है। जब उस के पास खाली समय हो तो वह कुछ कार्य करे। लेकिन मैं ने देखा है कि बुनकरों को कोई उद्योग नहीं मिलता है। बुनकर अपने उद्योग को छोड़ कर शहरों में आ गये। तेल का धन्धा भी डूब गया। तेली भी शहर में

आ गये और खादी उद्योग बोर्ड की मार्फत तेल घानी उद्योग निकला, धान कुटीर उद्योग निकला, और उस में सब कांग्रेस भक्त, जो खादी की टोपी पहनने वाले हैं, रख लिये गये। अब एक तरफ तेल घानी उद्योग चलने लगा और दूसरी तरफ हमारे यहां एक्सपेलर की भी परवानगी मिल गई। चार चार जिनिंग फैक्ट्रियां थीं, उन की जगह चार आयल मिल्स चलती हैं। चार चार आयल मिल्स खुलने से घानी उद्योग का जो तेल होता है उसे कोई खरीदता नहीं। उस के लिये सब्सिडी रखी है १ रु० १ आ० लेकिन उस का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि जो आयल मिल का तेल होता है वह सस्ता पड़ता है।

अब हमें देखना है कि दरअस्ल कामर्स ऐंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की पालिसी क्या होनी चाहिये। ग्रामों में यदि ग्रामोद्योग चलाना है, यदि वहां खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना है तो वहां पर कारखानों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। लेकिन वह तो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की बात हमेशा कहते है। जिस तरह से गायत्री मंत्र का जप होता है उसी तरह से वे सब जगह से सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की बात करते है। लेकिन हम देखते क्या है कि कैपिटलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी बढ़ रही है। जहां पर हम सुनते है कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी करना है वहां हम देखते है कि कैपिटलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी है। जितने भी कैपिटलिस्ट हैं वह मंत्री के पास जाते हैं और अपने कारखाने के लिये परवानगी ले आते हैं। फौरन आयल मिल तैयार हो जाती है। यदि आज देखा जाय तो बुनकर उद्योग, खादी उद्योग, धान कुटीर उद्योग, हाथ से कुटे चावल का उद्योग, यह सब खत्म कर दिये गये हैं और जो डिस्ग्रन्टलड लोग कांग्रेस के हैं, जो एक तरह से लेजी या आइडल लोग है, उन को वहां पर पाला जा रहा है। उस का जो उपयोग होना चाहिये वह दरअस्ल इस प्रकार होना चाहिये। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे हमारी कोआपरेटिव सोसायटियां हैं, खादी का निर्माण करने वाली सोसायटियां हैं, उनको पैसा दे कर उन से बुनकरों का काम लेना चाहिये। लेकिन मैं देखता हूं कि वहां पर भी बड़ी गड़बड़ी होती है। वहां उन के हिसाब में घोटाला है। बराबर आडिट उन का होता नहीं है। इस के बाद मैं ने देखा कि वे दूसरे लोगों को मजदूर रखते है। बुनकरों को अलग रख कर दूसरे मजदूरों से काम करा कर खादी तैयार कराई जाती है। खादी आ गई तो कोई खादी का स्टाक लेता नहीं है। वह पड़ा का पड़ा रह जाता है। अब उस स्टाक का क्या करना चाहिये? बड़ा विचार हुआ। तब हमारे शासन ने ठहराया कि जो बेचारे गरीब फोर्थ क्लास के कर्मचारी है उन की वर्दियां खादी की कर दी जायें। हमारे मध्य प्रदेश के शासन ने दस लाख वर्दियों के लिये खादी ग्रामोद्योग कमिशन से खादी खरीद लिया। अब बेचारे चपरासियों को जो अच्छा कपड़ा मिलता था मिलों से उस की जगह पर उन को खादी उद्योग की वर्दियों को पहनना पड़ा। और वह खादी भी ऐसी कि तीन तीन चार चार महीने में फट जाती है और बेचारे चपरासी कांग्रेस के नाम से चिल्ला रहे है। दस लाख वर्दियों के लिये जो हमारे इन्दौर काटन टेक्स्टाइल मिल से कपड़ा खरीदा जाता था वह बन्द हो गया। मिल्स का इतना नुक्सान हुआ। इधर खादी के लिये सब्सिडी देते थे। खादी की वर्दियां तैयार हुई, यूनिफार्म तैयार हो गई। चपरासी मजाक उड़ाने लगे, जिस को सुन कर मुझे दुःख होता है। वह कहने लगे कि देखो, अब तो खादी की टोपी पहनने को मिल गई है, लाइसेंस मिल गया है भ्रष्टाचार करने का। ढाई आने की टोपी का ढक्कन सिर पर आ गया। इस तरह की बातों से शासन के बारे में जनता में काफी असन्तोष पैदा हो गया, और वह भी खादी उद्योग की वजह से।

अगर इस काम को ठीक से चलाना है तो हमारे कामर्स ऐंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को इस पर विचार करना होगा कि इस में किस तरह से सुधार किया जा सकता है। इस में जो डिफेक्ट हों उन को दूर करना चाहिये। इस के बारे में मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की राय बतलाना चाहता हूं कि जो स्टाक्स

[श्री बड़े]

थे वह किस प्रकार खर्च किये गये। इस के बारे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की राय है कि जो भी स्टाक्स थे उन के सम्बन्ध में काफी घोटाला हुआ है खादी और ग्रामोद्योग है। मेरी विनती है कि अगर खादी ग्रामोद्योग को बढ़ाना हैं, ग्राम की इकाई का निर्माण करना हैं और महात्मा जी ने जो उद्देश्य रखा था ग्रामों को स्वावलम्बी बनाने का, अगर दरअस्ल इस डिपार्टमेंट को उसे स्वावलम्बी बनाना है तो इस पर ठीक से विचार करना चाहिये। यदि वह स्वावलम्बी नहीं बनता तो इस में क्या खराबी है इसका आपको विचार करना चाहिए, लेकिन इसका कोई विचार नहीं करता।

हमने देखा है कि प्रत्येक कारखाने में जहां जहां सबसिडी और ग्रांट दी जाती है, उसका हिसाब नहीं लिया जाता और उसमें घोटाला होता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रत्येक बुनकर, प्रत्येक चमार और प्रत्येक तेली को सबसिडी देकर उनके काम को प्रोत्साहन दिया जाय और ग्राम को इकाई मान कर इस काम को चलाया जाय। ऐसा होगा तभी ग्राम स्वावलम्बी हो सकेगा।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : ऐसी ही योजना शुरू हुई है।

श्री बड़े : योजना है लेकिन हम तैयार करते लगे थे गणपति को और बना दिया बन्दर। ऐसी स्थिति है। आपका कहना ठीक है कि योजना है लेकिन उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। योजना का एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं होता।

अब मैं काटन और टैक्सटाइल की तरफ आता हूं। मेरा एरिया काटन और ग्राउंड नट, प्रोड्यूसिंग एरिया है। खानदेश में भी यही स्थिति है। लेकिन हमारे काम में गवर्नमेंट का बड़ा हस्तक्षेप होता है। शासन का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है और हर तरफ कंट्रोल लगा हुआ है जिससे काम करने में कठिनाई होती है।

पहले जब किसान काटन बोने जाता है, तो उसके लिये एक आर्डर है काटन कंट्रोल आर्डर कि अमुक स्थान में अमुक प्रकार का बीज बोया जाय और अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो १००० रुपया फाइन या ६ महीने की सजा हो जायेगी। किसान घबरा जाता है कि हमको तो बोना है पर हमको सीड सरकार से लेना होगा और उस के आर्डर के अनुसार बोना होगा। तो सबसे पहले तो यह बड़ी जबरदस्ती है। इसके बाद जब काटन तैयार करके जिनिंग फैक्टरी में डाला जाता है, तो वहां उसकी सीलिंग और फ्लोर प्राइस मुकर्रर की जाती है, ४०० रुपया लोअर और ६०० रुपया सीलिंग प्राइस फिक्स की जाती है। ४०० प्राइस उस वक्त तक रहती है जब तक कि काश्तकार अपनी पैदावार को मारकेट में नहीं लाता। उसके बाद जब कैपीटलिस्ट उसको खरीद लते हैं तो उसकी कीमत ६०० हो जाती है।

अगर छोटे-छोटे साहुकारों ने काटन को खरीद लिया तो फिर सरकार का हस्तक्षेप होता है। इस काम के लिये सरकार ने रिक्विजीशन आफ काटन बेल्स ऐक्ट तैयार कर लिया है। उसका अर्थ यह है कि इतने बेल अमुक मिल को देने होंगे और इतने बेल दूसरे मिल को देने होंगे। इस प्रकार के कंट्रोल से लोग तंग आ गये हैं। मैं देखता हूं कि जितना जितना ज्यादा कानून बनाया जाता है और अफसर रखे जाते हैं उतना ही भ्रष्टाचार और रेडटेपिज्म बड़ता है।

रिक्विजीशन होने के बाद काटन यार्न तैयार होता है। उस पर भी कंट्रोल है। जो बुनकरों को यार्न दिया जाता है उस पर कंट्रोल है और उसकी प्राइस बंधी हुई है। जो काटन मिल में जाता है और उससे जो कपड़ा बनता है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है। उसका प्राइस कंट्रोल है। तो इस तरह से काटन बोने से लेकर और कपड़ा बनाने तक उस पर तरह तरह का कंट्रोल रहता

है। और इस काम के लिये तरह तरह की कमेटियां और दूसरी संस्थायें हैं जैसे इंडस्ट्रीज़ (डेवेलपमेंट एंड रेग्यूलेशन ऐक्ट), इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन, टैरिफ कमीशन काटन टैक्सटाइल फंड कमेटी १९६१, फैक्टरी इंस्पेक्शन स्कीम और बहुत सी हैं। इस के अलावा स्टेट का कानून, काटन टैक्सटाइल आर्डर है और उस के अन्तर्गत स्टेट हस्तक्षेप करती है। इन सब बातों से लोग काफी तंग आ गये हैं और उन्ह ने काटन एरिया के अन्दर मूंगफली बोना शुरू कर दिया है। और बहुत से एरिया में हमारे यहां और खानदेश में जहां पहले काटन होता था अब ग्राउंड नट होता है। अगर सरकार तीन चार साल पहले के फिगर देखे और उनकी आजकल के फिगर्स से तुलना करे तो उसको मालूम होगा कि काटन का एरिया कितना कम हो गया है। इसका कारण यह है कि आपने काटन टैक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह सेंट्रलाइज करके रखा है और काटन बोने से लेकर आखिर तक इस काम मे आपका बड़ा हस्तक्षेप होता है। इसी से आज देश में काटन की कमी पड़ रही है।

जब लोगों ने काटन की जगह ग्राउंडनट पैदा करना प्रारम्भ कर दिया तो काटन जिनिंग फैक्टरीज़ की जगह ग्राउंड नट आइल मिल्स शुरू हो गयीं। उन पर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगा दी और जो चार चार पांच पांच एक्सपैलर वाले कारखाने थे उन पर भी एक्साइज़ ड्यूटी लगा दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि बड़े कैपिटलिस्टों ने बड़े बड़े कारखानों खोल दिये और छोटे लोग मारे गये।

अब मैं हैंडलूम इंडस्ट्री की तरफ आना चाहता हूं। हैंडलूम के बारे मे सरकार की यह नीति हुई कि इसको पावर से चलाया जाये। इस पर जितनी कपड़ा मिलें हैं उन्होने शिकायत की कि अगर हैंडलूम्स को पावर से चलाया जायेगा तो हमारे काम को धक्का पहुंचेगा। इस लिये उन्होंने जितने पावर लूम थे पहले उनको सील करने की कोशिश की लेकिन तब देखा कि ऐसा करने से कांग्रेस को वोट नहीं मिलेंगे। तब कहा गया कि पावर लूम्स को रजिस्टर करवा लिया जाये और ५०० रुपया रजिस्ट्रेशन फीस रखी। और इस प्रकार ३० हजार पावर लूम्स को रजिस्टर कर दिया। आपके फिगर हैं कि देश में ६४ हजार पावर लूम हैं लेकिन आपने केवल तीस हजार को ही रजिस्टर किया और बाकी के लिये कह दिया कि फिगर बराबर नहीं थे। ये फिगर कामर्स और इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के फिगर हैं और मेरी दृष्टि में ये स्टेटिस्टिक्स सही होने चाहियें। लेकिन इस अन्तर को देखने से मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ठीक ही कहा है कि: "सांख्यिकी एक महिला की पोशाक के समान होती है जो प्रदर्शन कम करती है किन्तु छिपाती अधिक है"। तो इस प्रकार की चीज़ हमारे सामने आती है कि आपके फिगर हैं ६४ हजार के और आप केवल ३० हजार पावर लूम्स पर टैक्स लगाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री में इतना हस्तक्षेप सरकार की ओर से किया जाता है कि लोग त्रस्त हो गये हैं। इस लिये मेरा सुझाव है कि जो इतना ज्यादा कंट्रोल लगा हुआ है उसको कम किया जाये। इस टैक्स के कारण हैंडलूम बन्द हो गये हैं और लोग सोचते हैं कि इस काम को छोड़ दें। इस लिये सरकार को यह कंट्रोल कम करना चाहिये।

अभी हमारे देश में दस लाख काटन बेल्स की कमी है। सरकार ने १८० हजार बेल लांग स्टेपिल काटन अमरीका से मंगाई है। लेकिन यह केवल फाइन कपड़ा बनाने के लिये है, हमारी ज्यादातर मिलें तो कोर्स कपड़ा बनाती हैं लेकिन यह काटन टाटा बिड़ला के लिये मंगायी गयी है जिनकी मिलें फाइन कपड़ा बनाती हैं। आज हमारी सरकार टाटा, बिड़ला और बाटा के चक्कर में है। इस लिये जब तक हम इन तीनों टाटा को टाटा नहीं कहेंगे तब तक देश की जो कैपीटलिस्टिक सोसायटी है यह सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ नहीं आयेगी। यही जनता का इम्प्रैशन है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं।

[श्री बड़े]

इसके बाद दूसरा धन्धा बरतन बनाने का है लेकिन इस धन्धे के वास्ते जो रा मैटीरियल चाहिये उस पर भी कंट्रोल है और मजदूरों को पीतल का पत्रा नहीं मिलता। इस कारण वह घर बैठे हुये हैं। तो आज इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। आपने इंडस्ट्रीज़ को सेंट्रलाइज कर रखा है। इनको डिस्सेंट्रलाइज़ करके गांव गांव में फैलाया जाय तभी गांव स्वावलम्बी बनेंगे। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो ३४ करोड़ रुपया आपने तीसरी योजना मे खादी के लिये रखा है वह व्यर्थ ही जायगा। मेरी बिनती है कि खादी को जो सबसिडी दी जा रही है उसको बन्द करके देखना चाहिये कि इसमें कितना लास है। आप कब तक इस प्रकार जनता को गाढ़ी कमाई के पैसे को खादी पर खर्च करते रहेंगे। आज खादी महात्मा गांधी का नाम चलाने के लिये चलाई जा रही है। क्योंकि यह शासन गांधी जी के नाम पर चलता है इस लिये खादी उद्योग को चलाया जा रहा है। होना तो यह चाहिये था कि प्रत्येक कांग्रेस सदस्य और प्रत्येक भारतवासी एक घंटे अपने घर में चरखा चला कर सूत निकाले। लेकिन वह नहीं होता। आज तो एक गांधी रिलीजन हो गया है और जैसे हम साल में एक बार श्रावण के महीने में श्रावणी करते हैं और——सर्व पापक्षयानार्थ——जनेऊ पहन लेते हैं और गोमूत्र पी लेते हैं, उसी प्रकार २६ जनवरी को और १५ अगस्त को राजघाट पर जाकर लोग——ब्लैक मारकेट पापक्षयानार्थ खादी धारणाम्यहम्——कह कर खादी पहनते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह भी कामर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि कौन खादी पहनता है और कौन नहीं पहनता।

श्री बड़े : मेरा कहना इतना ही है कि सूत निकाल कर, उसका कपड़ा बनाकर और गांव को इकाई मान कर इस काम को चलाना चाहिये।

इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि यह जो खादी उद्योग है **दैट इज ए सबसिडाइज्ड इंडस्ट्री।** इसकी बैलेंस शीट देखने से पता चलता है कि जनता की गाढ़ी कमाई का कितना पैसा इस लूली लंगड़ी इंडस्ट्री में लग कर खत्म होता है और बर्बाद होता है। **आईदर इंडस्ट्रियलाइज दी कंट्री** और पूरे देश का यन्त्रीकरण कर डालिये। लेकिन अगर यंत्रीकरण नहीं करना है और महात्मा जी का नाम चलाना है तो कम से कम इतना तो कीजिये कि विलेज़ इंडस्ट्रीज़ को आप पनपायें और उनको प्रोत्साहन दें। छोटे छोटे ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग चलाइये और उनको बढ़ावा दीजिये। बस इतना ही मुझे कहना है।

†**श्री देशपांडे** (नासिक): स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पिछले पन्द्रह वर्ष में हमने उद्योग के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। खादी उद्योग ने आश्चर्यजनक प्रगति की है। फिर यह उद्योग लाखों व्यक्तियों को रोजगार भी देता है। प्राक्कलन समिति ने खादी बोर्ड और खादी कार्यकर्ताओं की जो आलोचना की है, उसे भी ध्यान से पढ़ा है। मुझे आशा है कि खादी कार्यकर्त्ता स्वयं इससे लाभ उठायेंगे।

मेरे पूर्वगामी माननीय सदस्य ने खादी उद्योग की आलोचना की है क्या उन्हें यह ज्ञात है कि इस संस्था में देश की बड़ी बड़ी विभूतियां हैं। उन्होंने खादी कार्यकर्ताओं का उत्तर पढ़ने का कष्ट नहीं किया है।

भारत जैसे देश में हमारी रुचि व्यक्तियों को खपाने वाले उद्योग में होनी चाहिये। वैसे मैं मूल भारी उद्योगों के खिलाफ नहीं हूं। आधुनिक युग में उनका होना आवश्यक है। परन्तु इसके साथ ही, यदि छोटे पैमाने के उद्योग न रखे जायें तो हम भारत की भारी जन संख्या की बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि अनेक बंधन हैं। हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य है। हमारी अर्थ व्यवस्था आयोजित है। यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहें, तो प्राप्ति बिना नियंत्रण के नहीं हो सकती। पूर्वी खानदेश में कपास उगाने पर सरकारी नियंत्रण होने से, व्यक्तियों को लाभ हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति पहिले से अच्छी हो गई है। जहां तक मेरे राज्य का प्रश्न है, वह एक पिछड़ा हुआ राज्य है। बम्बई नगर को छोड़कर, और कहीं कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसका नाम लिया जा सके। मेरे राज्य में जनता की धारणा यह है कि यहां के उद्योग विभाग को उस राज्य से कोई सहानुभूति नहीं है। कुछ लोग सहायता के लिये यहां आये लेकिन वे निराश ही लौट गये।

मेरे जिले में एक भी औद्योगिक बस्ती नहीं है। मेलगांव में लगभग ५०,००० विद्युत् चालित करघे हैं। वे भली प्रकार चल रहे हैं और उनके चलाने वाले अधिकतर मुसलमान हैं। उन्हें अपने करघों के लिये सूत मिलने में परेशानी होती है। यदि भारत सरकार वहां एक कताई कारखाना खोलने में करघा मालिकों की सहायता करे, तो उससे उद्योग के विकास को बड़ी सहायता मिलेगी।

छोटे उद्योगों से बड़ी आशा है। अब समय बदल गया है और आधुनिक युग का भी ध्यान रखना चाहिये। हथ करघा उद्योग का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक वस्तु हाथ से बनाई जाये। हमें उत्तम औजारों का प्रयोग अवश्य करना चाहिये। हमारा उत्पादन अधिक और सरल होना चाहिये और यह प्राप्ति आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग करने से ही हो सकती हैं। खादी और ग्राम उद्योगों में रुचि रखने वालों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। उदाहरणार्थ, मेरे जिले में धान का उत्पादन बढ़ रहा है। कृषक उनका सरल परिष्करण चाहते हैं। हाथ से धान कूटने का केन्द्र खोलने के बहाने से उन्हें चावल निकालने की मिल नहीं बनाने दिया जाता। कृषकों को इस कार्य के लिये नगर में किसी बड़ी मिल में जाना पड़ता है और मिल में इन्तजार करने आदि की परेशानी उठानी पड़ती है। छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में अनेक अन्य बातें कही जा सकती हैं। ये उद्योग गावों में फैले होने चाहियें, इनकी व्यवस्था आधुनिक होनी चाहिये और यथासंभव विद्युत् का प्रयोग किया जाना चाहिये।

औद्योगीकरण के बारे में, हमारा समूचा ध्यान सरकारी क्षेत्र पर होना चाहिये क्योंकि ऐसा करके ही हम अपना वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

†**श्री फिरोडिया** (अहमदनगर) : श्रीमान्, मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। पिछले कुछ महीनों से एक बात सुनाई पड़ती है कि वाणिज्य मंत्रालय ने गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को निर्धारित लक्ष्य से कम से कम ३० प्रतिशत अधिक लाइसेंस दिये हैं। यदि यह बात ठीक है तो मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं तथा अन्य मंत्रालयों को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिये इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिये।

इस रिपोर्ट में सरकारी इंजीयनियरी उपक्रमों सम्बन्धी जानकारी नहीं दी हैं। सरकार का कहना है कि यदि कोई इंजीनियर उद्योग स्थापित करना चाहता है तो सरकार ६० प्रतिशत पूंजी देगी। किन्तु सरकार ने ये आंकड़े नहीं दिये हैं कि ऐसे व्यक्तियों को कितने लाइसेंस दिये गये हैं और कितनों को अनुमति नहीं दी गई। इस बारे में मैं मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि उसी देश से आयात करने का लाइसेंस दिया जाना चाहिये, जिस देश से सम्बन्धित इंजीनियर मशीन आयात करना चाहता है।

निर्यात के बारे में सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये। अधिक निर्यात किये बिना औद्योगीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमने इस वर्ष ७२० करोड़ रुपये के माल का निर्यात

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फिरोडिया]

करने का निश्चय किया है। परन्तु मेरा विचार है हमें यह मात्रा बढ़ाकर ८०० या ८५० करोड़ रुपये करनी होगी और ऐसा करने के लिये हमें मार्गोपाय ढूंढ़ने होंगे। हो सकता है कि : में कुछ परेशानी हो परन्तु हमें ऐसा करना ही होगा। इससे हमें महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। यदि आवश्यकता हो त। सरकार उद्योगों को अधिकतर निर्यात करने के लिये कह सकती है और यहां तक कि उन्हें वाध्य कर सकती है। हम विदेशी मुद्रा के मामले में भी मितव्ययता से काम ले सकते हैं।

रोजगार देने और ग्रामीण जनता की स्मृद्धता बढ़ाने के लिये और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का जीवन-स्तर उंचा करने के लिये ग्रामीण उद्योग बनाने होंगे। विद्युत और जल की कठिनाई के कारण व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना नहीं चाहते। रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि महाराष्ट्र को ७५,००० तकुये दिये गये हैं। वे आठ यूनिटों को विस्तार के लिये दिये गये हैं। परन्तु पुनरुपयोजित क्षमता १,१४,००० तकुओं की है और ये नहीं दिये गये हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं ये तकुये सहकारी मिलों को दे दिये जायें जो कि गावों या अर्धनागरिक क्षेत्रों में स्थापित किये जा सकते हैं।

[उपाध्यक्ष महादय पीठासीन हुए]

मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यदि उनमें ४०० या ५०० रु० से अधिक पाने वाले सरकारी कर्मचारियों, संसत्सदस्यों, मंत्रियों आदि के संबंधियों को रखा जाता हो तो सरकार की अनुमति ली जानी चाहिये ताकि पक्षपात का आरोप न लगाया जा सके। ऐसे मामलों में एक विशेष संकल्प स्वीकार किया जा सकता है या उसका ब्योरा प्रकाशित किया जा सकता है।

फिर, रिपोर्ट में कहा गया है कि हम शीशा निर्यात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि हम इससे पावर अल्काहल, जैसी अन्य वस्तुयें बनाने का प्रयास करें, तो हम उन्हें आसानी से निर्यात कर सकेंगे या अपने ही देश में उन्हें प्रयोग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, चीनी मिलों में खोई की बड़ी मात्रा बेकार जाती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश के विभिन्न भागों में छोटे छोटे कागज़ के कारखाने खोले ताकि खोई का प्रयोग किया जा सके। ये कारखाने गैर-सरकारी या सहकारी क्षेत्र में खोले जा सकते हैं।

कभी कभी लोग कहते हैं कि कच्चे माल की स्थिति बड़ी सुगम है मेरा विचार है कि इस मामले में हमें छोटे पैमाने के उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिये। उनके लिये कुछ कोटा निश्चित करना चाहिये। यदि ऐसा किया जाये तो मैं समझता हूं कि छोटे उद्योग प्रगति कर सकते हैं।

गत विभाजन के परिणाम के बारे में घोषणा

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि दिनांक ६ जून, १९६२ को गृह-मंत्रालय की मांग संख्या ४८ के कटौती प्रस्ताव संख्या ३२४ पर हुये मत विभाजन के परिणाम में गलती थी। इससे निश्चय में कोई अन्तर नहीं आता। फिर भी सही स्थिति रिकार्ड में होनी चाहिये। सही मत स्थिति इस प्रकार है: "विपक्ष में : १२१" है जब कि ६ जून १९६२ को उनकी संख्या "विपक्ष में : १२०" बताई गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	८२	श्री वासुदेवन नायर .	विदेशी गैर-सरकारी पूंजी को रियायत।	घटाकर १ रुपया कर दी जाये।
१	८३	श्री वासुदेवन नायर .	औद्योगिक नीति संकल्प लागू करने में असफलता।	घटाकर १ रुपया कर दी जाय।
१	८४	श्री वासुदेवन नायर .	नारियल जटा उद्योग का यन्त्रीकरण।	घटाकर १ रुपया कर दी जाये।
१	८५	श्री वासुदेवन नायर .	राज्य क्षेत्र में राज्य सरकारों को उद्योग खोलने की अनुमति न देने की नीति।	घटाकर १ रुपया कर दी जाये।
१	६	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	कृषि वस्तुओं के निर्यात तथा आयात की नीति।	१०० रुपये
१	७	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	छोटे व बड़े उद्योगों के प्रति राज्य व्यापार निगम की नीति।	१०० रुपये
१	८	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	लौह अयस्क और मैंगनीज़ का निर्यात कम करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
१	९	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	बुनाई के लिये छोटी मशीन सम्बन्धी अनुसन्धान की आवश्यकता।	१०० रुपये
१	२३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	हथकरघा उद्योग में असन्तोषजनक स्थिति।	१०० रुपये
१	२४	श्री शिवमूर्ति स्वामी	मैसूर राज्य के रायचूर और बेलारी के तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र में कपड़ा उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२५	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	हथकरघा उद्योग में संकट।	१०० रुपये
१	२६	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	हथकरघा उद्योगों के लिये बाजार के संरक्षण की आवश्यकता।	१०० रुपये
१	२७	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	हथकरघा उद्योग को सस्ते दामों पर अच्छा सूत उपलब्ध करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
१	२८	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	लाइसेंस देने के लिये उनमुक्त नीति की आवश्यकता।	१०० रुपये
२	६४	श्री प० कुन्हन .	केरल राज्य में कुटीर उद्योगों को खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत लाने में असफलता।	१०० रुपये
२	६५	श्री प० कुन्हन .	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों के अन्तर्गत निधियों का प्रयोग न किया जाना।	१०० रुपये
२	६६	श्री प० कुन्हन .	ग्रामीण क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास प्रोग्राम लागू करने में असफलता।	१०० रुपये
२	६७	श्री प० कुन्हन . .	दक्षिण में हथकरघा उद्योग के विकास की आवश्यकता।	१०० रुपये
२	६८	श्री मे० क० कुमारन .	नेरिया मंगलम में फाइटा संयंत्र लगाने के काम की गति तीव्र करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
२	६९	श्री मे० क० कुमारन .	काजू के आयात की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
२	७०	श्री मे० क० कुमारन .	हथकरघा उद्योग में टेक्निकल सुधार करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
२	७१	श्री मे० क० कुमारन .	बुनकर सहकारी समितियों को अंशदायी बचत निधियों में सरकार के समान अंश देने की आवश्यकता।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	७२	श्री मे० क० कुमारन .	उत्तम प्रकार सब तरह का सूत उपलब्ध करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	७३	श्री मे० क० कुमारन .	हथकरघा उद्योग की वस्तुओं के लिये विकास बाजार बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	७४	श्री मे० क० कुमारन .	देश के औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	७५	श्री मे० क० कुमारन .	केरल के औद्योगीकरण के लिये तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	७६	श्री मे० क० कुमारन .	केरल में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	७७	श्री मे० क० कुमारन .	नेपा मिल में अखबारी कागज का मूल्य कम करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	७८	श्री मे० क० कुमारन .	नेपा मिल का समूचा कार्य संचालन ।	१०० रुपये
२	७९	श्री मे० क० कुमारन .	स्टार्च, ग्लाकोज बनाने के लिये कारखाने बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	८०	श्री मे० क० कुमारन .	नारियल जटा बोर्ड में निर्माताओं तथा व्यापारियों का महत्व कम करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	८१	श्री मे० क० कुमारन .	नारियल जटा वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	१०८	श्री वासुदेवन नायर .	नारियल जटा व्यापार निगम बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती का राशि
२	१०९	श्री वासुदेवन नायर .	सरकारी विभागों आदि द्वारा नारियल जटा की आधिवस्तुयें प्रयोग करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	११०	श्री वासुदेवन नायर .	नारियल जटा उद्योग के श्रावंटन का पूरा प्रयोग करने में असफलता ।	१०० रुपये
२	१११	श्री वासुदेवन नायर .	जहां नारियल जटा उद्योग संकट में है वहां वैकल्पिक उद्योग खोलने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	११२	श्री वासुदेवन नायर .	नारियल जटा उद्योग वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	११३	श्री वासुदेवन नायर .	नारियल जटा वस्तुओं के निर्यात के लिये भाड़ा-दर कम करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	११४	श्री वासुदेवन नायर .	नारियल जटा उद्योग में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम लागू करना ।	१०० रुपये
२	११५	श्री वासुदेवन नायर .	निर्माताओं को उचित मूल्य पर नारियल सूत उपलब्ध करना ।	१०० रुपये
२	११६	श्री वासुदेवन नायर .	नारियल जटा उद्योग में सहकारी अन्दोलन का विकास करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	११७	श्री वासुदेवन नायर .	नारियल जटा बोर्ड के कार्य में सुधार करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	११८	श्री वासुदेवन नायर	औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योग शुरू करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	११९	श्री वासुदेवन नायर .	नेरियामंगलम् में फोटो केमिकल संयंत्र के लिये पुनः काम शुरू करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	१२०	श्री वासुदेवन नायर .	केरल जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योग शुरू करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	१२१	श्री वासुदेवन नायर .	काजू उद्योग को अपनी कठिनाइयां हल करने के हेतु सहायता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
५	१२२	श्री प० कुन्हन .	इंस्टीट्यूट आव चार्टर्ड अका-उन्टेन्टस नई दिल्ली का कार्य ।	१०० रुपये
५	१२३	श्री प० कुन्हन	इंस्टीट्यूट आव चार्टर्ड अका-उन्टेंट्स, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सरकार के नियमों को लागू कराने में असफलता ।	१०० रुपये
३	३३	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	नमक उद्योग के विकेन्द्रीयकरण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४	३४	श्री शिवमूर्ति स्वामी	अन्य देशों में विभिन्न वस्तुओं के सही दाम वसूल करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : उपाध्यक्ष महोदय, भारत जैसे अल्प-विकसित देश में वाणिज्य तथा उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है । हम दो पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा कर चुके हैं और तीसरी योजना कार्यान्वित हो रही है । इस समय हमें अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिये ।

देश के औद्योगिक विकास के मार्ग में कई कठिनाइयां हैं जिनमें से मुख्य हैं बिजली का अभाव, परिवहन के अपर्याप्त साधन तथा कच्चे माल और ईंधन का अभाव ।

कोयले तथा हार्ड कोक के संभरण की स्थिति बहुत ही गम्भीर है । कोयला का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप कई राज्यों में औद्योगिक विकास के लिये संकट उत्पन्न हो जाने की आशंका है । गुजरात राज्य में गुजरात निर्माता संगठन ने नोटिस दिया है कि कोयले के अभाव के कारण उसने उद्योग बन्द करने का निश्चय किया है । हमने इस सम्बन्ध में कार्यक्रम तो बनाया किन्तु विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय न होने के फलस्वरूप हम इन कठिनाइयों को हल नहीं कर पा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जसवन्त मेहता]

रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में काम को निबटाने में विलम्ब होता है। इसे दूर करने के लिये ऊपर से कोई गतिशील परिवर्तन किया जाना चाहिये। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है वह जटिल है जिससे परियोजनाओं के कार्यान्वय में विलम्ब होता है। मंत्रालय को इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

भारत के दो पहलू हैं। एक तो आधुनिक और दूसरा ग्रामीण भारत। क्या हम ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्र के बीच के अन्तर को दूर करने जा रहे हैं। हमें समय रहते स्थिति की सही जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये। देश के ग्रामीण क्षेत्र का औद्योगिक विकास अपर्याप्त है। ग्रामीण लोगों के लिये रोजगार के अवसर नहीं बढ़े और देश के आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का जीवन-यापन स्तर उन्नत नहीं हुआ।

देश की ८२ प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। हम उसके लिये क्या कर रहे हैं। कादी तथा ग्राम उद्योग बोर्डरहथकरघा बोर्ड और इस मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले अन्य निकाय अपने अपने तरीके से ग्रामीण औद्योगीकरण के प्रश्न को हल करने के लिये प्रयत्नरत हैं। जिस प्रकार केन्द्र में भारी उद्योगों के लिये एक मंत्रालय है उसी तरह छोटे और ग्राम उद्योगों के लिये भी एक मंत्रालय होना चाहिये।

हमने दो योजानओं पर १४,००० करोड़ रुपये खर्च किये किन्तु ग्राम उद्योगों पर कुल ४०० करोड़ रुपये खर्च किये गये। शहरों में रहने वाली १८ प्रतिशत जनता के लिये इतनी अधिक राशि खर्च की गई। यह सन्तुलित विकास नहीं है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारी योजना के कुल आवंटन का ८० प्रतिशत नहीं तो कम से कम ५० प्रतिशत भाग ग्रामीण औद्योगीकरण योजना के लिये होना चाहिये। मुझे ज्ञात हुआ है कि योजना आयोग ने इस प्रयोजन के लिये एक समिति भी बनाई है। मैं समिति से अनुरोध करूंगा कि इसे आवश्यक प्रश्न मान कर तथा सन्तुलित विकास के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर विचार करे। उपेक्षित ग्रामों को पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये।

खादी और ग्राम उद्योग आयोग इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है। प्राक्कलन समिति ने आयोग के कार्य और त्रुटियों की आलोचना की है। मैं जानता हूं कि अम्बर चरखा कार्यक्रम सफल नहीं रहा है किन्तु तब भी आयोग ने कोई २५ लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग को नये और आधुनिक तरीके अपनाने चाहिये ताकि इन उद्योगों में लगे लोगों को उचित पारिश्रमिक मिल सके। देश के औद्योगिक क्षेत्र में कुल सेवा नियोजन को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि खादी और ग्राम उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी लोगों को रोजगार मिल सका है। देश के कुछ औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा खादी आयोग को दी जा रही सहायताकी आलोचना करते हैं। किन्तु देश के प्रत्येक उद्योग को सरकार की सहायता या समर्थन मिलता है। खादी और ग्राम उद्योग को मिल रही सहायता इस बात के प्रसंग में देखी जाये कि उनसे १४ लाख लोगों की जीविका चल रही है।

हमे ग्रामोद्योगों की रक्षा करना है और हमें ग्रामोद्योग की अपनी धारणा बदलनी चाहिये। तीसरी योजना में सरकार २०० औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का इरादा रखती है। यदि हम दूसरी योजना में औद्योगिक बस्तियों का वितरण देखें तो पता चलता है कि अधिकांश बस्तियां बड़े शहरों में स्थापित की गयी हैं। यदि हम ग्रामों के पिछड़ेपन को वास्तव में दूर करना चाहते हैं तो ये बस्तियां पिछड़े क्षेत्रों मे स्थापित की जानी चाहियें। इन बस्तियों की स्थापना के लिये समान

नीति निर्धारित की जाये ताकि किसी राज्य की उपेक्षा न हो। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना में भी समान नीति का पालन किया जाना चाहिये। यदि इस प्रकार सिद्धान्त या नीति का पालन किया जाये तो किसी राज्य की जनता को शिकायत न होगी।

औद्योगिक विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है विद्युतीकरण। मैं गुजरात राज्य की ओर से कहना चाहता हूं कि बिजली के अभाव में राज्य के उद्योग हानि उठा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि तारापोर स्थित अणुशक्ति केन्द्र की स्थापना में प्रगति क्यों नहीं हो रही है। यदि इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाये तो हमें यह पता लग सकेगा कि प्रस्तावित केन्द्र महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को कब तक बिजली दे सकेगा।

सरकार को उत्पादन व्यय कम करने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि हमारा विदेश व्यापार बढ़ सके। हम जानना चाहते हैं कि सरकार औद्योगिक वस्तुओं और कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्यों के परस्पर सन्तुलन के लिये क्या कदम उठाने का इरादा रखती है।

अन्त में मैं कम्पनी विधि प्रशासन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ समय पूर्व विधि मंत्री ने कुछ मामलों का उल्लेख किया था और सरकार ने बताया था कि जांच की जा रही है। जब इस प्रशासन ने कुछ समवायों के नाम "काली सूची" में दर्ज किये हैं तो सरकार उनके नाम क्यों नहीं बताती ताकि जनता को पता चल जाय कि कानून किन-किन ने तोड़ा है।

श्री केप्पन (मुवातुपुझा) : यदि हम देश को ग़रीबी, पिछड़ापन और बेरोज़गारी की गर्त से निकालना चाहते हैं तो हमारा नारा "उत्पादन करो या नष्ट हो जाओ" होना चाहिये।

अनुमान है कि १९७०–७१ तक अकेले केरल में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या २४ लाख तक पहूंच जायेगी। शिक्षित व्यक्तियों का इतनी बड़ी संख्या में बेरोज़गार रहना देश की सुरक्षा व शान्तिपूर्ण जीवन के लिये एक संकट सिद्ध हो सकता है। योजना आयोग ने कहा है कि किसी भी आयोजना का मूल उद्देश्य जनता के जीवन-यापन का स्तर उन्नत करना होता है। तीसरी योजना के पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आय को ५ प्रतिशत बढ़ाना और रोज़गार की संभावनायें बढ़ाना और राज्य की जनशक्ति को काम मे लाना। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की १९६१–६२ के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि विदेशी मुद्रा के अभाव में हमारी प्रगति अवरुद्ध हो रही है और प्रतिवेदन मे बार-बार कहा गया है कि विदेशी मुद्रा का अभाव निर्यात बढ़ा कर ही पूरा किया जा सकता है। अब हमें यह देखना चाहिये कि क्या हमारा निर्यात बढ़ रहा है। मैं बागान उद्योग को लेता हुं। १९५८ से १९६१ तक इस उद्योग का निर्यात घटा है। चाय को ही लें लीजिये। उसका निर्यात कम होता जा रा है। ग्रेट ब्रिटेन में भारत की चाय की खपत सबसे ज्यादह है। हम देखते हैं कि वहां भारतीय चाय का आयात घट रहा है किन्तु इन्डोनेशिया, अफ्रीकी देशों व जापान से आयात की गई चाय की मात्रा बढ़ती जा रही है। राष्ट्र संगठन के खाद्य तथा कृषि संगठन ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि १९६५–६६ तक खपत की अपेक्षा १००० लाख पौंड चाय का अधिक उत्पादन होगा। इसका अर्थ यह है कि चाय के मूल्य भी अवश्य घटेंगे। यदि मूल्य घटते हैं तो क्या हम खुले बाज़ार में प्रतियोगिता कर सकेंगे। मैं सरकार और मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वे इस भावी संकट से उद्योग को बचाने के लिये उद्योग को सहायता प्रदान करे। पहली बात तो यह है कि चाय के उत्पादन की लागत घटाई जाये ताकि भारत की चाय खुले बाज़ार मे प्रतियोगिता कर सके। दूसरी बात यह कि चाय उद्योग को उर्वरक, औजार और अन्य चीज़ें उपलब्ध की जायें। तीसरी बात यह है कि देश में चाय की खपत बढ़ाई जाये ताकि भारतीय चाय उत्पादक को अपनी चाय लागत-मूल्य से कम दामों पर बेचने के लिये मजबूर न होना पड़े।

[श्री केप्पन]

अब मैं इलायची उद्योग को लेता हूं जिस पर केरल और भारत का एकाधिकार है। भारत में विश्व के कुल उत्पादन का ८० प्रतिशत होता है और इलायची के निर्यात से २.५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इलायची का उत्पादन मध्यम वर्ग के किसान करते हैं किन्तु इलायची के कम दाम और उद्योग की कुछ कठिनाइयों के कारण निर्धन किसान इलायची की खेती जारी नहीं रख पा रहे हैं। सरकार को चाहिये कि वह इन्हें लम्बी मीयाद वाले ऋण दे। वे लोग १० साल के लिये ऋण चाहते हैं और उसे ब्याज सहित लौटा देंगे। रिज़र्व बैंक को जब सहकारी समितियों को लम्बी म्याद वाले ऋण देने के लिये कहा जाता है तो वह मना कर देता है। वह केवल अल्प अवधि के लिये ऋण देता है। रबड़ को ही ले लीजिये। रबड़ के पेड़ से रबड़ प्राप्त करने के लिये आठ वर्ष लगते हैं। किसान को रबड़ की खेती मे आठ वर्ष तक पूंजी लगानी होती है। उसे दस महीने के लिये ऋण देने का क्या लाभ है। यदि आप उद्योग को बचाना चाहते हैं तो किसान को लम्बी अवधि के लिये ऋण दीजिये।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि नये उद्योग शुरू करने में सरकार की नीति औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को सक्रिय बनाने की है। मुझे इस बात में सन्देह है क्योंकि जहां तक केरल का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में केवल ०.७९ करोड़ रुपये का अंशदान किया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इस के पश्चात् लोक सभा गुरुवार, ८ जून, १९६२/१८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

— [गुरुवार, ७ जून १९६२ / १७ ज्येष्ठ १८८४ (शक)]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अजित प्रसाद जैन ने हिन्दी में प्रतिज्ञान किया

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३२८	भूमि बन्धक बैंक	४३५९—६१
१३२९	रेलवे भ्रष्टाचार जाँच समिति	४३६१-६२
१३३०	डीजल रेलवे इंजन	४३६३-६४
१३३१	रेलवे खण्डों का पुनर्गठन	४३६४-६५
१३३४	केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग	४३६५-६६
१३३७	कोचीन पत्तन	४३६६—६८
१३३८	सामुदायिक विकास के लिये प्रविधिक कर्मचारी	४३६८-६९
१३३९	दिल्ली में भूमिगत और उपरि रेलवे	४३७०
१३४०	उड़ीसा में खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि	४३७०-७१
१३४१	"सी-आइलण्ड" कपास की खेती	४३७१—७४
१३४२	पटसन की खेती	४३७४—७६
१३४३	दिल्ली में विकास क्षेत्र	४३७६
१३४४	दिल्ली के अस्पतालों में पलंगों की कमी	४३७७-७८
१३४६	आसाम में सार्वजनिक टेलीफोन	४३७८
१३४७	केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव	४३७९
१३४९	त्रिवेन्द्रम और कोचीन बन्दरगाहों में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव	४३७९—८१
१३४८	दिल्ली के चिड़ियाघर में जानवरों की मृत्यु	४३८१-८२

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित
प्रश्न संख्या

१३३२	सुजानगढ़ के पोस्ट मास्टर की हत्या	४३८२
१३३३	गण्डक परियोजना	४३८२
१३३५	सिंचाई की सुविधायें	४३८२—८३
१३३६	विदेशों में पर्यटन सम्बन्धी प्रचार	४३८३
१३४५	विद्युत जनन एकक	४३८३—८४
१३५०	दामोदर घाटी निगम	४३८४
१३५१	पैकेज प्रोग्राम	४३८४
१३५२	कालीकट के निकट भारतीय मालवाही जहाज का डूब जाना	४३८४—८५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२७०६	रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाना	४३८५
२७०७	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा वापसी उड़ान सेवा	४३८६
२७०८	होटलों के वेटरों को बख्शिश	४३८६
२७०९	बकिंघम नहर	४३८७
२७१०	केरल में अनन्नास	४३८७—८८
२७११	केरल में नर्सों को प्रशिक्षण	४३८८
२७१२	समुद्रगढ़ स्टेशन का प्लेटफार्म ऊंचा करना	४३८८—८९
२७१३	उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण	४३८९
२७१४	वाराणसी छावनी में रेलवे क्वार्टर	४३८९—९०
२७१५	उत्तर प्रदेश में मालगोदाम	४३९०
२७१६	उत्तर प्रदेश में सिंचाई और बिजली योजनाएं	४३९०
२७१७	पूर्वोत्तर रेलवे में यात्री शेड	४३९०—९१
२७१८	उड़ीसा में तम्बाकू की खेती	४३९१
२७१९	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४	४३९१
२७२०	ललितपुर रेलवे स्टेशन पर पंखे	४३९२
२७२१	टाटानगर स्टेशन की इमारत में दरारें	४३९२
२७२२	बिहार में डाक	४३९२
२७२३	गुना मक्सी रेलवे लाइन	४३९३
२७२४	ग्वालियर से शिवपुरी तक रेलवे लाइन	४३९३

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२७२५	पश्चिम रेलवे पर बिना टिकट यात्रा	४३९३–९४
२७२६	त्रिपुरा की रैयन	४३९४
२७२७	त्रिपुरा की रैयन	४३९४
२७२८	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स फैक्टरी, मद्रास	४३९४–९५
२७२९	रंगपहल और मिलीबर्ग के बीच रेलवे लाइन	४३९५
२७३०	दिल्ली जैसलमेर राजपथ	४३९६
२७३१	बम्बई के डाकतार कर्मचारी	४३९६
७३२	आन्ध्र प्रदेश के लिये विदेशी मुद्रा	४३९६–९७
२७३३	क्षयरोग क अस्पताल	४३९७
२७३४	दिल्ली में बस दुर्घटनायें	४३९७
२७३५	दण्डकारण्य क्षेत्र में रलवे लाइनें	४३९७–९८
२७३६	हल्दिया पत्तन	४३९८
२७३७	त्रिपुरा में तपेदिक रोग	४३९९
२७३८	दिल्ली परिवहन	४३९९
२७३९	होटल निर्माण निगम	४३९९–४४००
२७४०	रेलवे भोजनयानों में काम करने वाले कर्मचारी	४४००
२७४१	रासायनिक उर्वरक	४४००–०१
२७४२	केरल में इडुकी परियोजना	४४०१–०२
२७४३	रेलवे में मेरीन स्टाफ	४४०२
२७४४	तिरुकोयलूर रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय	४४०२
२७४५	उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ	४४०२–०३
२७४६	टिक्करपाड़ा और भीमकुण्ड बांध	४४०३
२७४७	उड़ीसा में हादागढ़ बांध परियोजना	४४०३–०४
२७४८	कृषि विश्वविद्यालय	४४०४
२७४९	गन्ने का मूल्य	४४०४–०५
२७५०	नई दिल्ली की सड़कों पर गढ़े	४४०५
२७५१	उत्तर रेलवे के जोधपुर डिवीजन के कर्मचारी	४४०५
२७५२	अन्तर्देशीय पत्रों की दरें	४४०५–०६
२७५३	ट्रेन एक्जामिनरों के वेतनक्रम	४४०६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२७५४ दिल्ली में सड़कों पर होने वाली दुर्घटनायें . . ४४०६–०७
२७५५ दक्षिण पूर्व रेलवे का कोराई हाल्ट स्टेशन . ४४०७–०८
२७५६ छोटी जलविद्युत् योजनायें ४४०८
२७५७ मैसूर राज्य में बिजली का संभरण ४४०८–०९
२७५८ मुधोल में चीनी का कारखाना . . ४४०९
२७५९ कर्णफुली बांध परियोजना . . ४४०९
२७६० दिवा-पनवेत-उरन आप्टा बड़ी लाइन ४४०९–१०
२७६१ बिहार के बाढ़ क्षेत्र ४४१०
२७६२ जयनगर और खजौली स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन . ४४१०
२७६३ दिल्ली में सरकारी अस्पताल . ४४१०–११
२७६४ गया में पीने के पानी का संभरण . . . ४४११
२७६५ फर्स्ट क्लास के गलिहार वाले डिब्बों में परिचारक . ४४११
२७६६ अवकाश के दिन कोयले का दान . . ४४११–१२
२७६७ मिलानी जंक्शन को फतेहगढ़ छावनी से मिलाना . ४४१२
२७६८ फार्म मंत्रणा एकक ४४१२
२७६९ अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा विरोध सप्ताह मनाया जाना . . . ४४१२–१३
२७७० कुमाऊं पहाड़ियों में वनरोपण . ४४१३
२७७१ कृषि उत्पाद का विकास . . ४४१३
२७७२ बड़ौदा डिवीजन में "ई" मद की वस्तुओं का बुकिंग . . ४४१३–१४
२७७३ नेफा, नागालैन्ड और मनीपुर के छात्रों को मैडिकल कालेजों में प्रवेश ४४१४–१५
२७७४ रिहंद जल विद्युत् योजना . . ४४१५–१६
२७७५ रात्रि विमान सेवा का किराया . . ४४१६
२७७६ आगरा जिले में बटेश्वर घाट का जीर्णोद्धार . ४४१६
२७७७ स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन निजी कोष . . . ४४१७
२७७८ भारत में मेडिकल शिक्षा ४४१७
२७७९ डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के चिकित्सा सम्बन्धी व्यय के बिल ४४१७–१८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

२७८० रेलवे यार्ड झांसी में कार्य करने वाला अन्तर्राज्य गिरोह ४४१८
२७८१ हुबली शोलापुर लाइन पर रेलवे कासिंग . ४४१८–१९
२७८२ बीजापुर में तार इंजीनियरिंग सब-डिवीजन ४४१९
२७८३ मैसूर राज्य में डाक तार सुविधायें ४४१९–२०
२७८४ नौवहन ऋण ४४२०
२७८५ सफदरजंग मकबरे के निकट दि० प० उ० बस दुर्घटना ४४२०–२१
२७८६ कोसी परियोजना में रेलवे लाइन को उखाड़ना . ४४२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ४४२२—४४२३

श्री वारियर ने ६ जून, १९६२ को दिल्ली के टाउन हाल में लगी आग की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४४२३

(१) भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित १९४६ के सड़क यातायात सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय की एक प्रति ।

(२) राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई समिति के प्रतिवेदन (१९६०-६१) की एक प्रति ।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २९ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१३ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) चतुर्थ संशोधन आदेश, १९६२ की एक प्रति ।

समितियों के लिये निर्वाचन ४४२३–४४२४

(१) संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से ३० सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(२) श्री सत्यनारायण सिंह ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से १५ सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विषय	पृष्ठ
लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव	४४२५
संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) ने प्रस्ताव किया कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह इस सभा की लोक लेखा समिति से सम्बद्ध करने के लिये राज्य सभा के ७ सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने के लिये सहमत हों। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।	
अनुदानों की मांगें . .	४४२५–४४७०
(१) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।	
(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
मत विभाजन के परिणाम के बारे में घोषणा .	४४७०–४४७८
अध्यक्ष महोदय ने ६ जून, १९६२ को गृह-कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या ४८ पर कटौती प्रस्ताव संख्या ३२४ पर हुए मद विभाजन की संख्या को शुद्ध करने के बारे में घोषणा की। जिस के अनुसार "विपक्ष में १२०" के स्थान पर "विपक्ष में १२१" बताया गया।	
शुक्रवार, ८ जून, १९६२/१८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि	
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा।	

श्री क० ना० तिवारी . . . . . . ४४३९—४१
श्री मोहसिन ४४४१
श्री सिंहासन सिंह . . . . . . ४४४१—४३
श्री दाजी ४४४४-४५
श्री नन्दा . . . . . . ४४४५—५१
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४४५१-५२
श्री यलमंदा रेड्डी ४४५२-५३
श्री मंत्री . . . . . ४४५४—५७
श्री राम सिंह . . . . ४४५७—६१
श्री कमलनयन बजाज ४४६१-६२
श्री अचल सिंह . . . . ४४६२—६४
श्री बड़े . . . . . ४४६४—६८
श्री देशपांडे . ४४६८-६९
श्री फिरोडिया . . ४४६९—७५
श्री जसवन्त मेहता . . ४४७५—७७
श्री केप्पन ४४७७-७८
मत विभाजन के परिणाम के बारे में घोषणा . . . . ४४७०—७८
दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४४७९—८४
समेकित विषय सूची [२६ मई से ७ जून, १९६२/५ ज्येष्ठ से १७ ज्येष्ठ, १८८४ (शाक)] . . . . . . १—७

P.L.S. 41. IV. 40. 62.
150

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।